अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

पोत भंजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर दिशानिर्देश

चुनिंदा एशियाई देशों और तुर्की के लिए पोत भंजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की अंतर्क्षेत्रीय त्रिपक्षीय बैठक

बैंकाक, 7–14 अक्टूबर 2003

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय– जेनेवा

प्रस्तावना

नवम्बर 2002 में, अपने 285 वे सत्र में, आईएलओ के शासी निकाय ने *पोतभंजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर दिशानिर्देशों* में संशोधन करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु चुनिंदा एशियाई देशों और तुर्की के लिए पोत भंजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की एक अंतर्क्षेत्रीय त्रिपक्षीय बैठक आहूत करने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया गया कि त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा निम्न देशों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा : बांग्लादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान और तुर्की। बैठक उपरोक्त देशों के पांच विशेषज्ञों जिनकी नियुक्ति सरकारों से विचार विमर्श के उपरांत हुई, पांच विशेषज्ञों जिनकी नियुक्ति नियोक्ता समूहों से विचार विर्मश के उपरांत हुई और पांच विशेषज्ञों जिनकी नियुक्त शासी निकाय के श्रमिक समूह से विचार विमर्श के बाद हुई से मिलकर संघटित हुई। बड़े पोत-स्वामी देशों से तकनीकी विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पर्यवेक्षकों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक बैंकाक, थाईलैंड में 7 से 14 अक्टूबर 2003 तक चली।

दिशानिर्देशों को विशेषज्ञों की बैठक द्वारा आमसहमति से स्वीकार किया गया। सभी सहभागियों के बीच सहयोग की भावना ने दिशानिर्देशों के एक व्यापक और प्रायोगिक समूह के लिए सहमति विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया जिनका यदि व्यापकता से उपयोग हो तो उन सभी को लाभ देंगे जो पोत भंजन उद्योग में कार्य करते हैं। यह दिशानिर्देश अपने प्रकार के पहले पहल है जो आईएलओ के उत्कृष्ट श्रम की कार्यसूची की संरचना के तहत पोत भंजन में सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा करते हुए यह एक मुख्यत: अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि को एक नैतिक औपचारिक संगठित गतिविधि में बदलने पर सलाह प्रदान करते हैं।

इन दिशानिर्देश की संरचना पोत भंजको और सक्षम प्राधिकारियों जैसों को आईएलओ मानको के प्रासंगिक प्रावधानों, व्यवहार संहिताओं और व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और कार्यगत परिस्थितियों पर अन्य मार्गदर्शिकाओं और प्रगतिशील सुधार के लक्ष्य वाले अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के उपायों के प्रावधानों के कर्यान्वयन में सहायता करने हेतु की गयी है। इन दिशानिर्देश में की गयी प्रायोगिक सिफारिशें उन सभी के उपयोग के लिए हैं जो पोत भंजन अभियानों में व्यावसयिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। दिशानिर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं न ही वे राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और स्वीकृत मानकों को प्रतिस्थापित करने की ओर प्रवृत्त हैं। वे उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जो प्रासंगिक प्रावधानों के निर्णय और प्रभावी राष्ट्रीय व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं और उपक्रम नियंत्रणों की स्थापना में शामिल हैं, जहां वे विद्यमान नहीं हैं।

इन दिशानिर्देशों का व्यावहारिक उपयोग व्यापक रूप से स्थानीय परिस्थितियों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, अभियानों के पैमाने और तकनीकी संभावनाओं पर निर्भर करेगा। दिशानिर्देशों के उपयोग को बढ़ावा देने में तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण होगा। समर्थनकारी सामग्रियों का तदनंतर विकास इनके प्रावधानों की जरूरतों को प्राप्त करने के विशिष्ट तकनीकी लक्ष्यों को संबोधित करने की अनुमति देगा।

ये दिशानिर्देशों व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्थाओं पर आईएलओ दिशानिर्देशों (आईएलओ-ओएसएच 2001) के तत्व भी धारण करते हैं इस उम्मीद में कि वे सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारियों और पोत भंजन सुविधाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदर्शन में निरंतर सुधार को प्राप्त करने में एक प्रायोगिक उपकरण के रूप में काम करेंगे।

इन दिशानिर्देशों को अन्य अंतरराष्ट्रीय उपायों के साथ सामंजस्य से जारी किया गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, खतरनाक कचरों और उनके अपशिष्टों के सीमापारीय गमन के नियंत्रण पर आधारभूत समझौता, कचरे और अन्य पदार्थ डालने के द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर समझौता (लंदन समझौता 1972 और संलेख 1996) और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मंडल (आईसीएस) की उद्योग व्यवहार संहिता के उपाय शामिल हैं।

अध्यक्ष :

कै. मोइन अहमद, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन में बांग्लादेश के प्रतिनिधि, ब्रिटेन में बांग्लादेश का उच्चायोग, लंदन, ब्रिटेन

सरकारों द्वारा नामित विशेषज्ञ :

श्री फरीद अहमद, कारखाना निरीक्षक (अभियांत्रिकी), कारखाना और संस्थापन निरीक्षण विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ढाका (बांग्लादेश)

सुश्री चेन फेइयिंग, उपनिदेशक, कार्यगत सुरक्षा पर राज्य प्रशासन, श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, पेइचिंग, (चीन लोक गणराज्य)

श्री डी.बी. देब, उपमहानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय, नयी दिल्ली (भारत)

श्री अब्दुल वाहिद बलोच, श्रम कल्याण महानिदेशालय, बलूचिस्तान सरकार, क्वेटा, (पाकिस्तान)

श्री इरहान बातुर, मुख्य श्रम निरीक्षक, श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, अंकारा, (तुर्की)

नियोक्ताओं द्वारा नामित विशेषज्ञ :

कै. इनाम चौधरी, परामर्शक, बांग्लादेश पोत भंजक संगठन, चटगांव, (बांग्लादेश)

श्री जियांग ज्युइशि, उपाध्यक्ष, चीनी राष्ट्रीय पोतभंजन संगठन, पेइचिंग, (चीन लोक गणराज्य)

श्री हुआंग झाओलि, महासचिव चीनी राष्ट्रीय पोतभंजन संगठन, (सीएनएसए), पेइचिंग, (चीन लोक गणराज्य) (तकनीकी सलाहकार)

श्री एम.वाई. रेड्डी, सचिव अखिल भारतीय पोत संचालक परिषद, नयी दिल्ली (भारत)

श्री यू.आर. उस्मानी, निदेशक, सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड, कराची, पाकिस्तान

श्री ओक्ताय सुनाटा, निदेशक, सेमास ए. एस. जेमिसोकुम

अली आगा – इजमिर, (तुर्की)

श्रमिकों द्वारा नामित प्रतिनिधि :

श्री नजरूल इस्लाम खान, अध्यक्ष, बांग्लादेश जातीय आबादी श्रमिक दल–बीजेएसडी, ढाका, (बांग्लादेश)

श्री लिशाओचेन, खंड प्रमुख, रक्षा उद्योग, चीनी डाक एवं संचार श्रमिक संघ, पेइचिंग (चीन लोक गणराज्य)

श्री विद्यासागर वी. राणे, अध्यक्ष भारतीय स्टील धातु एवं अभियांत्रिकी श्रमिक परिसंघ– महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई (भारत)

श्री मूसा खान, संगठन सचिव, पाकिस्तान के श्रमिक संघों का राष्ट्रीय परिसंघ (पीएनएफटीयू), कराची, (पाकिस्तान)

श्री कुमहुर पेक्यिगित, विशेषज्ञ, पोत निर्माण श्रमिक संघ कासिम्पासा, इस्तांबुल (तुर्की)

अंतरराष्ट्रीय सरकारों और गैरसरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व :

श्री इब्राहिम शफी, कार्यक्रम अधिकारी (तकनीक), आधारभूत समझौता सचिवालय/यूएनईपी, जेनेवा, (स्विटजरलैंड)

श्री दुचांग दू, सामुद्रिक पर्यावरण खंड, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, लंदन, (ब्रिटेन)

श्री पी. अरुणासलम, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय धातु श्रमिक परिसंघ (आईएफएफ), दक्षिण एशिया एवं प्रशांत कार्यालय, पेटालिंगजावा, (मलयेशिया)

संसाधन व्यक्ति :

श्री आगे ब्योर्न एंडरसन, डेट नोर्स्के वेरिटास (डीएनवी), ओस्लो, (नार्वे)

श्री कार्ल हालग्रेन, पोर्टलैंड क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन, श्रम विभाग, ओरेगोन (अमरीका)

श्री किम चि जून, उपाध्यक्ष पाल पाल डेवलपमेंट कंपनी लि. पुसान, (कोरिया गणराज्य)

डा. जर्गेन सरबित्जर, सलाहकार (पूर्व आईएलओ अधिकारी), ड्रेसडन (जर्मनी)

श्री डेविड स्पार्क्स, सामुद्रिक परामर्शक, थोइरी (फ्रांस)
श्री पॉल टोप्पिंग, पर्यावरण कनाडा, सामुद्रिक पर्यावरण खंड, हल, क्यूबेक (कनाडा)

आईएलओ सचिवालय :

डा. जुक्का तकाला, निदेशक, कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर केन्द्रित कार्यक्रम (सुरक्षित कार्य), जेनेवा
श्री नार्मन जेनिंग्स, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, क्षेत्रीय गतिविधि विभाग, जेनेवा
डा. इगोर फेदोतोव, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वरिष्ठ विशेषज्ञ, कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एवं पर्यावरण पर केंद्रित कार्यक्रम (सुरक्षित कार्य), जेनेवा
श्री पॉल बेली, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, क्षेत्रीय गतिविधि विभाग, जेनेवा
सुश्री इनग्रिड क्रिश्तेंसन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वरिष्ठ विशेषज्ञ, नई दिल्ली
डा. त्सुयोशी कावाकामी, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बैंकाक

विषय सूची

प्रस्तावना iii

1 सामान्य प्रावधान 1
1.1 उद्देश्य 1
1.2 उपयोग 1

2 उद्योग के लक्षण 1
2.1 पोत भंजन 1
2.2 पोतभंजन सतत विकास में योगदान करती है 1
2.3 उद्योग की समस्याएं 2
2.4 व्यावसायिक खतरे 3

भाग 1 राष्ट्रीय संरचना 5

3 सामान्य दायित्व, कर्तव्य व अधिकार एवं कानूनी संरचना 5
3.1 सक्षम प्राधिकारियों के दायित्व और कर्तव्य 5
3.2 कानूनी संरचना 6
3.3 श्रम निरीक्षणालयों के कर्तव्य 7
3.4 नियोक्ताओं के सामान्य दायित्व 7
3.5 श्रमिकों के सामान्य कर्तव्य 8
3.6 श्रमिकों के अधिकार 9
3.7 आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और संरचनाकारों के सामान्य दायित्व 10
3.8 ठेकेदारों के सामान्य दायित्व और अधिकार 10
3.9 सहयोग 11

4 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन 12
4.1 परिचय 12
4.2 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति 12
4.3 आरंभिक समीक्षा 12
4.4 जोखिम की पहचान एवं खतरे का मूल्यांकन, रोकथामकारी एवं सुरक्षा के उपाय 13
4.5 योजना एवं कार्यान्वयन 13
4.6 आपात तत्परता 14

5 कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों की खबर देना, दर्ज करना और अधिसूचना करना 14
5.1 सामान्य प्रावधान 14
5.2 सुविधा के स्तर पर खबर देना 16
5.3 सुविधा के स्तर पर दर्ज करना 16
5.4 कार्य संबंधी चोटों की अधिसूचना 16
5.5 व्यावसायिक बीमारियों की अधिसूचना 17

6 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं 17

भाग 2 सुरक्षित पोतभंजन अभियान 19

7 अभियान की योजना 19
7.1 सामान्य आवश्यकताएं 19
7.2 सुरक्षित पोतभंजन योजना और अनुसूचियां 20
7.3 जोखिम की पहचान और खतरे का मूल्यांकन 29
7.4 खतरा मूल्यांकन की समीक्षा 32
7.5 जोखिम और खतरों के प्रति प्रतिक्रिया – रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपाय 33

8		**सामान्य रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपाय**	**34**
	8.1	सामान्य प्रावधान	34
	8.2	पहुंच और निर्गम के उपाय	34
	8.3	आग या अन्य खतरों के मामले में सुरक्षित निकलने के उपाय	34
	8.4	सड़क मार्ग, घाट, यार्ड और अन्य स्थान	34
	8.5	भवनव्यवस्था	35
	8.6	पाइट और सीढ़ियां	35
	8.7	व्यक्तियों और सामग्री के गिरने के खिलाफ सावधानियां	36
	8.8	आग की सावधानियां और अग्निशमन	36
	8.9	खतरनाक वातावरण और संकुचित स्थान	38
	8.10	चिन्ह, सूचनाएं और रंगीन संकेत	38
	8.11	अनाधिकृत प्रवेश की रोकथाम	39
9		**खतरनाक पदार्थो का प्रबंधन**	**39**
	9.1	सामान्य प्रावधान	39
	9.2	मूल्यांकन	39
	9.3	रासायनिक जोखिमों के लिए कार्यस्थल में जांच	41
	9.4	नियंत्रण के उपाय	44
	9.5	रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्र	44
	9.6	स्वास्थ्य निगरानी	44
10		**शारीरिक जोखिमों के खिलाफ उपाय**	**45**
	10.1	सामान्य प्रावधान	45
	10.2	शोर	45
	10.3	कंपन	46
	10.4	प्रकाशीय विकिरण	46
	10.5	ऊष्मा दबाव और आर्द्र परिस्थितियां	47
	10.6	प्रकाश व्यवस्था	47
	10.7	विद्युत	47
11		**जैविक खतरों के विरूद्ध उपाय**	**48**
12		**कार्यिक और मनोवैज्ञानिक खतरे**	**48**
13		**औजारो, मशीनों और उपकरणों के लिए सुरक्षा जरूरतें**	**49**
	13.1	सामान्य जरूरते	49
	13.2	हाथ के औजार	49
	13.3	विद्युत औजार	50
	13.4	दीप्त कर्तन और अन्य गर्म कार्य	50
	13.5	गैस सिलिंडर	51
	13.6	विद्युत जेनरेटर	51
	13.7	उठाने के यंत्र और गीयर	52
	13.8	उठाने वाले रस्से	53
	13.9	परिवहन सुविधाएं	54
14		**सक्षमता और प्रशिक्षण**	
	14.1	सामान्य	54
	14.2	प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की योग्यता	55
	14.3	श्रमिकों की योग्यता, प्रशिक्षण और कौशल जांच	55
	14.4	ठेकेदारों और अन्य तृतीय पक्षों की शैक्षिक योग्यता	56
15		**वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा वस्त्र**	**56**
	15.1	सामान्य प्रावधान	56
	15.2	सिर की सुरक्षा	57
	15.3	चेहरे और आंखों की सुरक्षा	58

	15.4	हाथों और पैरों की सुरक्षा	58
	15.5	श्वसन सुरक्षा उपकरण	59
	15.6	श्रवण सुरक्षा	59
	15.7	रेडियोधर्मी संदूषणों के खिलाफ रक्षक	59
	15.8	गिरने से सुरक्षा	59
	15.9	वस्त्र	59
16		**आकस्मिक और आपात तत्परता**	**59**
	16.1	सामान्य	59
	16.2	प्राथमिक उपचार	61
	16.3	बचाव	62
17		**विशेष संरक्षण**	**62**
	17.1	रोजगार और सामाजिक बीमा	62
	17.2	कार्य के घंटे	62
	17.3	रात का कार्य	63
	17.4	बाल श्रम	63
	17.5	शराब और मादक द्रव्यों संबंधी समस्याएं	63
	17.6	एचआईवी/एड्स	64
18		**कल्याण**	
	18.1	सामान्य प्रावधान	64
	18.2	पीने का जल	64
	18.3	साफ सफाई और धुलाई सुविधाएं	64
	18.4	अमानती सामानघर	64
	18.5	आश्रप और खानपान की सुविधाएं	65
	18.6	रहने की सुविधा (आवास)	65
शब्दावली			**66**
संदर्भ सूची			**70**
	1	प्रासंगिक आईएलओ समझौते और सिफारिशें	70
	2	चुनिंदा आईएलओ व्यवहार संहिताएं जो पोतभंजन गतिविधियों पर लागू होने के योग्य हों	71
	3	प्रासंगिक प्रकाशन	71
	4	रासायनिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोतों के संदर्भ	73
परिशिष्ट			**74**
	I	श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी	74
	II	कार्यगत पर्यावरण की निगरानी	74
	III	एक ओएसएच प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	79
	IV	पोतों में मौजूद गंभीर रूप से खतरनाक सामग्रियों की आईएमओ सूची	90
	V	एक आदर्श जोखिम मूल्यांकन उपाय का उदाहरण	95

1 सामान्य प्रावधान

1.1 उद्देश्य

1.1.1 इन दिशानिर्देशों को योगदान करना चाहिए :

(अ) पोत भंजक श्रमिकों को कार्यस्थलीय खतरों से बचाने के लिए और कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए ;

(ब) कार्यस्थल में और आसपास व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों के उन्नत प्रबंधन में सहयोग और मदद करने के लिए

1.1.2 इन दिशानिर्देशों को इनमें सहयोग करना चाहिए :

(अ) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं पोत भंजन सुविधाओं में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के कल्याण पर तथा सामान्य पर्यावरण के संरक्षण पर एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति और सिद्धांतों की स्थापना में ;

(ब) प्राधिकारियों, नियोक्ताओं, श्रमिकों और संलग्न अग्रिम निकायों के अपने अपने कर्तव्यों और दायित्वों की स्थापना में और उनके बीच एक संरचित सहयोग के लिए व्यवस्था करने में ;

(स) ज्ञान और सक्षमता सुधारने में ;

(द) कार्यगत परिस्थितियों में विचारणीय सुधार के विचार के साथ सुसंगत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रबंधन तंत्रों के एकीकरण और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में।

1.2 उपयोग

1.2.1 यह दिशानिर्देश लागू होंगे :

(अ) उन सभी सरकारी प्राधिकारियों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों एवं उद्योग संस्थाओं पर चाहे वैधानिक हों या सलाहकारी, जिनकी गतिविधियां पोत भंजन में जुटे लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डालती हैं ;

(ब) उन सभी व्यक्तियों पर जो पोत भंजन सुविधाओं के नियंत्रण के स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए, नियोक्ता, परिसरों का नियंत्रण रखने वाले लोग, श्रमिक और ठेकेदार, जहां तक कि ये सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनके कर्तव्यों और दायित्वों के उपयुक्त हों;

(स) सभी पोत भंजन अभियानों पर बिना सुविधा की प्रकृति का ध्यान रखे (समुद्रतट, पोतघाट, शुष्कबंदरगाह, अवतरण मंच, या अन्य प्रकार के विघटनकारी स्थान)।

2 उद्योग के लक्षण

2.1 पोतभंजन एक जलयान की संरचना को रद्दी करने या निपटान के लिए की जाने वाली विघटन की प्रक्रिया है चाहे वह समुद्र तट पर हो, पोतघाट पर हो, शुष्क बंदरगाह पर हो या विघटनकारी अवतरण मंचों पर हो। इसमें सभी उपस्करों और उपकरणों को काट गिराने से लेकर पोत की अवसंरचना के पुनर्चक्रीकरण तक गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल होती है। पोत की संरचनात्मक जटिलता और अनेक पर्यावरणीय, सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे शामिल होने के कारण पोत भंजन एक चुनौती देने वाली प्रक्रिया है। जबकि औद्योगिक देशों के शुष्क बंदरगाहों में पोत को रददी करना विनियमित कार्य है, समुद्रतटों या समीपवर्ती पोतघाटों पर पोतभंजन कम ही नियंत्रण एवं निरीक्षण का विषय बनता है। यद्यपि ये दिशानिर्देश सभी के लिए उत्तम प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं; इससे भी अधिक वे समुद्रतटों पर पोतों के विघटन के संदर्भ में अधिक खतरनाक स्थितियों के कदम दर कदम सुधार का उदेश्य रखते हैं।

2.2 पोत भंजन सतत विकास में योगदानकारी है

छेद करके डुबाने या बनावटी प्रवालभित्ति के रूप में उनका उपयोग करने के बजाए और लौह अयस्क का आयात और संवर्धन करने के बजाए पुराने और फालतू पोतों का भंजन स्टील (और पोत के अन्य हिस्सों) को बहुत कम कीमत पर पुनर्चक्रीकृत होने के योग्य बनाता है। इसमें ऊर्जा की भी कम आवश्यकता होती है। इससे अंतरराष्ट्रीय पानियों से पुराने पड़ गए टनों भार को समय से हटाने में

भी मदद मिलती है। प्रतिवर्ष हजारों जलयान रद्दी किये जाते हैं, यह ऐसी प्रवृत्ति है जो जारी रहेगी। क्या एकल आवरण वाले जलयानों को तय समय से पहले ही विखंडित कर देना चाहिए ऐसे में ऐसा कर पाने की क्षमता का सवाल उठ सकता है अतएव खतरा बढ़ जाता है क्योंकि अधिकाधिक देश समुद्र तटों पर रद्दीकरण का सहारा लेने लगेंगे।

2.3 उद्योग की समस्याएं

2.3.1 पोत भंजन सर्वाधिक खतरनाक व्यवसायों में से एक है

पिछले कई दशकों से पोत भंजन जिसे कि एक बहुत खतरनाक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है वह सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के निम्न स्तर के कारण कुछ विकासशील देशों (मुख्यत: एशिया) में संकेंद्रित हो गया है जहां कार्यगत एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं। एक हालिया व्यवहार्यता अध्ययन जिसे कि यूरोपीय संघ ने संचालित किया था में यह निष्कर्ष निकला कि इसकी खतरनाक प्रकृति, इसकी तुलनात्मक रूप से ऊंची लागत और रद्दी स्टील की मांग में कमी के कारण पोत भंजन का काम यूरोप में नही होना चाहिए।

2.3.2 पोत भंजन खतरनाक कचरे का प्रबंधन है

यद्यपि एक पोत के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले अनेक खतरनाक पदार्थो एजबेस्टस, पॉलीक्लोरीनीकृत बाइफिनाइल्स (पीसीबी) जहरीले रंग जैसे कि ट्रिब्यूटाइल्टिन (टीवीटी) और अन्य भारी पदार्थो को आज अधिकांशत: सीमित किया जा चुका है या उन पर प्रतिबंध लग चुका है, तो भी 20-30 वर्ष पहले बनाया गया एक पोत अभी भी इन पदार्थो को धारण करता है। यह खतरनाक और प्रज्वलनशील रसायनों को भी वहन करता है जिनका उपयोग रंगरोगन, मरम्मत और रखरखाव इत्यादि के लिए किया जाता है। तारों और बिजली व अन्य नियंत्रण तंत्रों में भी खतरनाक पदार्थ होते हैं और यदि जलाया जाए तो वे खतरनाक गैसे उत्सर्जित करते हैं। रंग की परत जलाये जाने या खुरचे जाने पर हवा, मिट्टी और पानी को संदूषित करती है, जोकि मानव मात्र और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। खतरनाक कचरे को इधर उधर ले जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षण का बहुत महत्व है।

2.3.3 पोत भंजन हमेशा ही श्रम कानून और सामाजिक संरक्षण के दायरे में नहीं आता

पोत भंजन प्राय: कुछ देशों में एक उद्योग के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि एक औसत उद्योग के मुकाबले अधिक खतरों का सामना करने वाला पोत भंजन उद्योग कुछ वर्षो में न तो सामुद्रिक वैधानिक संरचना के दायरें में लिया गया है, न ही सामान्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विधायनों और निरीक्षण के दायरे में शामिल है न ही इसे कोई सामाजिक संरक्षण मिला हुआ है। इससे श्रमिक अधिक खतरे में पड़े छोड़ दिये जाते हैं।

2.3.4 पोत भंजन स्थान कानूनों और नियंत्रणों का प्रवर्तन कठिन बनाते हैं

पोत भंजन अभियान बहुधा पहुंचने में मुश्किल स्थानों पर चलाए जाते हैं जो छितरे हुए होते है और स्थान बदल सकते हैं। आम तौर पर आकस्मिक, ठेके पर काम करने वाले या प्रवासी श्रमिक ऐसे कामों को हाथ में लेते हैं। ये कारक मिलकर कानूनों और नियंत्रणों के प्रवर्तन को अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के मुकाबले अधिक कठिन बना देते हैं। अनेक खतरे प्रतिकूल पर्यावरण पर उत्तरदायी हो सकते हैं बजाए अपर्याप्त जरूरतों के जो कि उपेक्षाकारी व्यवहार के कारण और गंभीर हो सकते है। कार्य की अन्य प्रथाएं एक विचार पर आधारित होती हैं जैसे कि क्या सुरिक्षत है और क्या नहीं। प्रत्येक परिवर्तनशील के लिए कानूनों और नियंत्रणों को जुटाने की आशा नहीं की जा सकती; यद्यपि कानूनों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य प्रथाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना चाहिए। इस कार्य की अनौपचारिक प्रवृत्ति - कुछ देशों और स्थानों में - पोत भंजन स्थानों की अस्थायी स्थापना सभी प्रासंगिक आईएलओ श्रम मानकों के त्वरित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को बल प्रदान करती है।

2.3.5 खतरनाक सामग्री की एक सूची का अभाव; विसंदूषण और गैस मुक्तिकरण; सुरक्षित ध्वंस की योजना बनाना; पुनर्चक्रीकरण तथा सुरक्षित कचरा निपटाना

एक पोत खतरनाक सामग्री धारण करता है जिसे हटाना, लाना ले जाना और कचरा प्रबंधन करना मनुष्यों और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक है। ध्वंस की प्रक्रिया खतरनाक कार्य लक्ष्यों से मिलकर बनती है। पुनर्चक्रीकरण निपटाये जा रहे पदार्थ के गुणों पर सूचना

की मांग करता है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जहाजरानी स्त्रोतों से खतरों और सुरक्षा उपायों पर सूचना की जरूरत होती है। भविष्य में, सभी पोत एक ग्रीन पासपोर्ट धारण करेंगे जो एक पोत का इसके निर्माण के दिन से ही पीछा करेगा। इस समय, विखंडन के लिए मान्यता लेना विद्यमान हैं लेकिन भविष्य में यह केवल उन्हीं पोतों को आगमन पर दिये जाएंगे जो भंजन के लिए सुरक्षित हैं। इस प्रमाण में शामिल होंगे :

(अ) पोत पर विखंडित होने के लिए मौजूद खतरनाक पदार्थो और कचरों की एक अद्यतन सूची जो खतरनाक कचरों के सीमापारीय गमन और उनके निपटान के नियंत्रण पर आधारभूत समझौते और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी प्रकोष्ठ (आईसीएस) की उद्योग संहिता के अनुरूप पोत के स्वामी द्वारा प्रदान की जाएगी ;

(ब) स्वामी, दलाल और भंजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पोत जिसे विखंडित किया जाना है ऊष्मीय कार्यो के लिए गैस मुक्त तथा विसंदूषित है;

(स) एक सुरक्षित पोतभंजन योजना का विकास करने के लिए प्रासंगिक सूचना (रेखाचित्र इत्यादि) आवश्यक है। सूचना योजना, प्रतिसक्रिय कार्रवाइयां और विखंडन प्रक्रिया का सुरक्षित प्रबंधन सुरक्षा की निरंतरता को बढा सकता है। सुरक्षित पोतभंजन योजना का विकास महंगा नहीं है अपितु यह जीवनों को बचा सकता है और उत्पादकतां बढ़ा सकता है।

(द) पोत में निरंतर सुरक्षित अभियानों, तोड़ने की सुविधा और आसपास के क्षेत्र को शामिल करने वाले ओएसएच प्रबंध तंत्र;

(क) ओएसएच, कार्यगत और रहनसहन की परिस्थितियों एवं पर्यावरण पर प्रासंगिक समझौते और दस्तावेजों का पोतभंजन उद्योग में कार्यान्वयन

(ख) सभी श्रमिकों के लिए उपयुक्त निवास, कल्याण एवं साफ सफाई की सुविधाओं का प्रावधान।

2.4 व्यावसायिक खतरे

2.4.1 पोत भंजन अभियान श्रमिकों को खतरों या ऐसी कार्यगत गतिविधियों या परिस्थितियों की एक व्यापक श्रृंखला के प्रति अरक्षित करते हैं जोकि चोटों और मौत, खराब स्वास्थ्य, बीमारियों एवं दुर्योगों का कारण बन सकती है। इनमें शामिल हैं :

(अ) खतरनाक उत्सर्जित अरक्षितता, खासतौर से, एजबेस्टस, पालिक्लोरीनीकृत बाइफिनाइल (पीसीबी), भारी धातुओं और खतरनाक सामग्री एवं रसायनों, भारी शोर और अग्नि द्वारा।

(ब) खतरनाक कार्यगत परिस्थितियां (अपर्याप्त श्रमिक प्रशिक्षण व अग्नि सुरक्षा उपाय, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) का अभाव और उपयुक्त आपात प्रतिक्रिया, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा का अभाव तथा खतरनाक कार्य गतिविधियों की एक ऊंची संख्या।

2.4.2 एक ऊंची संख्या में खतरे, एक न्यूनतम के रूप में लेकिन सीमित भी नहीं, जैसे कि तालिका 1 और अनुलग्न IV में दर्शाए गए हैं, पोतभंजकों के बीच कार्यसंबंधी चोटों और मौतों, खराब स्वास्थ्य, बीमारियों और दुर्योगों के संभावित कारण बन सकते हैं। उन्हें निम्न प्रकार समूहों में बांटा जा सकता है :

(अ) खतरनाक जिनमें दुर्घटनाओं का कारण बनने की क्षमता हो;

(ब) खतरनाक पदार्थ एवं कचरे;

(स) शारीरिक खतरे

(द) मशीन संबंधी खतरे;

(क) जैविक खतरे;

(ख) कार्यिक और मनोवैज्ञानिक खतरे;

(ग) सामान्य चिंताएं।

तालिका 1. सामान्य खतरे जो पोतभंजकों के बीच कार्य संबंधी चोटों और मौतों, खराब स्वास्थ्य, बीमारियों और दुर्योगों का संभावित कारण बन सकते हैं

अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण	
● अग्नि और विस्फोट : विस्फोटक, प्रज्वलनशील सामग्री	● ऊंचाई से अवतरण मंचों की संरचना के भीतर या भूमि पर गिरना
● गिरती हुई वस्तुओं की चपेट में आना	● गतिशील वस्तुओं की चपेट में आना
● अंदर फंस जाना या दब जाना	● गीली सतहों पर फिसल जाना
● तारों, रस्सों, चेनों या पट्टियों का झपट्टा	● तीखी धार वाली वस्तुएं
● भारी वस्तुओं को लाना-ले जाना	● घुटन भरे स्थानों में आक्सीजन की कमी
● उत्तरोतर विघटित जलपोतों में पहुंचना (फर्श, सीढ़ियां, रास्ते)	● पीपीई, रखरखाव प्रक्रियाओं, सुरक्षा चिन्हों का अभाव
● बिजली (करेंट लगना)	● कुंडे, हुक, चेन
● अल्प प्रकाश	● क्रेनें, विन्च, उठाने और घसीटने वाले उपकरण;
खतरनाक पदार्थ और कचरे	
● एजबेस्टस के रेशे; धूल	● पीसीबी एवं पीवीसी (दहन उत्पाद)
● भारी और जहरीली धातुएं शीशा, पारा, अरगजी, तांबा जस्ता आदि	● वेल्डिंग की लपटें
● कार्बन धात्विक पदार्थ (ट्राइब्यूटाइल्टिन इत्यादि)	● वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (विलायक)
● खतरे के संचार का अभाव (भंडारण, लेबल लगाना, सामग्री सुरक्षा आंकड़ा शीट)	● घुटन भरे और बंद स्थानों में सांस लेना
● बैटरियां, अग्नि बुझाने वाले द्रव्य	● दबाव के तहत संघनित गैस
शारीरिक खतरे	
● शोर	● कंपन
● चरम तापमान	● विकिरण (यूवी विकिरण सामग्री)
मशीन संबंधी खतरे	
● ट्रक और परिवहन वाहन	● मशीनों और उपकरणों का विफल होना
● पाइट, स्थायी और ले जाई जा सकने वाली सीढ़ियां	● मशीनों और उपकरणों का कमजोर रखरखाव
● यंत्रों, तीखी नोक वाले यंत्रों का संघात	● मशीनों में सुरक्षा गार्ड का अभाव
● बिजली से चलने वाले हाथ के उपकरण, आरियां, पीसने वाले, घिसकर काटने वाले पहिये	● अवतरण मंचों में संरचनात्मक विफलताएं
जैविक खतरे	
● जहरीले समुद्री जीव जन्तु	● जंतुओं द्वारा काटा जाना
● कृमियों, नाशी जीवों, कृंतकों कीटों और जन्तुओं जो कि पोत पर आते जाते रहते हैं, द्वारा फैलाये जाने वाले संचारी रोगों का जोखिम	● संक्रामक रोगों के कारक (टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, सांस के संक्रमण, अन्य)
कार्यिक व मनोवैज्ञानिक खतरे	
● बारंबार पड़ने वाले दबाव की चोटें, अटपटी अवस्थाएं बारंबार और एक सा काम, काम का अतिरिक्त बोझ	● मानसिक दबाव, मानवीय संबंध (आक्रामक व्यवहार, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, हिंसा)
● कार्य के लंबे घंटे, पाली का कार्य, रात का कार्य, अस्थायी रोजगार	● गरीबी, अल्प वेतन, न्यूनतम आयु, शिक्षा और सामाजिक पर्यावरण का अभाव
सामान्य चिंताएं	
● सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रशिक्षण का अभाव	● अपर्याप्त दुर्घटना रोकथाम और निरीक्षण
● कार्य का कमजोर संगठन	● अपर्याप्त आपात, प्राथमिक चिकित्सा और बचाव सुविधाएं
● रहन सहन और साफ सफाई की अपर्याप्त व्यवस्थाएं	● चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक संरक्षण का अभाव

भाग 1 राष्ट्रीय संरचना

3 सामान्य दायित्व, कर्तव्य व अधिकार एवं कानूनी संरचना

3.1 सक्षम प्राधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्य

3.1.1 प्रत्येक सरकार को एक सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों जैसा उपयुक्त हो, का मनोनयन करना चाहिए जिन्हें चाहिए कि वे नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधिक संगठनों के साथ विचार विमर्श से सुरक्षित पोतभंजन के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति एवं सिद्धांतों का निर्माण, कार्यान्वयन तथा समय समय पर समीक्षा करें। ऐसी नीति में शामिल होने चाहिए :

(अ) भंजन के लिए पोतों के आयात और तैयारियों का नियंत्रण;

(ब) रोजगार एवं कार्यगत परिस्थितियां, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार और श्रमिकों का कल्याण;

(स) लोगों और पोतभंजक कार्य स्थलों के आसपास के पर्यावरण दोनों का संरक्षण। पोतभंजन पर नीति को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कार्यगत पर्यावरण पर एक समग्र नीति का हिस्सा बनना चाहिए जैसी कि **व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समझौता 1981 (संख्या 155)** में मांग की गयी है।

3.1.2 नीति को चाहिए :

(अ) पोतभंजन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक आधिकारिक व्यवसाय के रूप में मान्यता दे;

(ब) खतरों की पहचान और कार्यगत पर्यावरण में विद्यमान सभी स्थितियों से पैदा होने वाले जोखिमों के उन्मूलन या उन पर नियंत्रण करने के माध्यम से पोतभंजनों गतिविधियों से होने वाली बीमारियों और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की रोकथाम पर केंद्रित हो;

(स) विशिष्ट कानूनों और विनियमों द्वारा समर्थित हो तथा उनके प्रवर्तन के लिए निरीक्षण की प्रभावी प्रक्रियाओं से लैस हो।

3.1.3 एक सुसंगत नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए उपायों को सुनिश्चित करने में सक्षम प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक भागीदारों की पहचान करनी चाहिए और;

(अ) सभी राष्ट्रीय/स्थानीय प्राधिकारियों, उद्योग भागीदारों, श्रम निरीक्षणालयों, श्रम आपूर्ति अभिकर्ताओं, नियोक्ताओं और श्रमिकों तथा उनके संगठनों के अपने अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की स्थापना करनी चाहिए;

(ब) पोतमालिकों, पोत-दलालों, मालिकों/सुविधाओं के पहरेदारों, निविदाकर्ताओं, निर्माताओं, रचनाकारों और उपकरणों तथा पदार्थो के आपूर्तिकर्ताओं के निश्चित दायित्वों का ब्यौरा देना चाहिए;

(स) विभिन्न प्राधिकारियों और उपरिलिखित इकाइयों के बीच आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रथाओं के उपयुक्त व्यवस्थाएं प्रदान करनी चाहिए;

(द) पोतभंजन गतिविधियों में काम कर रहे ठेकेदारों एवं श्रमिक भागीदारी के संदर्भ में आवश्यकताओं का ब्यौरा देना चाहिए।

3.1.4 नीति को प्रभाव प्रदान करने के लिए, सक्षम प्राधिकारियों को चाहिए:

(अ) भंजन के लिए पोतों के उपयुक्त आयात और तैयारियों के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना करें;

(ब) पोतभंजन सुविधाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का दायरा प्रदान करने के संदर्भ में उपयुक्त व्यवस्थाएं करें;

(स) कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना करें;

(द) उपयुक्त उपायों जैसे कि कानूनों, विनियमों एवं निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करें कि सभी पोतभंजन श्रमिक, उनकी रोजगार स्थितियों का ध्यान न करते हुए :

(i) संरक्षण और नियंत्रणों दोनों से लाभान्वित हों जो कि अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों के साथ तुलनीय हो; और

(ii) रोकथाम के लिए ठीक उन्हीं आवश्यकताओं के विषय हों।

(क) बड़ी समस्याओं की पहचान करने सही, कार्रवाइयों का प्रस्ताव करने, कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं तय करने और परिणामों का मूल्यांकन करने के विचार के साथ स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का नियंत्रण या उन्मूलन करने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रथाओं की नियमित समीक्षा करें ;

(ख) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में परिवर्तनों पर विचार करें;

(ग) खतरों, जोखिम और नियंत्रण उपायों के मूल्यांकन के संदर्भ में तथा उपयुक्त व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक व्यवस्थित पहुंच को बढ़ावा दें;

(घ) निम्न के लिए व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन और निरीक्षण करें :

(i) कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य और दुर्योगों की सूचना, अंकन, अधिसूचना, जांच और मुआवजा (देखें अध्याय 5) और

(ii) सभी पोतभंजक श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विकास (देखे अध्याय 6);

(iii) श्रम निरीक्षण की एक उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय ओएसएच कानूनों और नियंत्रणों का सुनिश्चित प्रवर्तन;

(च) रोजगार की परिस्थितियों (कार्य का समय, विराम और अवकाश, भुगतान इत्यादि) और कार्य की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करें;

(छ) *व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्रों पर* आईएलओ *दिशानिर्देशों (आईएलओ-ओएसएच2001)* पर आधारित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रबंधनतंत्रों के एकीकरण और कार्यान्वयन को बढ़ावा दें।

3.1.5 सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा पारित या मान्यता प्राप्त एक निकाय को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तकनीकी मानकों के सामंजस्य में कार्यगत पर्यावरण के नियंत्रण एवं मूल्यांकन के लिए अरक्षितता की सीमाओं या अन्य अरक्षितता मापदंडों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन बनाने की स्थापना करनी चाहिए।

3.1.6 यदि सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए न्यायोचित हो तो सक्षम प्राधिकारी की निम्न शक्तियां होनी चाहिए :

(अ) निश्चित खतरनाक प्रक्रियाओं या पदार्थों को प्रतिबंधित या सीमित करें; या

(ब) ऐसी प्रक्रियाओं या पदार्थों के उपयोग से पहले पूर्व सूचना देने या अनुमति लेने की जरूरी बनायें; या

(स) खतरनाक प्रक्रियाओं या पदार्थों के उपयोग में संलग्न श्रमिकों की श्रेणियों पर, सुरक्षा और स्वास्थ्य के कारण के लिए प्रतिबंध लागू करे।

3.2 कानूनी संरचना

3.2.1 राष्ट्रीय कानूनों और नियंत्रणों को चाहिए :

(अ) पोतभंजन गतिविधियों में रोजगार कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करें; और

(ब) उपरोक्त अनुच्छेद 3.1.3 से 3.1.6 तक में सक्षम प्राधिकारी के लिए स्थापित बाध्यताओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन का समर्थन करें।

राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रथाओं के साथ सामंजस्य से, राष्ट्रीय कानूनों और नियंत्रणों को व्यवहार में तकनीकी मानकों, व्यवहार संहिताओं या आधिकारिक मार्गनिर्देशन द्वारा अनुपूरित होना चाहिए।

3.2.2 राष्ट्रीय कानूनों और नियंत्रणों को विशिष्ट प्रकार की पोतभंजन सुविधाओं तथा रोजगार में श्रमिकों की स्थिति के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त होना चाहिए और चाहिए :

(अ) कि वे अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ), अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) एवं खतरनाक कचरे के सीमापारीय आवागमन तथा निपटान नियंत्रण पर आधारभूत समझौते द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों और सूचनाओं के प्रासंगिक लागू होने योग्य प्रावधानों को प्रतिबिम्बित करें।

(ब) कि वे इस प्रकार गठित हों कि वे प्रौद्योगिकीय विकास एवं नयी स्थितियों तथा मानकों का ध्यान रख सकें।

(स) कि वे यह स्पष्ट करें कि एक पोतभंजन सुविधा के नियोक्ता पर ही सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में अपने श्रमिकों की सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी है, वह ओएसएच गतिविधियों के लिए नेतृत्व प्रदान करें और निम्न प्रमुख सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हों :

(i) प्रासंगिक राष्ट्रीय ओएसएच एवं अन्य कार्य संबंधी कानूनों और नियंत्रणों का अनुपालन;

(ii) सुविधा के भीतर सभी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का संरक्षण;

(iii) सुनिश्चित करना कि ओएसएच मामलों में सक्रियता से भाग लेने के लिए श्रमिकों एवं उनके संगठनों से विचार विमर्श और उन्हें प्रोत्साहित किया गया है।

(iv) ऐसी व्यवस्थाओं और निधियों को लागू करने, उनके रखरखाव और निरंतर सुधार का ध्यान रखा गया है जो सुरिक्षत हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरारहित हैं।

3.3 श्रम निरीक्षणालयों के कर्तव्य

3.3.1 श्रम निरीक्षणालयों को चाहिए :

(अ) कि वे समय-समय पर नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण करें और पोतभंजन सुविधाओं पर सभी प्रासंगिक कानूनों और नियंत्रणों के प्रवर्तन के साथ अनुपालन की निगरानी करें;

(ब) कि वे गतिविधियों के सुरक्षित प्रदर्शन, खास तौर से सुरक्षित कार्य विधियों एवं उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के विकल्प तथा उपयोग पर नियोक्ताओं और उनके श्रमिकों को सलाह प्रदान करें;

(स) कि वे सुरक्षा उपायों के आगामी विकास और संशोधन हेतु पोषण प्रदान करने के लिए तुलनात्मक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पोतभंजन सुविधाओं के प्रदर्शन एवं सुरक्षा जरूरतों की निगरानी करें;

(द) कि वे नियोक्ताओं और श्रमिकों के मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ सहयोग से राष्ट्रीय तथा उपक्रम स्तरों पर स्वीकृत किये जाने के लिए सुरक्षा नियमों और उपायों के निर्माण और उन्हें अद्यतन करने में भागीदारी करें;

3.3.2 श्रम निरीक्षकों को चाहिए :

(अ) पोत भंजन के साथ जुड़ी विशेष समस्याओं से निपटाने में सक्षम बनें और समर्थन तथा सलाह प्रदान करने के योग्य बनें;

(ब) आवश्यक उपचारयुक्त कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए निरीक्षण के निष्कर्षो के बारे में संबंधित व्यक्ति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समितियों या श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सूचित करें;

(स) समय-समय पर यह निधार्रित करें कि क्या एक विद्यमान ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था या ओएसएच तत्व अपने स्थान पर मौजूद हैं, पर्याप्त हैं और प्रभावी हैं।

3.3.3 श्रम निरीक्षकों के अधिकारों, प्रक्रियाओं और दायित्वों का ब्यौरा सभी प्रभावित पक्षों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

3.4 नियोक्ताओं के सामान्य दायित्व

3.4.1 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कार्यगत व रहनसहन के पर्यावरण का संरक्षण पोतभंजन सुविधा के नियोक्ता का समग्र दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में वर्णित है। नियोक्ता को ओएसएच गतिविधियों जिनको कि पोत भंजन सुविधा के लिए विशिष्ट रूप से तैयार एक ओएसएच प्रबंधन तंत्र की स्थापना के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, के प्रति मजबूत नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। (देखें इन दिशानिर्देशों का अध्याय 4 और अनुलग्नक III)।

3.4.2 नियोक्ताओं को चाहिए :

(अ) विभिन्न कार्यो, औजारों, मशीनों, उपकरणों और पदार्थो के उपयोग से प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कार्यस्थल पर उत्पन्न

होने वाले खतरनाक परिवेशी कारकों से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले जोखिमों और खतरों की पहचान और समय समय पर मूल्यांकन की व्यवस्था करें;

(ब) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ सुसंगति से उन जोखिमों और खतरों की रोकथाम करने या उन्हें न्यूनतम तार्किक या स्वीकार योग्य स्तर तक घटाने के लिए आवश्यक उपयुक्त रोकथामकारी और संरक्षणात्मक उपायों को कार्यान्वित करें।

3.4.3 इन व्यवस्थाओं को चाहिए :

(अ) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के प्रावधानों तथा इन दिशानिर्देशों में की गयी सिफारिशों के साथ सुसंगति बनाएं ;

(ब) सुविधा के लिए विशिष्ट हों और इसके आकार तथा इसकी गतिविधियों की प्रकृति के लिए उपयुक्त हों;

(स) पोतभंजन सुविधा में एक सफल व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्र का आवश्यक तत्व बनें।

3.4.4 नियोक्ताओं को चिन्हित या निम्न द्वारा विकसित सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए :

(अ) अंतरराष्ट्रीय समझौते, व्यवहार संहिताएं या मार्गदर्शिकाएं, जैसा उपयुक्त हो;

(ब) राष्ट्रीय कानूनों एवं तकनीकी मानकों, व्यवहार संहिताओं और अधिकारिक मार्गनिर्देशन (देखें इन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.4.1 और 3.2.2) से, और

(स) कोई भी स्वैच्छिक कार्यक्रम या संधि जिसके प्रति उपक्रम ने समर्थन व्यक्त किया हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, मंजूर या मान्यता प्राप्त हो।

3.4.5 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुरूप, नियोक्ताओं को चाहिए :

(अ) ऐसे कार्य स्थल, उपकरण, औजार और मशीनों प्रदान करें तथा उनका रखरखाव करें जो कि सुरक्षित हों और स्वास्थ्य के लिए बिना खतरे वाले हों और कार्य का ऐसा संगठन करें जो कार्य में खतरनाक परिवेशी कारकों का उन्मूलन या नियंत्रण करें ;

(ब) निम्न को प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें :

(i) कार्य और कार्य प्रथाओं का पर्याप्त और सक्षम पर्यवेक्षण;

(ii) उपयुक्त नियंत्रण उपायों का प्रयोग और उपयोग और समय समय पर उनकी प्रभाविता की समीक्षा; और

(iii) श्रमिकों को और जहां तक उपयुक्त हों, उनके प्रतिनिधियों को उपयुक्त और नियमित ओएसएच शिक्षण तथा प्रशिक्षण; और

(iv) नियमित श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी (देखें अनुलग्नक I), और जहां आवश्यक हो, कार्यगत पर्यावरण की निगरानी (देखें अनुलग्न II)

(स) कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य, और घटनाओं जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम या खतरे में संलग्न हो सकती हैं से निपटने के लिए व्यवस्थाओं की स्थापना करें।

3.5 श्रमिकों के सामान्य कर्तव्य

3.5.1 श्रमिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने प्रशिक्षण, निर्देशों और अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रदत्त उपायों के अनुसार :

(अ) निर्धारित सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों का पालन करें ;

(ब) निम्न के लिए सभी तार्किक कदम उठाएं

(i) अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी अन्य व्यक्ति की भी जो कार्यस्थल पर उनके कार्यों या अनाचरण के परिणाम स्वरूप खतरे में पड़ सकता है,

(ii) स्वयं के या अन्य के लिए होने वाले जोखिम या खतरों के उन्मूलन या नियंत्रण के लिए सभी तार्किक कदम उठाएं, जिनमें इस उदेश्य के लिए उनके जिम्मे रखे गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और वस्त्रों, सुविधाओं और औजारों का समुचित उपयोग और देखभाल शामिल है।

(स) कोई भी स्थिति जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने के तार्किक कारण हों कि वह उनके जीवन और स्वास्थ्य, या अन्य लोगों के लिए एक अवश्यंभावी और गंभीर खतरा पैदा करती है, और जिससे वे लोग अपने आप समुचित ढंग से नहीं निपट सकते, के बारे में अपने आप को हानि पहुंचाए बिना अपने निकटतम निरीक्षक को अविलंब खबर करें;

(द) किसी भी दुर्घटना या स्वास्थ्य की हानि जो कार्य के दौरान या कार्य के संबंध से उत्पन्न हुई है, के बारे में जिम्मेदार निरीक्षक या प्रबंधक को खबर करें;

(क) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार नियोक्ता एवं श्रमिकों के लिए स्थापित दायित्वों और कर्तव्यों का अनुपालन होने देने के लिए नियोक्ता एवं अन्य श्रमिकों के साथ सहयोग करें।

3.6 श्रमिकों के अधिकार

3.6.1 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ सामंजस्य में, श्रमिकों को निम्न अधिकार होने चाहिए:

(अ) कार्य में परिवेशी कारकों से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले जोखिमों या खतरों को अपने प्रतिनिधियों, नियोक्ता या सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं;

(ब) यदि उन्हें लगता है कि नियोक्ता द्वारा किये गए उपाय या उठाये गए कदम कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उदेश्य के लिए अपर्याप्त हैं या वे विश्वास करते हैं कि नियोक्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में कानूनों, विनियमों और व्यवहार संहिताओं का पालन करने में असफल साबित हो रहा है तो वे सक्षम प्राधिकारी या श्रम निरीक्षणालय के समक्ष (बिना पूर्वग्रह या खुद को खतरे में डाले) अपील करें ;

(स) जब उनके पास यह विश्वास करने के तार्किक प्रतिवाद मौजूद हों कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को अवश्यंभावी और गंभीर खतरा है तो वे अपने आप को खतरे से हटा लें। ऐसे श्रमिकों को अपने निरीक्षक को अविलंब सूचित करना चाहिए। और उन्हें तब तक काम की स्थितियों पर लौटने की जरूरत नहीं है जब तक कि मामला दुरुस्त नही हो जाता;

(द) व्यावसायिक चोटों और बीमारियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार एवं मुआवजा प्राप्त करें और हर प्रकार की बीमारियों या चोटों के परिणामस्वरूप होने वाली स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा पाएं;

(क) यदि सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले जोखिमों या खतरों के बारे में प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं; तो ऐसे उपकरणों, प्रक्रिया या पदार्थो के उपयोग से दूर रहें जिनका तार्किक रूप से खतरनाक होना संभावित है।

(ख) ऐसे औजारों, मशीनों और उपकरणों को संचालित करने या उनमें हस्तक्षेप करने से दूर रहें जो कि संचालन, रखरखाव या उपयोग के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त नहीं है।

3.6.2 जहां उनके पास यह विश्वास करने के उत्तम आधार मौजूद हो कि एक गतिविधि या एक कार्य की परिस्थिति स्वास्थ्य के लिए क्षति का कारण बन सकती है, वहां श्रमिकों को खुद पर भार डाले बिना पर्याप्त चिकित्सा परीक्षण का अधिकार होना चाहिए। यह चिकित्सकीय परीक्षण व्यावसायिक बीमारियों की पहचान के लिए हुए किसी भी चिकित्सीय परीक्षण का ध्यान किये बिना उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रमिकों को परीक्षण के परिणामों की समय से उदेश्यपरक और बोधगम्य जानकारी देनी चाहिए।

3.6.3 श्रमिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय, कानूनों, विनियमों और प्रथाओं द्वारा निर्दिष्ट श्रमिक प्रतिनिधत्व प्राप्त करने के एक उपाय के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव या नियुक्ति कर सकें।

3.6.4 श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों को चाहिए :

(अ) कि कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए किसी भी जोखिम या खतरे के संदर्भ में विचार विमर्श करें ;

(ब) कार्य में खतरनाक परिवेशी कारकों के कारण सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले किन्हीं भी जोखिमों या खतरों के संदर्भ में नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करें और इनकी जांच करें। यह सूचना ऐसे प्रारूप और भाषाओं में प्रदान की जानी

चाहिए जिसे श्रमिक समझ सकें;

(स) नियोक्ता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा खतरनाक परिवेशी कारकों से सुरक्षा और स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों और खतरों के मूल्यांकन और प्रासंगिक नियंत्रण उपायों तथा जांच का आग्रह करें और उसमें सम्मिलित हों;

(द) श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी शुरू करने, इसके विकास और कार्यान्वयन में संलग्न हो।

3.6.5 श्रमिकों को प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और जहां, आवश्यक हो प्रशिक्षण ऐसे रूपों और भाषाओं में होना चाहिए जिन्हें वे आसानी से समझ सकें। प्रशिक्षण में ऐसी सर्वाधिक प्रभावशाली उपलब्ध विधियों को शामिल किया जाए जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए होने वाले खतरों को न्यूनतम करती हों।

3.7 आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और संरचनाकारों के सामान्य दायित्व

3.7.1 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ सामंजस्य से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय किये जाने चाहिए कि वे लोग जो पोतभंजन अभियानों में उपयोग के लिए रूपरेखाएं बनाते हैं, मशीनों, उपकरणों, या पदार्थो या निर्माण, आयात, आपूर्ति या स्थानांतरण करते हैं;

(अ) अपने आप में संतुष्ट हों कि मशीनें, उपकरण या पदार्थ उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं बनेंगे जो इनका सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं;

(ब) उपलब्ध कराएंगे :

(i) मशीनों और उपकरणों को सही ढंग से स्थापित और उपयोग करने तथा पदार्थों के सही उपयोग के बारे में सूचनाएं;

(ii) मशीनों और उपकरणों के खतरों से संबंधित सूचनाएं; खतरनाक पदार्थो के खतरे वाले लक्षण; तथा शारीरिक कारक या उत्पाद;

(iii) इस बारे में सूचना कि किस प्रकार ज्ञात खतरों को टाला जा सकता है।

3.7.2 उन लोगों को जो पोतभंजन सुविधाओं और कार्यस्थलों की रूपरेखा बनाने और निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं विशेषज्ञों के साथ गहन सहयोग से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

(अ) पोतभंजन सुविधाओं व प्रक्रियाओं से खतरनाक परिवेशी कारकों के स्तरों को न्यूनतम कर दिया गया है और वे स्तर राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप हैं; और

(ब) उनकी रूपरेखा एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत वातावरण को प्रोत्साहन देती है।

3.8 ठेकेदारों के सामान्य दायित्व और अधिकार

3.8.1 ठेकेदारों को कार्यस्थल पर पोतभंजन सुविधाओं द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं का अनुपालन करना चाहिए जिनमें निम्न प्रावधान होने चाहिए :

(अ) ठेकेदारों के मूल्यांकन और चयन के लिए होने वाली प्रक्रियाओं मे ओएसएच मापदंड शामिल हों;

(ब) काम शुरू करने से पहले सुविधा के उपयुक्त स्तरों और ठेकेदारों के बीच प्रभावी रूप से जारी रहने वाले संवाद और सहयोग की स्थापना हो। इसमें जोखिमों और उनकी रोकथाम तथा नियंत्रण के उपायों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रावधान शामिल हो;

(स) सुविधा के लिए कार्य शुरू करने की अनुमति देते वक्त ठेकेदार के श्रमिकों के बीच कार्यगत चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य और दुर्योगों की खबर देने के लिए व्यवस्थाएं शामिल हों;

(द) कार्यशुरू करने से पहले और कार्य की प्रगति के दौरान जैसा आवश्यक हो ठेकेदारों और उनके श्रमिकों को प्रासंगिक कार्यस्थलीय सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरों पर जागरूकता और प्रशिक्षण का प्रावधान हो;

(क) कार्यस्थल पर ठेकेदारी गतिविधियों में ओएसएच प्रदर्शन का नियमित निरीक्षण हो; और

(ख) यह सुनिश्चित हो कि कार्यस्थल पर ओएसएच प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का ठेकेदारों द्वारा पालन किया जा रहा है।

3.8.2 जब ठेकेदारों का उपयोग कर रहे हों, तब नियुक्ति करने वाले पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

(अ) ठेकेदारों और उनके श्रमिकों पर ठीक वही सुरक्षा और प्रशिक्षण जरूरतें लागू हो जैसी कि संस्थापन के श्रमिकों पर लागू होती हैं;

(ब) जहां जरूरत हों केवल ऐसे ठेकेदारों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि विधिवत पंजीकृत हो चुके हों या लाइसेंस से धारक हों;

(स) संविदाओं में सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों तथा साथ ही साथ इनका पालन करने के मामले में लगने वाले प्रतिबंधों और आर्थिक दंडों का ब्योरा दिया जाए। संविदाओं नियुक्ति कर्ता पक्ष द्वारा निरीक्षकों को प्रदत्त वे अधिकार भी शामिल हों जिनके तहत वह जब भी गंभीर चोट का खतरा महसूस करें तो काम रूकवा दें और अभियानों को तब तक निलम्बित रखें जब तक कि आवश्यक उपचारों की स्थापना नहीं कर दी जाती;

(द) वे ठेकेदार जो बार-बार अपने संविदागत दायित्वों का उल्लंघन करें, उन्हें आगामी बोलियों से बाहर कर दिया जाए।

3.9 सहयोग

3.9.1 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ सामंजस्य से, खतरनाक परिवेशी कारकों से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरों के उन्मूलन या नियंत्रण के संबंध में सहयोग के लिए उपाय किये जाने चाहिए, जिनमें निम्न भी शामिल हों :

(अ) अपने दायित्वों से विमुक्त होने में नियोक्ताओं को, श्रमिकों और/या उनके प्रतिनिधियों के साथ जितना अधिक संभव हो, गहन सहयोग करना चाहिए;

(ब) श्रमिकों को अपने पिछले दायित्वों द्वारा विमुक्त होते समय अपने साथी श्रमिकों और अपने नियोक्ताओं के साथ जहां तक संभव हो गहन सहयोग करना चाहिए और सभी निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन करना चाहिए;

(स) सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए किन्हीं भी असामान्य जोखिमों या खतरों के मूल्यांकन के लिए इच्छित और जैसी भी उपलब्ध हों वैसी सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए जोकि कार्य में किसी निश्चित खतरनाक परिवेशी कारक का परिणाम हो सकते हैं।

3.9.2 जब भी एक कार्यस्थल पर एक ही परियोजना पर चल रही गतिविधियों में दो या अधिक सेवा प्रदाता ठेकेदार संलिप्त हों; तब नियोक्ताओं को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित हो। सहयोग में उनकी गतिविधियों से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों पर सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान, इन खतरों के खिलाफ सुरक्षा के लिए किये गए उपायों का तालमेल और निरीक्षण के लिए स्पष्ट व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

3.9.3 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए जोखिमों या खतरों के नियंत्रण या उन्मूलन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियोक्ताओं, श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों को इन दिशानिर्देशों द्वारा प्रदान किये गए उपायों और विभिन्न समझौते के प्रावधानों दोनों को लागू करने में जितना अधिक संभव हो उतना सहयोग करना चाहिए खासतौर से, कार्यगत वातावरण (वायु प्रदूषण, शोर एवं कंपन) समझौता (संख्या 148) और सिफारिश (संख्या 156), 1977; व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समझौता (संख्या 155), और सिफारिश (संख्या 164), 1981; व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं समझौता (161), और सिफारिश (संख्या 171), 1985; रसायन समझौता (संख्या 170), और सिफारिश (संख्या 177), 1990, और अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय आईएलओ मानकों का जैसा कि संदर्भ सूची में संकेत किया गया है।

4 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन

4.1 परिचय

4.1.1 एक पोतभंजन सुविधा में कार्यगत परिस्थितियों को सुधारने की प्रक्रिया को उन्हें तर्कसंगत मानकों के स्तर तक लाने के क्रम में व्यवस्थित रूप से लागू करना चाहिए। स्वीकार योग्य व्यावसायिक सुरक्षा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से; स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परिस्थितियां, उनकी निरंतर समीक्षा के लिए स्थायी संरचनाओं में निवेश, योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और कार्रवाई आवश्यक है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रबंधन तंत्रों को लागू किया जाना चाहिए। इन तंत्रों को सुविधाओं के अनुसार विशिष्ट एवं उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के उपयुक्त होना चाहिए। उनकी रूपरेखा और सुविधा तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्रों पर आईएलओ दिशानिर्देशों आईएलओ-ओएसएच 2001 द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अधिक जानकारी अनुलग्न III में दी गयी है।

4.1.2 आदर्श रूप में, एक ओएसएच प्रबंधन तंत्र में निम्न मुख्य तत्वों को शामिल होना चाहिए

(अ) ओएसएच नीति;

(ब) अधिशासी संगठन के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि दायित्व और उत्तरदायित्व की स्थापना, प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण, संचार और सूचना;

(स) जोखिम एवं खतरे का मूल्यांकन, ओएसएच गतिविधियों की योजना बनाना और कार्यान्वयन;

(द) ओएसएच प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार के लिए कार्रवाई।

4.2 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति

4.2.1 पोतभंजन सुविधा के लिए ओएसएच नीति में, न्यूनतम के रूप में, निम्न मुख्य सिद्धांतों और उदेश्यों को शामिल होना चाहिए जिनके प्रति कि सुविधा प्रतिबद्ध है;

(अ) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और नेतृत्व;

(ब) ओएसएच को समग्र प्रबंधन संरचना के आंतरिक भाग के रूप में और ओएसएच प्रदर्शन को सुविधा के व्यवसाय प्रदर्शन के आंतरिक भाग के रूप में मान्यता देना ;

(स) कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य एवं दुर्योगों की रोकथाम के द्वारा सुविधा के सभी सदस्यों के सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करना ;

(द) प्रासंगिक ओएसएच राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों, स्वैच्छिक कार्यक्रमों, ओएसएच तथा अन्य आवश्यकताओं जिनके लिए सुविधा का उपयोग किया जाता है, पर सामूहिक अनुबंधों का अनुपालन करना;

(क) यह सुनिश्चित करना कि ओएसएच प्रंबधन तंत्र के सभी तत्वों में सक्रिय भागीदारी के लिए श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है और प्रोत्साहित किया गया है; और

(ख) ओएसएच प्रबंधन तंत्र के प्रदर्शन में सुधार जारी रहे।

4.3 आरंभिक समीक्षा

4.3.1 कार्य शुरू होने से पहले, सक्षम व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ, जैसा उपयुक्त हो विचार विमर्श करके एक आरंभिक समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें निम्न को शामिल करना चाहिए :

(अ) आवश्यक कार्य प्रक्रियाओं और संबद्ध खतरों की पहचान करना;

(ब) विद्यमान या प्रस्तावित कार्यगत वातावरण या कार्य संगठन से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों का मूल्यांकन करना ;

(स) वर्तमान अनुपालन योग्य राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों, विशिष्ट मार्गनिर्देशिकाओं, स्वैच्छिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में चलाये जाने के लिए अन्य प्रासंगिक जरूरतों की पहचान करना;

(द) यह निर्धारित करना कि क्या नियोजित या विद्यमान नियंत्रण जोखिमों के उन्मूलन या खतरों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त हैं; और

(क) अन्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना, खासतौर से वे आंकड़े जो श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी से प्रदान किये गए हैं (देखें अनुलग्न I), कार्यगत वातावरण की निगरानी से प्रदान किये गए हैं, (देखें अनुलग्न II) और यदि उपलब्ध हों तो सक्रिय एवं प्रतिसक्रिय निरीक्षण का विश्लेषण करना।

4.3.2 आरंभिक समीक्षा का पोतभंजन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यवस्थित विकास करने में और ओएसएच नीति की योजना बनाने तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन में आधार के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। पोतभंजन प्रक्रिया की बदलती प्रकृति के कारण एक पोत विशिष्ट सुरक्षित भंजन योजना का विकास करने के लिए प्रत्येक पोत पर समीक्षा संचालित करनी चाहिए (देखें खंड 7.2)।

4.4 जोखिम की पहचान एवं खतरे का मूल्यांकन, रोकथाम एवं सुरक्षा के उपाय

4.4.1 उन कार्यो के लिए जो अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण श्रमिकों को खतरनाक रसायनों, शारीरिक या जैविक कारकों, मनो सामाजिक कारकों एवं वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति अरक्षित करते हैं, प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कार्यस्थल पर सुविधा एवं हर एक नये आने वाले पोत दोनों में, विभिन्न अभियानों, औजारों, मशीनों, उपकरणों और पदार्थो के उपयोग से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले इन जोखिमों और खतरों की पहचान की जानी चाहिए। इस समीक्षा का अन्य उपलब्ध आंकड़ों के साथ एक सुरक्षित पोतभंजन योजना बनाने में उपयोग किया जाना चाहिए।

4.4.2 नियोक्ताओं को राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार चिन्हित जोखिमों और मूल्यांकित खतरों की रोकथाम के लिए या उन्हें न्यूनतम प्रासंगिक एवं व्यावहारिक स्तर तक घटाने के लिए आवश्यक रोकथामकारी व सुरक्षात्मक उपायों की योजना का निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए।

4.4.3 रोकथामकारी और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता के निम्नक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए;

(अ) जोखिम/खतरे का उन्मूलन करें ;

(ब) अभियांत्रिकी नियंत्रणों या संगठनात्मक उपायों के माध्यम से जोखिम/खतरे को स्त्रोत पर ही नियंत्रित करें;

(स) सुरक्षित कार्य व्यवस्था, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण उपाय भी शामिल हों, की रूपरेखा के द्वारा जोखिम/खतरे को न्यूनतम करें; और

(द) जहां अवशिष्ट जोखिमों/खतरों को सामूहिक उपायों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहां नियोक्ताओं को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए जिनमें श्रमिकों के बिना लागत के वस्त्र शामिल हैं और इनका उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित करने के उपायों को कार्यान्वित करना चाहिए।

4.5 योजना एवं कार्यान्वयन

4.5.1 आरंभिक समीक्षा, तदंनतर समीक्षा या अन्य आंकड़ों के आधार पर, पर्याप्त और उपयुक्त ओएसएच योजना के लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जिनमें निम्न को शामिल होना चाहिए :

(अ) विद्यमान खतरों को जहां तक संभव हो एक निम्न स्तर तक काम करने के लिए ओएसएच उद्देश्यों की एक स्पष्ट परिभाषा, प्राथमिकता की स्थापना और जहां उपयुक्त हो परिमाणन;

(ब) प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना की तैयारी जिसमें सुस्पष्ट दायित्व एवं स्पष्ट प्रदर्शन के मानक शामिल हों जो यह संकेत करते हैं कि किसके द्वारा क्या और कब किया जाना है;

(स) अनुकूल रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन;

(द) इसकी पुष्टि करने के लिए कि उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है मूल्यांकन के मानकों का चयन;

(क) जैसा उचित हो, पर्याप्त संसाधन जिनमें मानवीय और वित्रीय संसाधन और तकनीकी समर्थन शामिल हों, का प्रावधान।

4.5.2 एक व्यापक योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को ओएसएच प्रदर्शन में जारी सुधार में योगदान करना चाहिए।

4.6 आपात तत्परता

4.6.1 आपात रोकथाम, तत्पर रहने एवं प्रतिक्रिया करने की व्यवस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना चाहिए। इन व्यवस्थाओं को दुर्घटनाओं की संभावनाओं और आपात परिस्थितियों की पहचान करनी चाहिए तथा उनसे संबद्ध ओएसएच जोखिमों की रोकथाम को संबोधित करना चाहिए। व्यवस्थाओं को पोतभंजन सुविधा के स्थान और पर्यावरण के अनुरूप बनाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पोतभंजन अभियान से संबद्ध गतिविधियों के आकार तथा प्रकृति का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि :

(अ) यह सुनिश्चित करें कि सुविधा के स्थान पर कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंतरिक संचार एवं सहयोग के तरीके प्रदान किये गए हैं;

(ब) प्रासंगिक सक्षम प्राधिकारियों, एवं पास पड़ोस तथा आपात प्रतिक्रिया सेवाओं को सूचनाएं प्रदान करें और संवाद बनायें रखें;

(स) प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सकीय सहयोग, अग्निशमन और सुविधा से सभी लोगों को निकालने को संबोधित करें; और

(द) पोतभंजन सुविधा के सभी सदस्यों को, सभी स्तरों पर और उनकी क्षमता के अनुसार, प्रासंगिक सूचना एवं प्रशिक्षण प्रदान करें, जिसमें आपात, रोकथाम तैयारी और प्रतिक्रिया करने की प्रक्रियाओं के नियमित अभ्यास शामिल हों।

5 कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों की खबर देना, दर्ज करना और अधिसूचना

5.1 सामान्य प्रावधान

5.1.1 संस्थापन में कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य और दुर्योगों की खबर देने, दर्ज करने और अधिसूचना देने के लिए व्यवस्थाओं को लागू करने और समीक्षा में (निहित अर्थों के लिए देखें ''शब्दावली''), सक्षम प्राधिकारी को रोजगार चोट लाभ समझौता, 1964 (संख्या 121) और इसकी अनुसूची I, जैसी कि 1980 में संशोधित की गयी है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समझौता, 1981 (संख्या155) के लिए आईएलओ का 2002 का प्रोटोकॉल, व्यावसायिक बीमारी सिफारिशों की सूची, 2002 (संख्या 194) और व्यावसायिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को दर्ज करने और अधिसूचित करने पर आईएलओ व्यवहार संहिता का ध्यान रखना चाहिए।

5.1.2 कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य एवं दुर्योगों की खबर देना, दर्ज करना, अधिसूचित करना और जांच करना, पुनर्सक्रिय निरीक्षण के लिए आवश्यक है और इन्हें निम्न के हेतु किया जाना चाहिए :

(अ) सुविधा और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों के बारे में विश्वासनीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए;

(ब) पोतभंजन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली बड़ी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए;

(स) कार्रवाई की प्राथमिकताओं को सुस्पष्ट करने के लिए;

(द) व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावी विधियों का विकास करने के लिए; और

(क) सुरक्षा और स्वास्थ्य के संतोषजनक स्तर निश्चित करने हेतु उठाएं गए कदमों की प्रभाविता के निरीक्षण के लिए।

5.1.3 राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों या किसी अन्य विधि के द्वारा जोकि राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रथाओं के सुसंगत हों, सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि :

(अ) स्पष्ट करें कि किस श्रेणी या प्रकार की कार्य संबंधी चोटें एवं बीमारियां, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योग खबर करने, दर्ज करने और अधिसूचित करने की जरूरत के विषय हैं; इनमें कम से कम, निम्न तो शमिल होने चाहिए :

(i) सभी गंभीर दुर्घटनाएं;

(ii) व्यावसायिक दुर्घटनाएं जो कार्यगत समय को क्षति पहुंचाती हैं, अमहत्वपूर्ण क्षति के अतिरिक्त अन्य;

(iii) सभी व्यावसायिक बीमारियां जिन्हें कि कार्य संबंधी बीमारियों की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है;

(ब) नियोक्ताओं एवं श्रमिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य इकाइयों द्वारा जैसा उपयुक्त हो, सुविधा के स्तर पर कार्यसंबंधी चोटों व बीमारियों, खराब स्वास्थ्य, दुर्योगों अथवा बीमारियों के मामलों और संदिग्ध मामलों की खबर देने तथा दर्ज करने के लिए समान जरूरतों एवं प्रक्रियाओं की स्थापना तथा अनुपालन कराएं ;

(स) निर्दिष्ट आंकड़ों की अधिसूचना के लिए समान जरूरतों तथा प्रक्रियाओं की स्थापना तथा अनुपालन कराएं एवं स्पष्ट करें, खासतौर से :

(i) संबंधित सूचना सक्षम प्रधिकारी, बीमा संस्थानों, श्रम निरीक्षणालयों, स्वास्थ्य सेवाओं और जहां उपयुक्त हो, सीधा संबंध रखने वाले प्राधिकारियों तथा इकाइयों को अधिसूचित की जाएगी;

(ii) अधिसूचना का समय, और

(iii) अधिसूचना के निर्दिष्ट मानकीकृत प्रारूप का उपयोग किया जाएगा ;

(द) विभिन्न राष्ट्रीय प्राधिकारियों एवं इकाईयों और जब एक ही कार्यस्थल पर एक जैसी गतिविधियों में दो या अधिक उपक्रम संलग्न हों तो उनके बीच आवश्यक तालमेल और सहयोग के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं तैयार करें;

(क) नियोक्ताओं और श्रमिकों को उनके द्वारा कानूनी बाध्यताओं का पालन करने में मदद करने के लिए प्रदान किये जाने वाले मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं करें ;

(ख) इन जरूरतों और प्रक्रियाओं को सभी पोतभंजन गतिविधियों में सभी श्रमिकों पर, रोजगार में उनकी स्थिति को ध्यान में रखे बिना लागू करें।

5.1.4 रोकथाम, दर्ज करने, अधिसूचना और यदि प्रयुक्त हों तो मुआवजा देने के उदेश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्रमिकों और नियोक्ताओं के अधिकांश प्रतिनिधिक संगठनों के साथ विचार विमर्श से व्यावसायिक बीमारियों की एक राष्ट्रीय सूची की स्थापना की जानी चाहिए, इसे जैसा आवश्यक हो चरणबद्ध रूप से उन विधियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के अनुकूल हों। व्यावसायिक बीमारियों की इस निर्दिष्ट सूची को चाहिए कि :

(अ) रोजगार चोट लाभ समझौता 1964 (संख्या 121) जिसे कि 1980 में संशोधित किया गया है, की अनुसूची I में उल्लेखित बीमारियों का ध्यान रखें और

(ब) जिस हद तक संभव हो व्यावसयिक बीमारियों की सूची सिफारिशें, 2002, या प्रासंगिक अद्यतन सूचियों में सूचीबद्ध अन्य बीमारियें को शमिल करें।

5.1.5 राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के साथ सामंजस्य से, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुविधा के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं की गयी हैं जो कि निम्न के संदर्भ में सूचना को दर्ज करने और अधिसूचित करने की जरूरतों को संतुष्ट करने में सक्षम हैं :

(अ) व्यावसायिक चोटों एवं व्यावसायिक बीमारियों के मामलों में लाभों के लिए की गयी व्यवस्था; और

(ब) कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य व दुर्योगों को दर्ज करने व अधिसूचित करने के लिए की गयी व्यवस्था।

5.1.6 सुविधा के श्रमिकों एवं उनके प्रतिनिधियों को निम्न के लिए की गयी व्यवस्थाओं के बारे में नियोक्ता द्वारा उपयुक्त सूचना दी जानी चाहिए :

(अ) व्यावसायिक चोटों एवं व्यावसायिक बीमारियों के मामले में लाभों के लिए जरूरी सूचना को दर्ज करना और उसकी अधिसूचना और

(ब) कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों की खबर देना, दर्ज करना और अधिसूचना।

5.2 सुविधा के स्तर पर खबर देना

5.2.1 नियोक्ता को, उपक्रम में श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद, राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के अनुरूप, ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो श्रमिकों को निम्न की खबर देने की जरूरतों के अनुपालन में समर्थ बना सकें :

(अ) अपने निकटतम पर्यवेक्षक को अपने आप को खतरे में डाले बिना, किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में जिसके बारे में कि उनके पास यह विश्वास करने के न्यायोचित तर्क हैं कि वह जीवन या स्वास्थ्य के लिए अवश्यंभावी और गंभीर खतरा उत्पन्न करती है,

(ब) कोई भी व्यावसायिक चोट, कार्य संबंधी चोट और बीमारी के संदिग्ध मामले, खराब स्वास्थ्य एवं दुर्योगों, जैसा उपयुक्त हो, के बारे में।

5.3 सुविधा के स्तर पर दर्ज करना

5.3.1 नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों के दस्तावेज उपलब्ध हैं और सभी प्रासंगिक अवसरों पर दोहराये जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे मामलों में जहां एक अकेली व्यावसायिक दुर्घटना में एक से अधिक श्रमिक घायल हुए हैं, प्रत्येक चोटिल श्रमिक का एक अलग ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए।

5.3.2 श्रमिकों की मुआवजा बीमा रिपोर्टों एवं दुर्घटना रिपोटों को, जिन्हें कि अधिसूचना के लिए जमा किया गया है, को दस्तावेजों के रूप मे स्वीकृति योग्य होना चाहिए, यदि उनमें दर्ज करने के लिए जरूरी सभी तथ्य शामिल हों या वे एक उपयुक्त प्रकार से अनुपूरित हों।

5.3.3 निरीक्षण उद्देश्यों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए सूचना के रूप में नियोक्ताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में दस्तावेज तैयार करने चाहिए।

5.3.4 श्रमिकों को अपने कार्य प्रदर्शन के दौरान सुविधा के भीतर कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों को दर्ज करने तथा अधिसूचना के लिए व्यावस्थाएं करने के लिए नियोक्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

5.3.5 नियोक्ता को निम्न के संदर्भ में श्रमिकों एवं उनके प्रतिनिधियों को उपयुक्त सूचनाएं देनी चाहिए :

(अ) दर्ज करने की व्यवस्थाओं के बारें में; और

(ब) सक्षम व्यक्ति जिसे कि नियोक्ता के द्वारा कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों पर सूचना प्राप्त करने तथा दर्ज करने के लिए चिन्हित किया गया है।

5.3.6 नियोक्ता को श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों को सुविधा में सभी कार्य संबंधी चोटों एवं बीमारियों, खराब स्वास्थ्य तथा दुर्योगों तथा साथ ही घटित दुर्घटनाओं के बारे में समुचित सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति अरक्षित होने के जोखिमों को घटाने में श्रमिकों और नियोक्ताओं की सहायता की जा सके।

5.4 कार्य संबंधी चोटों की अधिसूचना

5.4.1 सभी व्यावसायिक दुर्घटनाओं के बारे में दुर्घटना पीड़ित के परिवार को सूचित किया जाना चाहिए, जिन्हें कि जितना संभव हो शीघ्रतिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए, और जैसा राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों द्वारा इच्छित हो, सक्षम प्राधिकारी, श्रम निरीक्षणालय, उपयुक्त बीमा संस्थान या किसी अन्य इकाई को भी अविलंब सूचित किया जाना चाहिए :

(अ) एक व्यावसायिक दुर्घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद जोकि जीवन की क्षति का कारण बनी हो;

(ब) अन्य व्यावसायिक दुर्घटनाओं के लिए एक निर्धारित समय के भीतर।

5.4.2 अधिसूचना ऐसे समय के भीतर होनी चाहिए जैसा कि स्पष्ट किया गया हो और निधार्रित विशिष्ट मानकीकृत प्रारूपों या रूपरेखाओं में हो जैसा कि :

(अ) श्रम निरीक्षणालय के लिए एक दुर्घटना की रिपोर्ट;

(ब) बीमा संस्थानों के लिए एक मुआवजा रिपोर्ट;

(स) सांख्यिकी-उत्पादक इकाई के लिए एक रिपोर्ट; या

(द) एक अकेला प्रारूप जिसमें सभी इकाई के लिए आवश्यक आंकड़े शामिल हों।

5.4.3 श्रम निरीक्षणालय, बीमा संस्थानों और सांख्यिकी उत्पादक इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के विचार से निर्धारित प्रारूपों चाहे वह विशिष्ट हो या अकेले हो में कम से कम निम्न पर न्यूनतम सूचनाएं शामिल होनी चाहिए :

(अ) सुविधा और नियोक्ता;

(ब) घायल व्यक्ति (नाम,पता, लिंग एवं आयु; रोजगार स्थिति, व्यवसाय);

(स) चोट का प्रकार, प्रकृति और स्थान;

(द) दुर्घटना और उसका क्रम (दुर्घटना के स्थान की भौगोलिक स्थिति; तिथि एवं समय; कार्य जिसके कारण की दुर्घटना हुई-दुर्घटना का प्रकार)।

5.4.4 दुर्घटना को कम करने एवं और अधिक विस्तृत जानकारी, यदि उपलब्ध हो, के लिए अधिसूचित किये जाने हेतु प्रासंगिक आवश्यक सूचना के विनिर्देशन के लिए राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों को प्रदान किया जाना चाहिए।

5.5 व्यावसायिक बीमारियों की अधिसूचना

5.5.1 राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों को व्यावसायिक बीमारियों की उस अधिसूचना को स्पष्ट करना चाहिए जिसमें कम से कम निम्न सूचनाएं हों :

(अ) सुविधा और नियोक्ता;

(ब) व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति (नाम, रोजगार की स्थिति, बीमारी की पहचान जब हुई हो तब का व्यवसाय; सेवा की अवधि वर्तमान नियोक्ता के साथ सेवा की अवधि);

(स) व्यावसायिक बीमारी (नाम एवं प्रकृति; नुकसानदायी कारक; प्रक्रियाएं या अरक्षितता; कार्य का विवरण; अरक्षितता की अवधि; पहचान की तिथि)।

6 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं

6.1 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं समझौता, 1985 (संख्या 161) एवं सिफारिशें (संख्या 171) के साथ सुसंगति से सक्षम, प्राधिकारी को व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना के लिए प्रावधान करने चाहिए :

(अ) कानूनों या विनियमों द्वारा; और

(ब) सामूहिक अनुबंधों द्वारा या उस अन्य प्रकार से जिस पर कि संबंधित नियोक्ता एवं श्रमिकों द्वारा सहमति जतायी गयी हो; या

(स) किसी अन्य प्रकार से जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधिक संगठनों से विचार विमर्श के उपरांत पारित किया गया हो।

6.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक एकल सुविधा के लिए सेवा के रूप में या जैसा उपयुक्त हो एक ऐसी सेवा के रूप में संगठित किया जा सकता है जो अनेक सुविधाओं के लिए आम हो, ऐसा निम्न के द्वारा किय जा सकता है :

(अ) संबंधित सुविधाओं या सुविधाओं के समूह;

(ब) सार्वजनिक प्राधिकारी या सरकारी सेवाएं ;

(स) सामाजिक सुरक्षा संस्थान या कोई निकाय जिसे सक्षम प्राधिकारी ने मान्यता दी हो।

6.3 नियोक्ता को एक व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा या उस तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, संस्थापन में जिसका मूल कार्य, उद्देश्य और संचालन रोकथामकारी और नियोक्ता के लिए समर्थनकारी होना चाहिए, खासतौर से निम्न के संदर्भ में :

(अ) कार्यस्थल में स्वास्थ्य जोखिमों से होने वाले खतरों की पहचान और मूल्यांकन;

(ब) कार्यगत वातावरण और कार्यगत प्रथाओं में कारकों की निगरानी (देखें अनुलग्नक II) जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें साफ सफाई की व्यवस्थाएं, खानपान सेवाएं और निवास शामिल हैं जहां से सुविधाएं नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं;

(स) कार्य की योजना और संगठन पर सलाह जिसमें कार्यस्थल की रूपरेखा, मशीनों, अन्य उपकरणों तथा कार्य में उपयोग किये जाने वाले पदार्थो के विकल्प, रखरखाव और स्थिति शामिल हैं;

(द) कार्यगत प्रथाओं में सुधार और साथ ही साथ नये उपकरण के स्वास्थ्य पक्ष के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए कार्यक्रमों के विकास में भागीदारी ;

(क) व्यावसायिक व्यवस्था, सुरक्षाएवं स्वच्छता और कार्यिक तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षात्मक उपकरण पर सलाह;

(ख) कार्य के संदर्भ में श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी;

(ग) श्रमिक के लिए कार्य का अनुकूलन;

(घ) व्यावसायिक पुनर्वास के उपायों में योगदान;

(च) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में सूचना, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग;

(छ) प्राथमिक चिकित्सा एवं आपात उपचार का प्रबंध करना;

(ज) कार्य संबंधी दुर्घटनाओं एवं बीमारियों के विश्लेषण में भागीदारी।

6.4 पोतभंजन के कार्य में स्वास्थ्य के लिए जोखिमों की बहुतायत रहती है और इस सत्य और स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

6.5 सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य निगरानी का विषय बनाना चाहिए जिसे कि श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए आईएलओ की तकनीकी एवं नैतिक दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों द्वारा निर्दिष्ट के अनुरूप प्रदान किया जाना चाहिए। ये दिशानिर्देश कुछ व्यवस्थाओं की मांग करते हैं, खासतौर से, निम्न गतिविधियों के संदर्भ में (देखें अनुलग्न I)

(अ) विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी का संगठन;

(ब) स्वास्थ्य मूल्यांकन और सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन;

(स) पूर्व निर्धारित, नियमित और रोजगार बाद का स्वास्थ्य परीक्षण;

(द) श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी के दस्तावेजों और परिणामों का उपयोग।

6.6 कार्यगत वातावरण की निगरानी और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सावधानियों की योजना को इन दिशानिर्देशों के अनुलग्न II की जरूरतों तथा राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों में निर्दिष्ट रूपरेखा के अनुरूप संपन्न किया जाना चाहिए।

6.7 जहां कही भी नये पोत या उपकरण लाए जाते हैं और कार्य की नयी विधियां की आवश्यकता होती है तो वहां स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निहितार्थो के संदर्भ में श्रमिकों को सूचित तथा प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाग II सुरक्षित पोतभंजन अभियान

7 अभियान की योजना

7.1 सामान्य आवश्यकताएं

7.1.1 एक पोत के भंजन को तीन मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है - तैयारी, विनिर्माण और सामग्री (रद्दी) प्रवाह प्रबंधन - इन्हें कार्य प्रक्रियाओं के घटकों की पहचान के लिए आगे भी उपविभाजित किया जा सकता है। पोतभंजन प्रक्रिया को विभाजित करके, व्यक्तिगत लक्ष्यों और तदनंतर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक लक्ष्यों की अधिक आसानी से पहचान और गणना की जा सकती है। इस प्रकार इस प्रयास का उपयोग करके एक पोत का भंजन एक नियंत्रित और प्रबंधित प्रकार से किया जा सकता है ताकि किये जाने वाले कार्य के साथ संलग्न किन्हीं भी खतरों का उन्मूलन या उन्हें न्यूनतम करके श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सके। इस प्रकार के प्रयास का एक उदाहरण नीचे चित्र 1 में आदर्श सुरक्षित पोतभंजन योजना में प्रदर्शित किया गया है। चित्र 1 में प्रदर्शित उदाहरण पोत विशिष्ट हो जाता है जब एक खास पोत के विवरण इस पर लागू किये जाते हैं।

7.1.2 प्रत्येक मुख्य अवस्था का सुरक्षित संपन्न होना अपनायी गयी सुरक्षित कार्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं एवं पोत के भौतिक लक्षणों तथा कचरे द्वारा उत्पन्न खतरों - जोखिमकारी व अन्य जो कि पोत पर मौजूद है या नौका में अंतर्निहित है जबकि उसे भंजन के लिए प्रस्तुत किया जाए के बारे में अग्रिम सूचना देने के प्रावधान पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में यदि विनिर्माण को योजनाबद्ध और सुरक्षित प्रकार से संपन्न किया जाना है तो रेखाचित्रों, योजनाओं, लॉगबुक जिनमें टैंकों का विन्यास इत्यादि शामिल हों के साथ पोत का विवरण और पदार्थो की सूची प्रदान करना आवश्यक है। ग्रीन पासपोर्ट व्यवस्थाएं (देखें नीचे) कुछ आवश्यक सूचनांए प्रदान करेगीं लेकिन मात्र इस सूचना पर निर्भर रहना कार्य योजना के अन्य पक्षों की उपेक्षा की ओर प्रवृत्त कर सकता है।

7.1.3 पोतों के विनिमार्ण में संलग्न सभी दृष्टांतों में, पोत भंजकों को श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजनांए अवश्य तैयार करनी चाहिए। तीन केंद्रीय अवस्थाओं वाला एक प्रयास उन अनेक व्यवस्थित प्रयासों में से एक है जिसे स्वीकृत किया जा सकता है और एक सुरिक्षत पोतभंजन योजना के विकास में उपयोग किया जा सकता है। वस्तुत: एक पोत भंजक को एक ऐसी योजना का अनुवर्तन करना चाहिए जो कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्रों पर आईएलओ-ओएसएच 2001 के दिशानिर्देशों को अंगीकार करता हो (देखें अध्याय 4) या अन्य प्रबंधन तंत्रों का अनुवर्तन कर सकता है जो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षण को सम्मिलित करता हो। जिस भी व्यवस्था का उपयोग किया जाए, उन लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को पुख्ता करने के लिए जो कि विभिन्न शारीरिक मांग वाले अभियानों में संलग्न है, अग्रिम सूचना प्रदान करना और योजना बनाना आवश्यक है। चूंकि पोत भंजन एक जटिल व्यवसाय है अत: यह आवश्यक है कि सभी कार्य व्यवस्थाओं को दर्ज किया जाना चाहिए प्रासंगिक खंडों की प्रतियों को श्रमिकों को उस भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसे कि वे समझते हों।

7.1.4 एक सुरक्षित पोतभंजन योजना को समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य की परिस्थितियों में व्यवस्थित सुधार का भी एक उपाय बनाना चाहिए। पोतभंजन अभियानों को योजनाबद्ध करने के लाभों में कार्य संबंधी दुर्घटनाओं में कमी और उत्पादकता में वृद्धि को शामिल होना चाहिए जिसे कि सुरक्षित कार्य प्रथाओं और संबंद्ध मनोवैज्ञानिक विश्वासों को स्वीकृत करने से प्राप्त किया जा सकता है जो इस जानकारी से उत्पन्न होते हैं कि कार्यस्थल में नियंत्रण का पालन किया जा रहा है।

7.1.5 पोतभंजको को 'सुरक्षा पहले' की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं, श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी (देखें अनुलग्न I), कार्यगत पर्यावरण की निगरानी (देखें अनुलग्न II) और अन्य कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान करके श्रमिकों को पुन: आश्वस्त करना चाहिए।

7.1.6 सभी श्रमिकों को प्रेरित होते और सुरिक्षत कार्यगत प्रक्रियाओं में मूल सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने और जब अवसर की मांग हो, उन्हें प्रासंगिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और वस्त्र मुहैया आवश्यक है। अधिक क्षमता की मांग वाले और खतरनाक कार्य में प्रशिक्षित श्रमिकों जिनकी सक्षमता का परीक्षण हो चुका हो तथा जो विशेषज्ञ कौशल रखते हों का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.1.7 अग्नि की रोकथाम की योजनाओं और कार्रवाईयों का विकास किया जाना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से क्रियान्वित करना चाहिए। कठिन विनिमार्ण प्रक्रिया में प्रगति की शुरूआत निरीक्षणों और अग्नि सुरक्षा कार्रवाइयों से होनी चाहिए। जब कार्य प्रगति पर हो तब प्रशिक्षित अग्निशमन दलों को हर समय उपस्थित रहना चाहिए।

7.1.8 आपात प्रक्रियाओं, बचाव के रास्तों और बचाव योजनाओं का विकास किया जाना चाहिए और अग्निकांडों, विस्फोटों, खतरनाक रसायनों के मुक्त होने और घुटन के संबंध में इनका पूर्वाभ्यास कर लिया जाना चाहिए।

7.1.9 विषम भंजन के घटनाक्रम पर एक योजना-सुरिक्षत पोतभंजन योजना बनायी जानी चाहिए ताकि सुरक्षा और रोकथाम दल अरक्षण, दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों की रोकथाम के लिए प्रतिसक्रिय उपाय करने में समर्थ हो सके। पर्यवेक्षण और भ्रमणकारी सुरक्षा दल गठित किये जाने चाहिए और ऐसी व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो खतरों के होने को टालने के लिए तथा हस्तक्षेप करने के लिए प्रति सक्रिय कदम उठा सकें।

7.1.10 यह दर्ज किया जाना चाहिए कि आदर्श सुरक्षित पोतभंजन योजना जिसका कि उपरोक्त अनुच्छेद 7.1.1 में उल्लेख किया गया है, पोतभजन अनुसूची (खंड 7.2) और जोखिम मूल्यांकन विधियां (अनुलग्न V) मात्र उदहारण के उदेश्य से प्रदान किये गए हैं। वे यह सूचित करने की ओर प्रवृत्त है कि यदि श्रमिकों को अंतर्निहित व्यावसायिक खतरों से विधिवत संरक्षण देने के साथ कार्य को सुरिक्षत रूप से संपनन कराना है तो पोतभंजन अभियानों में एक तार्किक और व्यवस्थित प्रयास को अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

7.2 सुरक्षित पोतभंजन योजना और अनुसूचियां

7.2.1 आदर्श योजनाएं

7.2.1.1 सुरक्षित पोतभंजन योजनाओं को सक्षम व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो सुरक्षित पोतभंजन प्रथाओं और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी रखते हों जिसमें कि पूर्वसावधानी और रोकथामकारी उपाय शामिल हैं जो कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं। आदर्श योजनाओं को प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रबंधको और पर्यवेक्षकों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया जा सकता है और तब उन्हें विशिष्ट पोतों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है जैसे कि प्रत्येक पोत के लिए सूचना और विवरण आवश्यक हो जब एक योजना तैयार हो जाए तब भंजन किये जाने वाले विशिष्ट पोत के अनुसार उन विशेषज्ञों तथा ठेकेदारों से प्राप्त जानकारी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जो कि वास्तविक अभियान में संलग्न रहने वाले हैं।

7.2.1.2 सभी सुरक्षित पोतभंजन योजनाओं को अंतर्निहित के रूप में निम्न सैद्धान्तिक योजना गतिविधियों को सम्मिलित करना चाहिए :

(अ) समग्र भंजन के लिए और प्रत्येक मुख्य अवस्था के लिए आवश्यक कार्यिक कार्य प्रविधियों/प्रक्रियाओं का निर्धारण;

(ब) कार्यिक कार्य प्रविधियों/प्रक्रियाओं और संबंद्ध अनुवर्ती खतरों की पहचान और प्रत्येक के लिए जोखिम का मूल्यांकन;

(स) प्रत्येक प्रविधियों/प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त और पर्याप्त रोकथामकारी और संरक्षणात्मक उपायों का चयन। इस कार्य में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और पोत संबंद्ध सूत्रों से ओएसएच उपायों पर हासिल सूचनाओं का उपयोग जहां तक उपयुक्त हो किया जाए; इसमें किसी अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कि दायित्व, जिम्मेदारी, पर्यवेक्षण, सक्षमता और प्रशिक्षण, खरीद पट्टे पर देने लेने और अनुबंध की विशिष्टताओं का भी ध्यान रखा जाए।

एक पोत का सुरक्षित भंजन पोतभंजकों द्वारा अपने अभियान की अग्रिम योजना बना लेने और ऐसी योजनाओं की अभियान के दौरान और समाप्ति तक निरंतर समीक्षा की मांग करता है।

चित्र 1. आदर्श सुरक्षित पोत भंजन योजना

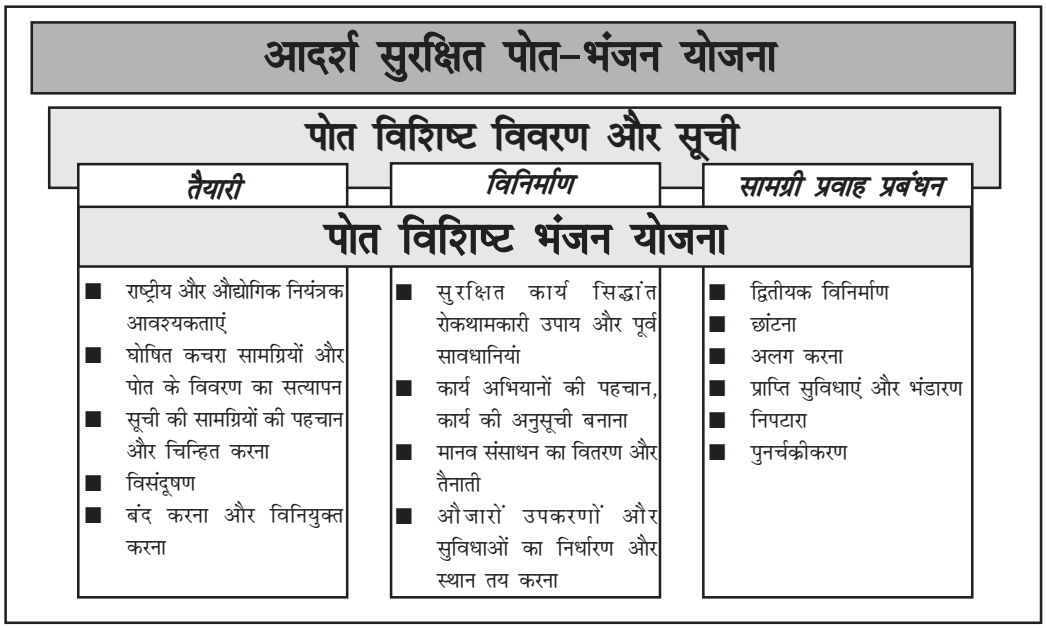

7.2.1.3 चित्र 1 में दिखाये गये नमूने के अनुसार, एक सुरक्षित पोतभंजन योजना के विकास का प्रथम चरण पोत विशिष्ट विवरण और एक सामग्री की सूची प्राप्त करने के साथ शुरू होता है। इस संदर्भ में, एक जलपोत के पहुंचने से पहले दो दस्तावेजों को प्राप्त किया जाना चाहिए; ये हैं :

(अ) विखंडन का प्रमाणपत्र– जैसा कि इस दस्तावेज के अनुच्छेद 2.1.7 में वर्णित है, और

(ब) 'ग्रीन पासपोर्ट'– अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) सभा के प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत– पोतभंजन सुविधा पर पहुंचने के समय जलपोत पर मौजूद उन सभी पदार्थों की एक सूची होती है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से खतरनाक हैं (देखें अनुलग्न IV) इसे पोत के निर्माण के दौरान तैयार किया जाएगा (और पोत की पूरी जीवन अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है) या सेवा कार्य में पोत के निरीक्षण के बाद तैयार किया जाएगा। (देखें शब्दावली)।

7.2.1.4 यदि विखंडन का प्रमाणपत्र और/या ग्रीन पासपोर्ट उपलब्ध न हों तो, न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एक पोत भंजक को, हर मामले में किसी भी भौतिक भंजन के शुरू होने से पहले निम्न का ध्यान रखना चाहिए;

(अ) विखंडित होने वाले पोत पर मौजूद खतरनाक पदार्थों की एक अद्यतन सूची प्राप्त कर लें जिसे कि पोत स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह बेसल कन्वेंशन एंड द इंडस्ट्री कोड ऑफ द इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ शिपिंग (आईसीएस) के अनुरूप होगी (देखें शब्दावली);

(ब) यह सुनिश्चित करें कि स्वामियों, दलालों और भंजकों ने यह सुनिश्चित किया है कि विखंडित होने वाले पोत गर्म कार्यों के लिए गैस मुक्त हैं और विसंदूषित हैं।

(स) यह सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक सूचनाएं (पोत की रूपरेखा, योजना इत्यादि) जोकि एक सुरक्षित पोत भंजन योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं, उपलब्ध हैं।

उपरोक्त सूचनाएं एक सुरक्षित पोतभंजन योजना के विकास और भंजन अभियानों के लिए अतिमहत्वपूर्ण है जिन्हें कि सुरक्षित प्रक्रियाओं और प्रविधियों के अनुपालन के माध्यम से संचालित किया जाना है। इस प्रकार की सूचनाएं योजना का आधार बनाती हैं,

जोकि इस बात की पहचान की पहली प्रवृत्ति और उपाय होता है कि कौन सा खतरा उपस्थित है और कहां है तथा प्राथमिक रोकथामकारी और संरक्षणात्मक उपायों का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाना है।

7.2.1.5 पोत विशिष्ट भंजन योजना की प्रमुख अवस्थाओं का समर्थन करने के लिए पोतभंजन की अनुसूची का विकास किया जाना चाहिए जिसे कि अपनायी जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं को शामिल करते हुए और किये जाने वाले कार्य के क्रमानुक्रम के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। समय बचाने के लिए और उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचियों को तैयार करने का काम उतनी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए जितनी जल्द कि पोत के बारे में सूचनाएं उपलब्ध होने लगें, संभव हो तो पोत को पोतभंजन सुविधा में प्रस्तुत किये जाने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। प्रत्येक मुख्य अवस्था के मुख्य तत्व नीचे चित्र 2 में प्रस्तुत किये गए हैं :

चित्र 2 प्रत्येक मुख्य अवस्था के लिए पोतभंजन अनुसूचियों के विकास के तत्व

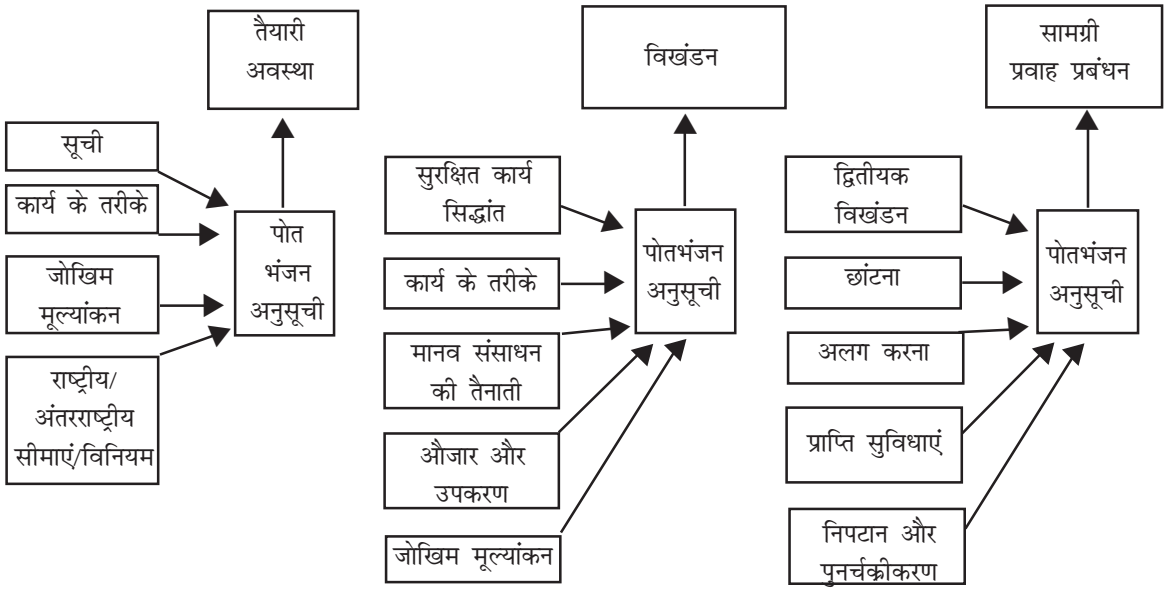

7.2.1.6 एक पोतभंजन अनुसूची को चाहिए :

(अ) प्रत्येक मुख्य अवस्था के लिए प्रत्येक पहचाने गए तत्व के साथ तैयार की जाएं जैसा कि चित्र 2 में इंगित किया गया है, और

(ब) एक प्रगति तालिका की तरह कार्य करे जिसे कि कार्य की प्रगति के साथ साथ चिन्हित किया जा सके।

7.2.1.7 चित्र 3 के अनुरूप, पोतभंजन अनुसूचियों को निम्न की पहचान, व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए :

(अ) प्रत्येक प्रमुख प्रक्रिया (कार्य जो किया जाना है);

(ब) सभी उप प्रक्रियाएं

(स) उपयुक्त जोखिम मूल्यांकन सूचना (जोखिम कारक);

(द) सुरक्षित कार्य रोकथाम उपायों के ब्योरे; और

(क) किन्हीं भी विशेष सुरक्षा उपायों का ब्योरा जिनका कार्यान्वयन होना है।

महसूस किये गए जोखिम मूल्यांकनों से प्राप्त प्रासंगिक सूचनाओं (देखें एक उदाहरण एक आदर्श जोखिम मूल्यांकन प्रारूप का अनुलग्न V में) को चित्र 3 के उपयुक्त जोखिम कारक खाने में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचियां जितना अधिक संभव हों, उतना अधिक ब्योरा प्रदान कर सकें और अनुपूरक दस्तावेजीकरण की शरण में जाने की जरूरत से बचा जा सके।

उस स्थिति में जबकि एक प्रक्रिया का जोखिम मूल्यांकन कार्य शुरू होने से पहले ही कड़े और विशिष्ट सुरक्षा रोकथाम और पूर्व सावधानी उपायों की स्थापना की मांग करता है, अनुसूची को जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज संख्या की ओर संकेत करना चाहिए (जैसा कि चित्र 3 में प्रदर्शित किया गया है – उदाहरण के लिए रिपोर्ट संख्या 15)। प्राथमिक मूल्यांकनों को करने के लिए सामान्य जोखिम मूल्यांकनों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इन्हें उस समय अद्यतन कर लिया जाना चाहिए जबकि जलपोत का सत्यापन/सर्वेक्षण किया जा रहा हो।

चित्र 3. तीन प्रमुख अवस्थाओं के लिए आदर्श पोतभंजन अनुसूचियां

पोतभंजन अनुसूची–सामग्री प्रवाह प्रबंधन पृष्ठ सं. 1

पोतभंजन अनुसूची–विनिर्माण पृष्ठ सं. 1

पोतभंजन अनुसूची–तैयारी पृष्ठ सं. 1

क्रम सं.	प्रक्रिया	उपप्रक्रिया	जोखिम कारक	सुरक्षित कार्य रोकथाम उपाय	विशेष सुरक्षा उपाय
1	राष्ट्रीय और औद्योगिक विनियम	लागू होने योग्य विनियमों की पहचान	लागू नहीं	पोत के प्रकार के विनियमों पर निर्भर	लागू नहीं
2	सत्यापन और सर्वेक्षण	पोत और कचरा सामग्री की पुष्टि	देखें व्यक्तिगत रिपोर्ट	टैंकों के सर्वेक्षण से पहले गैस मुक्त प्रमाणपत्र जांच लें, नौभार के अवशेषों में खतरों की जांच करें	सत्यापन बल में कम से कम 3 लोग हों
3	सूची की सामग्रियों का स्थान और चिन्हीकरण	खतरनाक सामग्री वाले टैंको को चिन्हित करना	निम्न	पीपीई का उपयोग हो	लागू नहीं
4	दस्तावेज	गैस मुक्त करने वाले टैंक	रिपोर्ट संख्या 15 आर एफ 20		
5	दस्तावेज				

7.2.2 तैयारी अवस्था

7.2.2.1 तैयारी अवस्था के भीतर एक जलपोत के पहुंचने से पहले और उस समय तक जब तक कि विनिमार्ण अभियान वास्तविक रूप से शुरू नहीं हो जाते निम्न तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(अ) अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और औद्योगिक विनियम तथा दिशानिर्देश : इनमें शामिल होते हैं, पोत के पुनर्चक्रीकरण पर आईएमओ दिशानिर्देशों के प्रति स्वामी/संचालक की प्रतिबद्धता; आधारभूत समझौते वाले पोतों के पूर्ण या आंशिक विखंडन के पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशानिर्देश, आईसीएस उद्योग व्यवहार संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश या कोई भी अन्य समानांतर विनियामक या व्यवहार संहिता आवश्यकताएं।

(ब) सत्यापन और सर्वेक्षण : 'ग्रीन पासपोर्ट' में उल्लिखित तथ्यों के सत्यापन को शामिल करने के लिए या सामग्री दस्तावेज की अन्य सूची या यदि कोई सूची प्रदान नहीं की गयी है, तो पोत के सर्वेक्षण की व्यवस्था करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें शामिल होता है प्रारंभिक समीक्षा का आभासीकरण (खंड 4.3 भी देखें) और अन्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण, खासतौर से वह जो श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी, सक्रिय और प्रतिसक्रिय निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन समीक्षाओं से यदि उपलब्ध हो तो प्रदान किये गए हैं।

(स) सूची की सामग्रियों का स्थान और चिन्हीकरण : खतरनाक कचरे का ब्योरा देने वाले विवरण स्थापित होने चाहिए और यदि संभव हो तो पोत पर यह स्पष्टतया और अलग-अलग चिन्हित होने चाहिए तथा सुरक्षित पोतभंजन सूचियों, किन्हीं भी कार्यगत रेखाचित्रों, योजनाओं, उपठेकेदारों को दिये गए निर्देशों इत्यादि में स्पष्ट पहचाने जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी श्रमिक उन खतरों के प्रति जागरूक हैं जिनका कि उन्हें सामना करना पड़ सकता है।

(द) विसंदूषण : किसी भी अवशिष्ट गैस को मुक्त करने, टैंको/ खानों की सफाई करने, किसी भी नौभार अवशिष्ट (रसायन या अन्य जो खतरा उत्पन्न करते हैं) को हटाने के कार्य को संपन्न करने और इसके लिए व्यवस्था की योजनाएं बनाना।

(क) बंद करना और अनाधिकृत करना : वे जरूरतें जिनमें जलप्रणाली व्यवस्थाओं, मापयंत्रों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, ईंधन तेल और विद्युत व्यवस्थाओं जैसे कि उत्सर्जक और प्रज्जवलक, ताजा जल व्यवस्थाओं, जल टैंकों और संबद्ध संयोजियों को बंद करना या अनाधिकृत करना शामिल है।

7.2.2.2 नियम अनुपालन दस्तावेजों का सत्यापन तैयारी की अवस्था में ही कर लिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदान की जा रही या घोषित सूचनाओं में कोई कमी नहीं है। ऐसे सत्यापनों में प्रस्तावित दस्तावेजों की उन दस्तावेजों से तुलना शामिल हो सकती है जो कि वास्तव में प्रदान किये गए हैं। जहां गलतियां, भूले या भिन्नताएं पाई जाएं उन्हें सावधानीपूर्व दर्ज करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अंतर को इनमें से किसी भी अनुसूची को श्रमशक्ति को सौंपने से पहले सुलझा लिया जाना चाहिए। उन मामलों में अतिरिक्त सावधानी का अभ्यास करने की जरूरत होती है जब उन सूचियों का सत्यापन कर रहे हों जिनमें कचरा सामग्री या अन्य खतरनाक सामग्रियों का ब्योरा होता है जो कि पोत पर मौजूद हैं।

7.2.2.3 सूची में उल्लेखित अपशिष्ट और खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार की पहचान पोत की सामान्य व्यवस्था योजना (जीए योजना-देखें शब्दावली) को दोहराने के रूप में हो सकती है जिसमें कि सामग्रियों का ब्योरा दिया गया होता है और तत्पश्चात पोत का भौतिक चिन्हीकरण उसके पहुंचने के तुरंत बाद या भंजकों को सौंपने के वक्त कर लिया जाना चाहिए। सूची में दर्ज सभी सामग्रियों का लेखा जोखा अवश्य करना चाहिए तथा किसी भी गलती या भूल (मात्रा और/या वस्तुओं) में/का पता अपशिष्टों या खतरा पहुंचाने वाली सामग्रियों को हटाने के किसी भी प्रयास से पहले लगा लिया जाना चाहिए। सूची की एक दुहरायी गयी तथा पारित प्रति का हमेशा उपसूची के साथ ही हमेशा रखरखाव करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं के मामलों और पोत से हटायी गयी सामग्रियों की गिनती करते समय संदर्भ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वह व्यक्ति जो इसे तैयार करता है और अनुसूची के प्रति जिम्मेदार है, प्रदर्शित होना चाहिए।

7.2.2.4 स्थानों और उपकरणों का विसंदूषण अलग-अलग कक्षों और उपकरणों की वस्तुओं की पहचान के साथ ही साथ प्रत्येक प्रक्रिया को संपन्न करने की विस्तृत व्यवस्थाओं की मांग करता है। अनुसूचियां और सामान्य व्यवस्था योजना, या एक प्रति जिसका कि उपयोग नितांत विसंदूषण प्रक्रिया के साथ किया जाएं, को उन क्षेत्रों, स्थानों और उपकरणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए जिनकी कि कार्य शुरू करने से पहले जांच की जानी जरूरी है। विसंदूषण-खतरनाक संदूषकों को हटाना- में ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जैसे कि गैस मुक्त करना, रासायनिक/नौभार अवशिष्टों इत्यादि की सफाई या उन्हें हटाना।

7.2.2.5 पोत को भंजकों को सौंपने या ऐसे पोत के परिचालन में जो भंजकों को सौंपे जाने के इंतजार में हैं में उपयोग में लायी जाने वाली व्यवस्थाएं भंजन शुरू होने से पहले बंद या अनाधिकृत कर दी जानी चाहिए। आदर्श रूप में इन व्यवस्थाओं में जल प्रणाली व्यवस्थाएं, भापयंत्र, अग्निसुरक्षा, ईधन तेल और विद्युत व्यवस्थाएं, प्रज्जवलक, ताजा जल वाष्पीकरण व्यवस्थाएं, टैंक और संयोजी इत्यादि व्यवस्थाएं शामिल होती हैं जिन्हें बंद करना या अनधिकृत करना आवश्यक होता है। सभी मामलों में आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल वाले सक्षम कार्मिक जो कि कार्य को सुरक्षित रूप से संपन्न कर सकें, को ही यह कार्य सौंपे जाने चाहिए। आदर्शरूप में संबंधित पोतभंजन अनुसूची में इनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए।

7.2.2.6 बंद स्थानों और गर्म कार्यो इत्यादि तक पहुंच को खतरनाक सामग्री और रासायनिक विसंदूषण की पहचान और चिन्हीकरण कार्य के पूरा होने से पहले तक अनुमति नही दी जानी चाहिए। कार्य शुरू होने से पहले टैंको की गैसमुक्त अवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। खतरनाक सामग्री को हटाने का कार्य इस प्रकार संगठित होना चाहिए कि श्रमिकों के अरक्षित होने की संभावना न रहे विशेष रूप से उन श्रमिकों की जो प्रक्रिया से सीधे नहीं जुड़े हैं।

7.2.2.7 खतरनाक कार्य वाले क्षेत्रों को स्पष्टत: चिन्हित किये जाने और उन तक पहुंच को सीमित किये जाने की जरूरत होती है। हटाने के कार्य वाले विशिष्ट दलों और अन्य उच्च जोखिम वाले श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, उपयुक्त औजार और उपकरण, तकनीकी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जारी प्रासंगिक कार्य अनुमति पत्रों के साथ दिये जाने चाहिए। सुरक्षित कार्य के नियमित प्रकारों का विकास किया जाना चाहिए। और श्रमिकों को इन्हीं के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

7.2.3 विनिर्माण अवस्था

7.2.3.1 सभी विनिर्माण और उपक्रियाएं सुरक्षित पोत भंजन अनुसूची में चिन्हित होनी चाहिए। इनमें शामिल हैं :

(अ) सुरक्षित कार्य सिद्धांतों और किसी भी पूरे किये गए जोखिम मूल्यांकन पर आधारित लागू होने योग्य रोकथामकारी और संरक्षणकारी उपायों का निर्धारण और कार्यान्वयन;

(ब) प्रतिदिन के आधार पर एक कार्य योजना का विकास जो श्रमिकों का खतरनाक स्थितियों में न पड़ना सुनिश्चित करे, उदाहरणार्थ एक कार्य योजना का विकास जो श्रमिकों के एक समूह को सीधे निचले स्तर पर कार्य कर रहे अन्य समूहों के ठीक ऊपर कार्य करने की अनुमति न दे

(स) पूरे कार्यस्थल पर मानव संसाधनों का वितरण; और

(द) उपयोग किये जाने वाले औजारों और उपकरणों की स्थिति का निर्धारण।

7.2.3.2 विनिर्माण अवस्था की पहली प्रक्रियाओं में से एक प्रबंधन, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के दायित्व से संबंधित होती है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी भी भौतिक भंजन को हाथ में लेने से पहले पूर्व सावधानी और रोकथाम के उपायों की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में होने वाली आवश्यकताओं में शामिल हैं :

(अ) कार्यस्थल पर सुरक्षित प्रवेश और निर्गम सुनिश्चित करना;

(ब) प्लेटफार्म खड़े करना और उन वास्तविक स्थानों को अडिग बनाना जहां कि लोगों को अपना कार्य करना है;

(स) यह सुनिश्चित करना कि गर्म कार्य की प्रक्रियाओं और आग तथा विस्फोटों की रोकथाम की पूर्व सावधानियों को भली भांति समझा गया है क्रियान्वित किया गया है और उनका पालन किया जा रहा है;

(द) सुरक्षित वातावरण स्थापित किया गया है ताकि कार्यस्थल की हवा सांस लेने लायक बनी रहे; और

(क) अग्निशमन और प्राथमिक उपचार की सुविधांए विद्यमान हैं और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत उपलब्ध हो सकती हैं।

7.2.3.3 कार्य अभियानों को जैसा कि उन्हें सुरक्षित पोतभंजन अनुसूची में वर्णित किया गया है श्रम करने की भावना का अनुगमन करना चाहिए एक संरचना के शीर्ष से लेकर तल तक। उदाहरणार्थ मुख्य डेक से शुरू करके और धीरे धीरे नौतल की तरफ कार्य करते हुए बढ़ना। अनेक मामलों में कार्य का क्रम अन्य कारकों से प्रभावित होगा जैसा कि पुन: उपयोग या पुनर्चक्रीकरण इत्यादि के लिए इंजनों/जेनरेटरों को हटाना, और किनारों की धात्विक चादरों को हटाने के लिए उनमें छिद्र काटना। चूंकि अनुसूचियां प्रक्रियाओं के क्रम के अनुसार संयोजित की जाती हैं इन पर उसी क्रम में कार्य करना चाहिए, यह संभव होना चाहिए कि संबंद्ध अभियान को पूरा करने में लगने वाले समय और आवश्यक श्रमिकों की गणना हो सके। इसे उन लोगों को समर्थ बनाना चाहिए जिन पर विनिर्माण प्रक्रियाओं की योजना बनाने की जिम्मेदारी है ताकि वे इस प्रकार के अभियानों का लेखा जोखा रख सकें और श्रमिकों को खतरनाक स्थितियों में काम में लगाने से बच सकें। शामिल किये जाने वाले इस प्रकार के कारकों के लिए अनुसूची में एक अलग भाग जोड़ना वैकाल्पिक है।

7.2.3.4 काटने की योजना का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यवस्था योजना की एक प्रति का उपयोग करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक जीए योजना का उपयोग न केवल कार्य स्थल प्रबंधक/पर्यवेक्षक को अभियान के क्रम का एक समग्र दृश्य प्रदान करता है अपितु योजना का उपयोग एक प्रगति प्रपत्र के रूप में भी हो सकता है – जैसे ही प्रत्येक तत्व कट जाए तो योजना कट जाए तो योजना के पूरे हो चुके कार्य के साथ टीका कर लेनी चाहिए।

खतरनाक सामग्री की स्थिति को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त अनेक अन्य परिचालनीय मामलों को जीए योजना के साथ संलग्न किया जा सकता है जैसे कि :

(अ) विभिन्न काटी गयी या हटायी गयी सामग्री का गंतव्य (सुविधा क्षेत्र अ,ब सीधे परिवहन के लिए इत्यादि)

(ब) सुरक्षा उपायों का स्थान-पहुंच और निर्गम मार्ग, अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि,

(स) अग्रिम कार्य तैयारियां-पूर्व सावधानियां और सुरक्षा उपाय यथास्थान पर हों।

7.2.3.5 यह आवश्यक है कि वे लोग जिन पर ठेकेदारों (तृतीय पक्ष के श्रमिक) को संलग्न करने और नियुक्त करने की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों के द्वारा किये जाने वाले कार्य की अन्य श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कार्य से भिड़ंत नहीं होगी।

7.2.3.6 कार्य अनुसूचियां और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपाय, संपन्न किये जाने वाले कार्य के अंत: भाग होते हैं इनकी प्रतिदिन समीक्षा की जानी चाहिए। काटने, छांटने, पुनर्चक्रीकरण इत्यादि में प्रगति का अवलोकन किया जाना चाहिए, न केवल उत्पादकता के संदर्भ में अपितु सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों को लागू करने और उनकी प्रभाविता के संदर्भ में भी ।

7.2.3.7 पोत पर और उससे हटाने/भंडारण और लाने ले जाने से संबंधित व्यवस्थाओं को अग्रिम रूप से योजनाबद्ध होना चाहिए ताकि अभिग्रहण क्षेत्र सुसज्जित रहे और निम्न धारा साग्रियों को सुरक्षित रूप से संयोजित कर सके - देखें नीचे का अनुच्छेद 7.2.4

7.2.3.8 कार्यक्षेत्र पर सभी श्रमिकों की सुरक्षा पर स्थायी ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण उपायों को स्थापित करने पर समर्पित किये जाने वाले समय और संसाधन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं न कि इसके विपरीत। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, किसी भी श्रमिक को अन्य श्रमिक के नीचे के स्थान पर रहकर किया जाने वाला काम नहीं दिया जाना चाहिए, खासतौर से वहां जहां औजारों, उपकरणों और कटकर गिरने वाले खंडो या किसी अन्य ढीले कार्य के सामान के ऊपर के कार्य स्थान से नीचे गिरने का खतरा हो। श्रमिकों के संरक्षण और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति चिंता आत्मविश्वास और कल्याण की भावना उत्पन्न करती है जिससे श्रमिक चोट या दुर्घटना के भय के बिना कार्य कर सकते हैं।

7.2.3.9 एक सुरक्षित कार्यगत पर्यावरण प्रदान करने की जरूरत सिर्फ पोत के भंजन तक ही सीमित नहीं होती अपितु इस सिद्धांत को पूरे कार्य क्षेत्र समुद्र तट, शुष्क बंदरगाह, पोतघाट, क्रेन परिचालन और भंडारण/छंटाई/पुनर्चक्रीकरण क्षेत्र पर लागू करना चाहिए। उन लोगों जिन्हें कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षण से संबद्ध कार्य सौंपे गए हैं, को श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को प्राप्त करने में असफल रहने के खतरों और दुष्परिणामों से अवगत रहना चाहिए।

7.2.3.10 उन सभी लोगों को जो कि भंजन अभियानों में संलग्न हैं उन्हें अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से तथा भंजन सुविधा पर रहने के दौरान उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए किये गए संबद्ध जरूरी सुरक्षात्मक और रोकथामकारी उपायों से परिचित होना चाहिए।

7.2.3.11 किसी भी औजार या उपकरण को ऐसे लोगों को न तो सौंपना चाहिए और न ही संचालित करने देना चाहिए तो उसके परिचालन से परिचित नहीं हैं और जो इस प्रकार के औजारों या उपकरणों के परिचालन में सक्षम नहीं हैं। एक रजिस्टर ऐसा रखना चाहिए जिसमें व्यक्तियों की सक्षमताओं का ब्योरा दर्ज हो।

7.2.3.12 केवल काम में लाये जा सकने योग्य औजार और उपकरण ही जारी और उपयोग किये जाने चाहिए। औजारों और उपकरणों को ऐसी सुरक्षा विधियों से सज्जित होना चाहिए जो अनुपयुक्त उपयोग और गड़बड़कार्य करने की रोकथाम कर सकें। (देखें अध्याय 13)। कार्य अनुसूची में प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही औजारों और उपकरणों का उचित और सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा रहा है और खराब औजार चिन्हित कर दिये गए हैं और कार्यस्थल से हटा दिये गए हैं।

7.2.4 सामग्री धारा प्रबंधन अवस्था

7.2.4.1 यह अग्रिम प्रमुख अवस्था उन सामग्रियों के प्रबंधन पर लागू होती है जोकि पोत विनिर्माण की प्राथमिक गतिविधि से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की सामग्रियों को अपशिष्ट या रद्दी कहा जा सकता है या ऐसे मामलों में जहां उनका द्वितीयक उपयोग हो, उनसे सामग्री को पुन: प्राप्त, पुन: उपयोग या चक्रीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित वह इंगित करने वाली गतिविधियां हैं जिन्हें कि सुरक्षित पोतभंजन योजना की इस अवस्था में सामान्यत: संचालित किया जाता है :

(अ) द्वितीयक विनिर्माण : मुख्य पोत संरचना से हटाने के बाद बड़ी वस्तुओं को तोड़ना, उदाहरणार्थ, आगे प्रसंस्करण और निपटान के लिए बड़े खंड़ों को काटना।

(ब) छांटना : एक जैसी धातुओं या घटकों की उन्हीं के समूहों में पहचान करना, उदहाणार्थ, वाल्व, पाइप, असमान धातुएं (स्टील से पीतल अलग करना) इत्यादि।

(स) विलगन : एक तत्व को दूसरे से अलग करना, उदाहरण के लिए तारों से तांबा, पाइपों से एजबेस्टस अलग करना या पेंट हटाना इत्यादि।

(द) प्राप्ति सुविधाएं : द्रव्य/ठोस, खतरनाक पदार्थ और अन्य सूची की सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए सटीक प्रावधानों को शामिल करना।

(क) निपटान : उन पदार्थो के सुरक्षित रूप से निपटान के उपयुक्त उपाय और व्यवस्थाएं जिन्हें कि दोबारा प्राप्त नही किया जा सकता, पुन चक्रीकृत नहीं किया जा सकता या पुन: उपयोग के लिए अन्य उपयोग हेतु पारित नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रज्वलन, भूमिभराव।

(ख) पुनर्चक्रीकरण : सामग्री और मशीनें जिन्हें कि बेचे जाने या पुन: उपयोग सहित अन्य उदेश्यों के लिए रखे जाने से पहले अतिरिक्त प्रसंस्करण की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।

7.2.4.2 भंजन क्षेत्र को खंडों में विभाजित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक प्रकार की निम्नधारा सामग्री इस प्रकार स्थित है और संभाली जा रही है ताकि वह कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों, संलग्न कार्य क्षेत्रों या सुविधा की सीमा से बाहर के खतरे वाले क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम या खतरा उत्पन्न न करे। चित्र 4 दर्शाता है कि किस प्रकार एक कार्य क्षेत्र को काम में लायी जा रही, प्रसंस्कृत की जा रही और भंडारण की जा रही सामग्रियों से होने वाली दुर्घटनाओं के खतरों की रोकथाम करने या घटाने के लिए उपविभाजित किया जा सकता है।

7.2.4.3 प्रत्येक खंड के भीतर संचालित की जा रही गतिविधियों के अनुसार निश्चित खतरे उत्पन्न होते हैं और यदि पूर्व सावधानियों और रोकथाम के उपायों के रूप में इनका सामना करने के उपाय शुरू करने हैं तो इनकी पहचान अवश्य होनी चाहिए देखें तालिका 1 यह दर्ज करना महत्वपूर्ण हेागा कि खंडो का निर्धारण और इनमें से प्रत्येक में चलायी जाने वाली गतिविधियां कार्यक्षेत्र के भूगोल, पर्यावरण और संपन्न किये जा रहे भंजन के प्रकार और व्यवहार किये जा रहे अपशिष्टों के अनुसार एक दूसरों से भिन्न होंगी।

7.2.4.4 चित्र 4 में दर्शाए गए खंडों और उनमें सामने आ सकने वाले खतरों का विवरण निम्न है :

■ खंड़ अ: अंतर्ज्वारीय क्षेत्र जहां पोत के वास्तविक विनिर्माण और सामग्रियों के निपटान की तैयारियां और कार्य संपन्न होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र जहां पोतों का भंजन उस अवस्था में होता है जबकि वह अभी भी लहरों पर तैर रहा हो, यही एक बंदरगाह में उत्प्लाव स्थानों के बीच या एक घाट के किनारे पोत का अग्रिम विश्राम स्थल होगा। यहां शामिल होने वाली प्रक्रियाओं में शामिल हैं, अनधिकृत करने वाली गतिविधियां, तेलों और द्रव्य तथा गैसीय अपशिष्टों को हटाना, एजेबस्टस को हटाना, पुन: उपयोग के योग्य मशीनों और उपकरणों का विखंडन, पोत संरचना के बड़े खंडों की कटाई इत्यादि। इस क्षेत्र में सामना किये जाने वाले खतरों में शामिल हैं :

— काटने के अभियानों के धूम्र में सांस लेने का खतरा और घुटन भरे स्थानों में काम करना;

— अग्नि और विस्फोट का खतरा;

— गिरती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न खतरे;

— गिरना, ठोकर लगना और फिसलना;

- एजबेस्टस हटाना;
- खतरनाक द्रव्यों और गैसों के प्रति अरक्षण (तेल और सफाई करने वाले मिश्रण, अतिरिक्त गैसें-फ्रीआन, Co_2, PCBs इत्यादि)
- डूबना (तैर रही या आंशिक तैर रही संरचनाओं के लिए)

■ खंड ब : इसमें द्वितीयक विनिर्माण और छंटाई के क्षेत्र आते हैं। संपन्न की जाने वाली प्रक्रियाओं में बड़े टुकड़ों की कटाई, अवशिष्ट द्रव्यों और अपशिष्ट सामग्रियों को रखना, घटकों की छंटाई और परिवहन के लिए लदान को शामिल किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सामना किये जाने वाले खतरों में शामिल हैं :

- आग और विस्फोट का खतरा,
- खतरनाक वाष्पों की उपस्थिति,
- खतरनाक द्रव्यों के स्पर्श के प्रति अरक्षितता,
- गिरना, ठोकर खाना और फिसलना,
- एजबेस्टस का स्पर्श।

चित्र4. पोत भंजन क्षेत्र को खंडों में बांटना

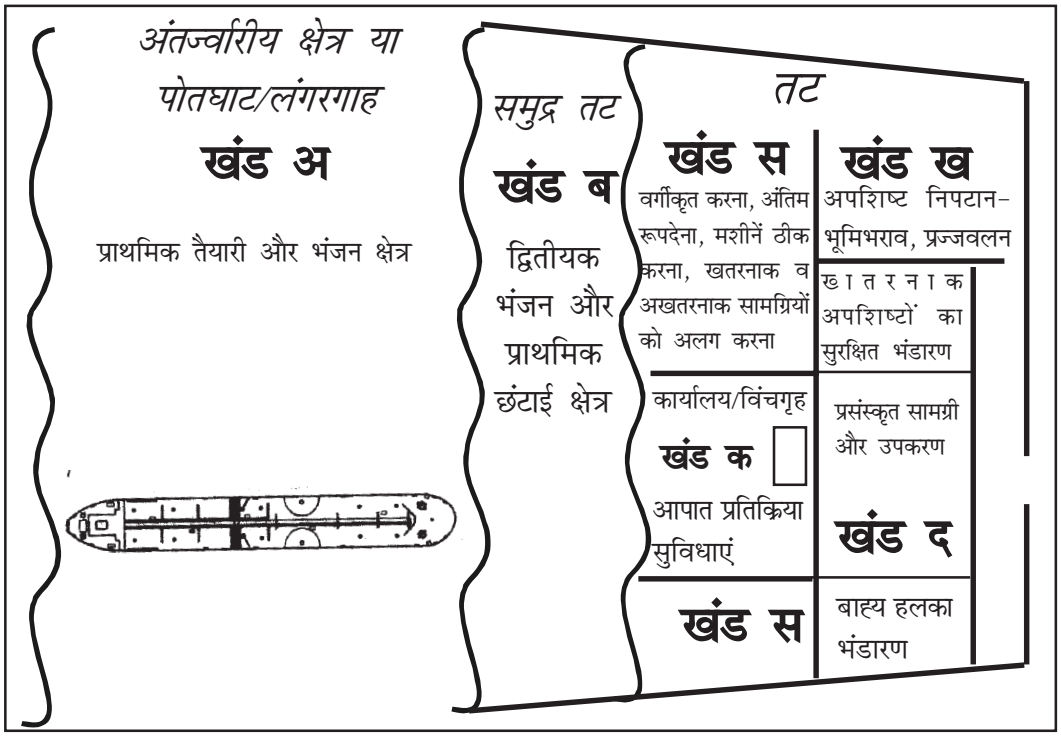

■ खंड स: यह भी एक विनिर्माण विभाग है जहां खतरनाक और अखतरनाक सामग्रियों का विलगन और मशीनों को खोलना, पुर्जों की छंटाई और समग्र जांच (पुन: उपयोग के लिए ठीक करना) जैसे कार्य संपन्न होते हैं। बेहद खतरनाक सामग्रियों जैसे कि एजबेस्टस को खंड के भीतर एक अलग और कड़ाई से नियंत्रित सुविधा में प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए। खंड स में सामना होने वाले खतरों में शामिल हैं :

- धूम्र (काटने, कतरने, विखंडन अभियानों से उड़ने वाली गर्द)
- ठोकर खाना और फिसलना
- भारी वस्तुओं को हाथ से उठाना और छूना ;
- एजबेस्टस का स्पर्श,

— अन्य शारीरिक खतरे जो कानों, आंखों और अन्य संवेदी अंगों पर असर डालते हैं (धूल, शोर, कंपन, इत्यादि)

- खंड द: एक प्राथमिक सामग्री प्रबंधन खंड है जिसका उपयोग प्रसंस्कृत सामग्री और अपशिष्ट के भंडारण के लिए किया जाता है। मौजूद खतरों के प्रभावों को न्यूनतम या कम करने के लिए इस खंड को खतरनाक अपशिष्टों, सुसाध्य सामग्रियों और प्रसंस्कृत सामग्रियों तथा उपकरणों को अलग करने के लिए आगे भी उपखंडों में विभाजित करना चाहिए। प्रमुखतया इस खंड में होने वाले खतरों में निम्नलिखित शामिल होते हैं :
  - लड़खड़ाना और फिसलना,
  - भारी वस्तुओं को हाथों से उठाना और स्पर्श
  - खतरनाक सामग्रियों का स्पर्श (द्रव्य और पुन प्राप्त गैसें)
  - आंखो, कानों और अन्य संवेदी अंगों को प्रभावित करने वाले शारीरिक खतरे (धूल, शोर, कंपन्न इत्यादि)
  - आग और विस्फोटों का खतरा (तेल व अन्य गैस उत्सर्जन करने वाले पदार्थो का भंडारण)।

- खंड क : यह उस खंड को धारण करता है जो प्रशासनिक और आपात प्रतिक्रिया गतिविधियों को समर्पित होता है। इस क्षेत्र में खतरे न्यूनतम हैं सिर्फ उन स्थानों को छोड़कर जहां एक विंच (पक्कड़) या अन्य उठाने/खींचने की विधियां रखी होती हैं। इस क्षेत्र को किन्हीं भी विनिर्माण प्रक्रियाओं और सामग्रियों से मुक्त रखना चाहिए जो कि विविध प्रावधानों को प्रभावित कर सकती हैं या आपात सेवाओं के प्रावधानों में रूकावट बन सकती हैं।
- खंड ख : सभी अन्य गतिविधियों, प्रक्रियाओं से अलग इस खंड में पूरे क्षेत्र को अपशिष्ट सामग्रियों के प्रज्जवलन, सीधे भूमिभराव या अन्य भूमि स्थल निपटान सुविधाओं तक ले जाने के लिए अवशिष्टों की व्यवस्था करने तक सीमित रखना चाहिए। इस क्षेत्र में होने वाले खतरों में शामिल हैं :
  - खतरनाक सामग्रियों (ठोस, द्रव्य, PCBs इत्यादि)
  - धूम्र (खुद निकलता हुआ या निकाला जाता)
  - विस्फोट का खतरा,
  - खतरनाक पदार्थो का स्पर्श।

7.2.4.5 विनिर्माण का इंतजार करते हुए, पोत प्राय: अवैध रूप से अपशिष्टों और जहरीली सामग्रियों को समुद्र में डाल देते हैं। पोत को समुद्र तट पर टिकाने के मामले में, अपशिष्टों के समुद्र में निपटान का अभिप्राय: पोत को हल्का करने का होता है ताकि उसका वजन कम से कम हो सके और उसे भंजन सुविधा के करीब से करीब तक ले जाना संभव हो सके। कचरा फेंक देने की इस प्रकार की गलत रीतियां अनदेखे खतरे उत्पन्न करती हैं जिससे समुद्र तट संदूषित हो जाते हैं और नहाने वालों पर संभावित असर पड़ता है। मत्स्य भंडार का जहरीकरण होता है और इसकी तदंनतर समस्याएं उस असंदिग्ध आबादी पर होती हैं जो कि संदूषित मछलियों का आहार करती है। अतएव एक कार्यक्षेत्र को खंडो में बांटते समय विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की सामग्रियों के प्रबंधन का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि कचरा फेंके जाने की गतिविधियों की समाप्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।

7.2.4.6 जोखिम मूल्यांकन को सिर्फ शारीरिक व्यवहारों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए अपितु इसका विस्तार उन क्षेत्रों तक भी करना चाहिए जहां भंजन प्रक्रियाएं या भंडारण के कार्य संचालित किये जाते हैं। एक कार्यक्षेत्र को खंडों को बांटने का उपरोक्त उदाहरण स्पष्टत: प्रदर्शित करता है कि एक प्रक्रिया के खतरे अन्य प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं खासतौर से तब जब वे एक दूसरे के निकट संपर्क में संचालित की जाती हैं और जहां ऐसे क्षेत्र के बेहद निकट एक समुदाय निवास करता है।

7.3 जोखिम की पहचान और खतरे का मूल्यांकन

7.3.1 वस्तुत: जोखिम सभी कार्य प्रक्रियाओं और प्रथाओं मे विद्यमान रहते हैं। अनेक जोखिमों की प्रक्रियाओं के ज्ञान और अनुभव जन्य कौशल के माध्यम से पहचान की जा सकती है। यद्यपि एक बड़ी संख्या में खतरे इतने स्वयं प्रदर्शित नहीं होते और ये अपनी पहचान तथा चोट पहुंचाने की संभावनाओं की पहचान करने या उदघाटित करने के लिए प्रक्रियाओं के विस्तृत विश्लेषण की मांग करते हैं।

तो भी एक खतरे को मात्र महसूस करने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रक्रिया का विस्तृत परीक्षण होना चाहिए ताकि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर उसके संभावित प्रभाव की गणना की जा सके।

7.3.2 खतरे को सामान्यत: एक जोखिम का कार्य होने के रूप में स्वीकृत किया जाता है इसमें यह 'जोखिम' को एक आयाम प्रदान करता है। जब एक जोखिम की पहचान हो जाती है तब इसे परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए और इसका आकलन करना चाहिए क्योंकि कुछ जोखिम श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई चिंता नहीं जगाते जबकि अन्य विभिन्न आघातकारी प्रभावों को धारण करते हैं। जोकि हल्के से लेकर घातक चोट वाले तक हो सकते हैं। कार्यस्थल पर श्रमिकों को नुकसान के खतरों का अनेक प्रदत्त तकनीकी के उपयोग से मूल्यांकन किया जा सकता है। इनमें उन श्रेणियों को भी शामिल किया जा सकता है जो कि मनुष्यों को गंभीर क्षति के कारणों से संबंद्ध होती हैं।

7.3.3 खतरा एक जोखिम परक कार्य को करने की बारंबारता से भी प्रभावित होता है। सामान्यत: और अनेक कारणों से इसमें चक्कर आना और खराब स्वास्थ्य को शामिल किया जा सकता है। खतरा एक कार्य को बार बार करने के माध्यम से भी बढ़ सकता है जैसे कि निम्न चित्र में संकेत किया गया है।

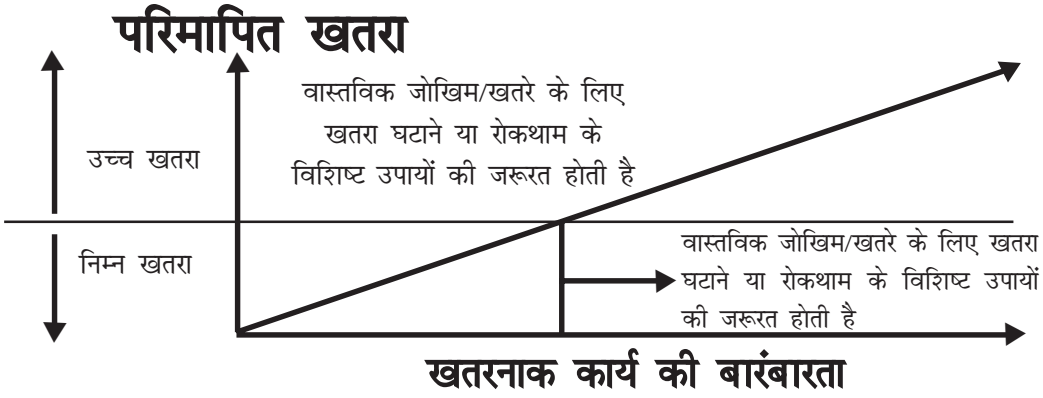

7.3.4 खतरों का मूल्यांकन नियोक्ताओं द्वारा या उनकी ओर से कार्य कर रहे लोगों द्वारा किय जाना चाहिए जो कि सक्षम हैं और आवश्यक सूचना निर्देश तथा प्रशिक्षण प्राप्त हैं तथा श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करते रहते हैं। जहां मूल्यांकन का निष्कर्ष एक संभावित चोट या सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत करता है परिणाम को दर्ज करना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी और खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रति अरक्षित श्रमिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।

7.3.5 यदि जोखिम के एक नये स्त्रोत की शुरूआत होती है तो मूल्यांकन श्रमिकों के इसके प्रति अरक्षित होने से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। मूल्यांकन में कार्यस्थल पर उपस्थित खतरनाक परिवेशी कारकों, अरक्षण का स्तर और खतरा, नियंत्रण के उपयुक्त उपायों तथा स्वास्थ्य निगरानी और प्रशिक्षण पर सूचनों को एकत्र करना चाहिए। इनकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। जैसा कि नीचे वर्णित है।

7.3.6 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप, नियोक्ताओं को चाहिए कि :

(अ) प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कार्यस्थल पर खतरनाक परिवेशी कारकों से सुरक्षा और स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों या खतरों की पहचान और समय समय पर मूल्यांकन की व्यवस्था करें जोकि विभिन्न अभियानों, औजारों, मशीनों, उपकरणों और पदार्थो से उत्पन्न होते हैं।

(ब) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन में उन जोखिमों और खतरों की रोकथाम करने के लिए या उन्हें न्यूनतम तार्किक तथा व्यावहारिक स्तर तक कम करने के लिए जरूरी उपयुक्त रोकथाम कारी और सुरक्षात्मक उपायों को लागू करें।

7.3.7 आपात स्थिति योजना के अनिवार्य विकास को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्तागण विकसित होने वाली स्थितियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए आग, विस्फोटों और प्रदूषण की घटनाओं के लिए योजनाओं और आपात व्यवस्थाओं का प्रबंधन (देखें अध्याय 16)।

7.3.8 पोत और साथ ही साथ संपन्न की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करने के लिए एक सुरक्षित पोतभंजन योजना का उपयोग करना चाहिए। पोत पर मौजूद खतरनाक सामग्रियों की सूची प्राप्त करना पोतभंजक को घोषित सामग्रियों के अनुसार अनेक खतरों की पहचान करने और संबंधित प्रावधान करने में समर्थ बनाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष जोखिमों को उपयुक्त और उचित खतरा मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए समक्ष खतरों के साथ भी पहचाना जा सकता है। (व्यक्तिगत और प्रक्रियागत खतरा मूल्यांकन उपायों के नमूनों के उदहारणों के लिए देखें अनुलग्न V)।

7.3.9 प्रक्रियागत (समूह) जोखिमों को विनिर्माण अवस्था में आसानी से पहचाना और विश्लेषित किया जा सकता है, उदहारण के लिए जोखिम जो कि कार्य के क्षेत्र तक और उससे बाहर तक सुरिक्षत पहुंच प्रदान करने से संबंद्ध होते है। ठीक यही बात उन गतिविधियों पर भी लागू होती है जिनकी पहचान तृतीय अवस्था में होती है जहां अपशिष्ट की छंटाई और भंडारण बड़ी संख्या में प्रक्रियागत जोखिमों के साथ ही साथ व्यक्तिगत जोखिमों को भी प्रस्तुत करते हैं जो कि रोकथामकारी उपायों को लागू करने की मांग करते हैं।

7.3.10 चाहे एक ओएसएच प्रंबधन व्यवस्था या समान व्यवस्थित सुरक्षा नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान हो या नहीं या उसे लागू किया जाना हो नियोक्ताओं को प्रयास करना चाहिए कि :

(अ) परिमेय सुरक्षा और स्वास्थ्य उदेश्यों की स्थापना करें,

(ब) इन उदेश्यों तक पहुंचने की प्रक्रियाओं की योजना बनाएं, विकसित करें और उन्हें लागू करें

(स) संगठनों के सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदर्शनों का मूल्यांकन करें, और

(द) निर्धारित उदेश्यों में निरंतर सुधार का उदेश्य रखें जिनमें खरीदने, पट्टे पर देने और ठेके पर देने की विशिष्टता के लिए ओएसएच आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है।

7.3.11 किसी भी मूल्यांकन की प्रथम अवस्था में स्थान या प्रक्रिया के द्वारा कार्यस्थल की समीक्षा को शामिल किया जाना चाहिए- देखें नीचे का चित्र-पहचान करने के क्रम में :

(अ) कौन से खतरनाक परिवेशी कारक उपस्थित हैं या उत्पन्न हो सकते हैं और किस गतिविधि तथा स्थान पर (सामान्य खतरों की एक सूची जोकि पोतभंजकों के बीच कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों, खराब स्वास्थ्य और दुर्योगों का कारण बन सकते हैं तालिका 1 में प्रस्तुत किये गए हैं)

(ब) कौन सी गतिविधियां श्रमिकों व अन्य को पहचाने गए खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रति अरक्षित कर सकती हैं, कार्य संगठन रखरखाव सफाई और आपात प्रक्रियाओं सहित।

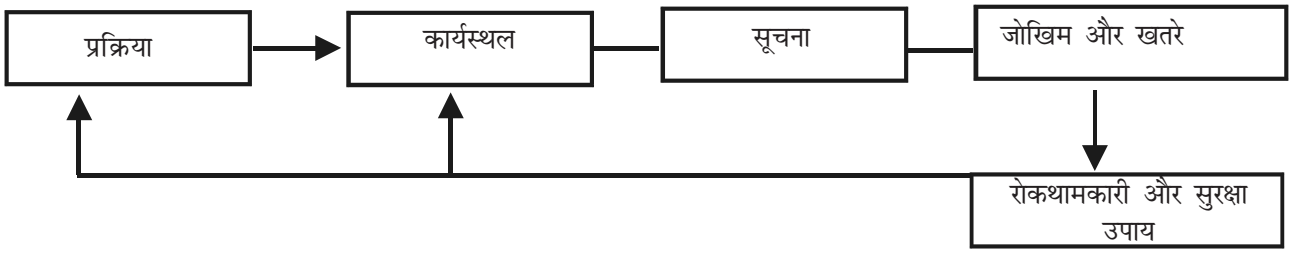

7.3.12 मूल्यांकन की द्वितीयक अवस्था में सूचनाओं के संग्रहण को शामिल करना चाहिए ताकि खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रभाव और महत्व का, कार्य संगठन के प्रति इनकी प्रासंगिकता और नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा सके। अरक्षितता स्तरों सहित सूचना में उन्हें भी शामिल करना चाहिए जो कि आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अन्य सूचना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदान की गयी हैं। अरक्षितता स्तरों की उनके साथ तुलना करनी चाहिए जो कि पूर्व निर्धारित हैं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानक हैं। जहां इस प्रकार की सीमाएं या मानक विद्यमान नहीं हैं, अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों का उपयोग

तुलना के लिए किया जाना चाहिए। हर मामले में पर्याप्त ध्यान उन आधारों पर दिया जाना चाहिए जिन पर कि उन सीमाओं को निर्धारित किया गया है।

7.3.13 एक मूल्यांकन की तृतीय अवस्था को यह स्थापित करना चाहिए कि क्या सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए होने वाले जोखिमों और खतरों का उन्मूलन किया जा सकता है। यदि उनका उन्मूलन नहीं किया जा सकता तो नियोक्ता को यह योजना बनानी होगी कि कैसे उन्हें न्यूनतम व्यवहार्य स्तर तक, या उस स्तर तक घटाया जा सकता है जो कि वर्तमान में उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान और आंकड़ों के प्रकाश में चोटों के कारण नहीं बनेंगे। यदि कार्यगत जीवन समय में भी अरक्षितता जारी रहे।

7.3.14 एक मूल्यांकन के भाग के रूप में नियोक्ता को चाहिए :

(अ) यह निधार्रित करे कि क्या निर्देश, प्रशिक्षण और सूचना श्रमिकों को और जहां उपयुक्त हो उनके प्रतिनिधियों तथा अन्य को दिये जाने की जरूरत है जिनके कि खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रति अरक्षित होने की संभावना है ;

(ब) यह निधार्रित करे कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाने की आवश्यकता है कि सूचना अद्यतन रखी जा सके;

(स) नये या स्थानांतरित होकर आये श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिखे जाने के लिए योजना बनाएं ;

(द) यह सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन की समीक्षा के लिए एक कार्यक्रम स्थापित किया गया है जिसमें अरक्षितता के स्तरों के भविष्य में भी निरीक्षण को शामिल किया गया है।

7.3.15 मूल्यांकन का लेखाजोखा कुछ समयावधि तक बनाये रखा जाना चाहिए, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो सकता है या उस निर्धारित समय तक जिसके बाद इस प्रकार के खतरनाक परिवेशी कारकों या कार्य प्रक्रियाओं को बंद कर दिया जाता है। यद्यपि तब भी जबकि बाद वाली स्थिति होती है या जहां मूल्यांकन किसी खतरे का संकेत नहीं करता यह सलाह देने योग्य होती है कि लेखा जोखा करते ओर रखते रहें ताकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी समीक्षा की जा सके।

7.3.16 अरक्षितता स्तरों के भविष्यगत निरीक्षण की बारंबारता और प्रकार मान्य अरक्षितता स्तरों के संबंध में पाये गए अरक्षण पर निर्भर करेंगे। यदि अरक्षितता स्तर सीमा के मुकाबले बहुत ज्यादा नीचे है और वहां प्रक्रिया में कोई बदलाव भी नहीं किया गया है या कोई अन्य कारण नहीं है तब परिमापन को दोहराने की जरूरत कभी कभार ही हो सकती है। यदि अरक्षितता स्तर तुलनात्मक रूप से ऊंचा है तब मूल्यांकन समीक्षाओं के बीच परिमापन की अनेक बार आवश्यकता हो सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्तरों को किसी अचिन्हित कारक ने बदला नहीं है।

7.3.17 जोखिमों का मानचित्रण, उदाहरण के लिए पोत के रेखाचित्रों और योजनाओं में पहचाने गए जोखिमों और खतरों की स्थिति तथा परिणाम स्वरूप पड़ने वाली सुरक्षात्मक और रोकथाम कारी जरूरतों का स्पष्ट और समझने योग्य प्रस्तुतीकरण। नक्शों या अन्य उपयुक्त उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पोतभंजन सुविधाओं में काम कर रहे सभी लोगों को उपयुक्त सूचना दी जा सके।

7.4 खतरा मूल्यांकन की समीक्षा

7.4.1 पोतभंजन योजना की प्रत्येक अवस्था में जोखिमों की पहचान और खतरों का मूल्यांकन करना सिर्फ एक बार किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। वस्तुत: समीक्षाओं को नियमित तौर पर संचालित करना चाहिए, यदि दैनिक नहीं तो लागू किये गए सुरक्षात्मक और रोकथाम कारी उपायों की समीक्षा तो की ही जानी चाहिए। इसके अलावा, दर्ज की गयी घटनाओं या दुर्घटनाओं के होने को समीक्षा प्रक्रिया के पुनर्निवेशन के काम आना चाहिए ताकि किये गये या प्रस्तावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण उपायों की सफलता या विफलता को इंगित किया जा सके।

7.4.2 मूल्यांकन की तब भी समीक्षा की जानी चाहिए जबकि उस कार्य में महत्वपूर्ण परिर्वतन आ गया हो जिससे कि यह संबद्ध है या जब यह संदेह करने का कारण हो कि यह अधिक समय तक वैध नहीं रहा। समीक्षा को जिम्मेदारी की प्रबंधन व्यवस्था में समायोजित किया

जाना चाहिए ताकि नियंत्रण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके जिसे कि आरंभिक (या इसके बाद के) मूल्यांकनों और समीक्षाओं द्वारा आवश्यक होना प्रदर्शित किया गया है जिन्हें कि वस्तुत: संचालित किया गया है। एक मूल्यांकन की समीक्षाओं को दस्तावेजीकृत लेखा जोखा पर दर्ज किया जाना चाहिए जोकि मूल्यांकन के परिवर्तनों या यहां तक कि रदद किये जाने की ओर भी संकेत करता है।

7.4.3 उन कारणों में जो यह संकेत करते हैं कि एक मूल्यांकन अधिक समय तक वैध नहीं हो सकता में शामिल हो सकते हैं :

(अ) श्रमिकों द्वारा की गयी विपरीत स्वास्थ्य प्रभावों की शिकायतें और स्वास्थ्य हानि का पता चलना;

(ब) एक दुर्घटना, खतरनाक उत्पत्ति या ऐसी घटना जो खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रति अरक्षितता को बढ़ावा दे या ऐसे खतरे जो कि उन खतरों से भिन्न हैं जिनका कि आरंभिक मूल्यांकन में परिमापन किया गया है;

(स) अरक्षितता स्तरों का तदनंतर परिमापन;

(द) खतरनाक परिवेशी कारकों के जोखिमों या खतरों पर अद्यतन की गयी सूचना की उपलब्धता;

(क) सुविधा में बदलाव, जिसमें नियंत्रण उपाय, प्रक्रिया या कार्य की विधियों और उत्पादन की मात्रा या दर में परिर्वतन शामिल हैं जो कि उपस्थित खतरनाक परिवेशी कारकों में परिर्वतन को बढ़ावा देते हैं।

7.4.4 समीक्षा को आरंभिक (या तदनंतर) मूल्यांकन के सभी भागों पर पुनर्विचार करना चाहिए और खासतौर से इस पर कि इस समय यह कहां है :

(अ) किसी भी खतरनाक परिवेशी कारक का उन्मूलन करने के लिए व्यवहार्य;

(ब) स्त्रोत पर ही नियंत्रण करने में संभाव्य है और जोखिमों तथा खतरों को न्यूनतम करता है जिनके लिए कि पूर्व में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों की जरूरत पड़ी थी।

7.4.5 समीक्षा को अरक्षितता स्तरों के निरीक्षण के लिए गठित कार्यक्रम के परिणामों पर भी विचार करना चाहिए और जहां :

(अ) अरक्षितता स्तरों जिन्हें कि पहले स्वीकृत करने योग्य समझा गया था को अब खतरनाक परिवेशी कारकों के जोखिमों और खतरों पर उपलब्ध और अद्यतन की गयी सूचना के प्रकाश में बेहद ऊंचे स्तर के रूप में माना जाना चाहिए ;

(ब) किसी भी नियंत्रण की कार्रवाई के किये जाने की जरूरत है;

(स) ऊपर निर्णीत निरीक्षण की बारंबारता और प्रकार अब भी उपयुक्त हैं।

7.5 जोखिमों और खतरों के प्रति प्रतिक्रिया – रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपाय

7.5.1 रोकथामकारी और सामूहिक या व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपायों को अनेक गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है। व्यक्तिगत या विशिष्ट खतरों की पहचान करने में जो कि या तो साधारण या जटिल भी हो सकते हैं। (जोखिमों का समुच्चय) प्रत्येक का परीक्षण होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पक्ष की अवहेलना नहीं की गयी है।

7.5.2 खतरों के स्वीकृति योग्य स्तर जिन्हें कि सक्षम प्राधिकारी या औद्योगिक मानकों द्वारा निर्धारित किया गया है को संदर्भ के प्रथम बिंदु होना चाहिए। जहां सुविधा यह निर्धारित करती है कि वहां खतरे का एक तत्व मौजूद है और जहां कोई संदर्भित मानक या स्तर नहीं हैं वहां नियोक्ता को खतरों के स्तरों का मूल्यांकन करना चाहिए और उनके साथ प्राथमिकता के निम्न क्रम में निपटना चाहिए:

(अ) जोखिम/खतरे को घटाये या उसका उन्मूलन करे;

(ब) जोखिम/खतरे को स्त्रोत पर ही नियंत्रित करे, अभियांत्रिकी नियंत्रणों या सांगठिनक उपायों के उपयोग के माध्यम से ;

(स) सुरिक्षत कार्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा के द्वारा जोखिम/खतरे को न्यूनतम करे, जिनमें प्रशासनिक नियंत्रण उपाय शामिल हों; और

(द) जहां अवशिष्टकारी जोखिम/खतरों को सामूहिक उपायों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियोक्ताओं को

उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिनमें कपड़े भी शामिल हैं, श्रमिक के ऊपर पड़ने वाली लागत के बिना प्रदान करने चाहिए और इनका उपयोग तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना चाहिए। खतरों के स्तरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान नियोक्ता को सक्षम प्राधिकारियों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए।

8 सामान्य रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपाय

8.1 सामान्य प्रावधान

8.1.1 सभी उपयुक्त पूर्व सावधानियां उठायी जानी चाहिए :

(अ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्यस्थल सुरक्षित हैं और श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने से मुक्त हैं;

(ब) विनिर्माण सुविधा पर या इसके दायरे में उपस्थित लोगों को सभी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए जो कि कार्यस्थल से या संबंद्ध पोतभंजन अभियानों से उत्पन्न हो सकते हैं।

8.2 पहुंच और निर्गम के उपाय

8.2.1 सभी पोतभंजन अभियानों के दौरान सभी कार्यस्थलों के लिए पहुंच और निर्गम के पर्याप्त और सुरक्षित उपाय प्रदान किये जाने चाहिए। इन उपायों को हमेशा सुरक्षित स्थिति में बनाये रखा जाना चाहिए।

8.2.2 जलयान तक पहुंच के उपायों में होने चाहिए :

(अ) जहां व्यावहारिक हो, पोत की पोतसीढ़ी, गैंगवे (तागड़) या इसी प्रकार का उपकरण; या

(ब) अन्य मामलों में, सीढ़ियां, जीना या यदि आवश्यक हो रस्सी की सीढ़ियां या ऐसे ही उपकरण।

8.2.3 पहुंच के उपायों को होना चाहिए :

(अ) बाधाओं से मुक्त रखे गए हों, यदि वे कार्यस्थलों के नीचे से गुजरते हैं तो उन्हें गिरती हुई वस्तुओं से सुरक्षित किया गया होना चाहिए;

(ब) जहां तक व्यवहार्य हो, उन्हें इस प्रकार से स्थापित किया गया होना चाहिए कि उनके ऊपर से होकर कोई भार न गुजरे। किसी भी स्थिति में पहुंच के उपायों के ऊपर से होकर कोई भी भार नहीं गुजरना चाहिए जबकि श्रमिक इस पर उपस्थित हों।

8.2.4 दरवाजे, निकासिया या पकड़ तक पहुंच के कोई भी उपाय चाहे वह पोत के डेकों पर हो या डेकों के बीच हों को सुरक्षा अवरोधकों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। यदि स्थायी रूप से जमायी गयी सीढ़िया प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है तो उठायी जा सकने योग्य धातु (या उपयुक्त लकड़ी से बनी) की सीढ़ियां प्रदान की जानी चाहिए। रस्सी की सीढ़ियों को पकड़ तक पहुंचने के अनुपूरक उपायों के तौर पर ही उपयोग में लाना चाहिए। सभी सीढ़ियों को उपयोग करने से पहले सुरक्षित सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

8.3 आग या अन्य खतरों के मामले में सुरक्षित निकलने के उपाय

8.3.1 सुरक्षित निकलने के उपायों को सभी वक्तों पर निर्बाध रखा जाना चाहिए। पोत पर सुरक्षित निकलने के मार्गो का लगातार निरीक्षण होना चाहिए और भंजन प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार उनमें लगातार सुधार होते रहने चाहिए। जहां उपयुक्त हो आग लगने के मामले में सुरक्षित निकलने की दिशा को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए सटीक दृश्य चिन्हों को प्रदान किया जाना चाहिए।

8.3.2 सुरक्षित निकलने के उपायों को होना चाहिए :

(अ) सभी भंजन अभियानों के दौरान पोत पर और पोत से प्रदान किया गया;
(ब) स्पष्ट चिन्हित, रात्रिकार्य के दौरान आपात विद्युत व्यवस्था के माध्यम से;
(स) योजनाओं पर प्रदर्शित जिसे कि पहुंच मार्ग और पोत के भीतर और स्थलीय सुविधाओ पर जैसा भी उपयुक्त हो चिपकाया गया होना चाहिए।

8.4 सड़कें, घाट, यार्ड और अन्य स्थान

8.4.1 सड़कों, घाटों, यार्डो इत्यादि जहां लोग या वाहन आते जाते हैं या तैनात किये जाते हैं को इस प्रकार निर्मित या रखरखाव किया गया होना चाहिए कि वे उस यातायात के लिए सुरक्षित हों जिसे कि उन्हें वहन करना है।

8.4.2 यार्डो व अन्य स्थानों जो कि तारबाड़ के द्वारा घिरे हुए होते हैं में पैदल चलने वालों व वाहनों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होने चाहिए।

8.4.3 खतरनाक चौराहों जहां कि भारी वस्तुओं को ढोया जाता है को स्वचालित सिग्नलों या जहां तक संभव हो द्वारों के द्वारा सुरक्षित होना चाहिए या चौकीदार द्वारा रक्षित होना चाहिए।

8.5 भवन व्यवस्था

8.5.1 प्रत्येक पोतभंजन सुविधा या पोत पर एक उपयुक्त भवन व्यवस्था कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए और उसका लगातार अनुपालन करना चाहिए जिसमें कि निम्न के लिए प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए :
(अ) सामग्रियों और उपकरणों का उपयुक्त भंडारण;
(ब) टुकड़ों, अवशिष्ट और मलबे का उचित अंतराल पर, निपटान।

8.5.2 श्लथ सामग्रियों जिनकी कि तुरंत उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है उन्हें कार्यस्थल पर नहीं रखा जाना चाहिए या जमा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि वह कार्यस्थल और आवागमन के रास्ते तक पहुंच या वहां से निर्गम के उपायों को खतरनाक रूप से बाधित न करें ।

8.5.3 कार्यस्थल और आवागमन के मार्ग जो कि तेल के कारण या अन्य कारणों से फिसलन भरे हो जाते है उन्हें साफ रखा जाना चाहिए या रेत, बुरादा, राख या किसी ऐसी ही वस्तु से ढककर रखना चाहिए।

8.5.4 औजार, नट, बोल्ट, व अन्य वस्तुओं को उन स्थानों पर नहीं पड़े रहने देना चाहिए जहां वे ठोकर खाने का जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

8.5.5 टुकड़ों, अपशिष्ट, कूड़ाकरकट और धूल को कार्यस्थलों या आवागमन के मार्गो पर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8.5.6 कूड़ा करकट धूल और रद्दी को ऊपर से कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए अपितु उनका एक पर्यावरणीय टिकाऊ तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।

8.6 पाइट और सीढ़ियां

8.6.1 जहां कार्य सुरक्षित तरीके से नहीं किया जा सकता या भूमि से नहीं किया जा सकता या पोत के किसी भाग से नहीं किया जा सकता

या अन्य स्थायी ढांचों से नहीं किया जा सकता, वहां एक सुरक्षित और उपयुक्त पाइट या समान रूप से सुरक्षित और उपयुक्त प्रावध ाान, प्रदान किये जाने चाहिए और उनका रखरखाव किया जाना चाहिए।

8.6.2 सक्षम प्राधिकारी को कानूनों, विनियमों या ऐसे मानकों की स्थापना और प्रर्वतन करना चाहिए जो कि विभिन्न प्रकार के पाइट और सीढ़ियों के उपयोग की रूपरेखा, निमार्ण, उन्हें खड़ा करने, उपयोग करने, रखरखाव करने, विखंडन और निरीक्षण के लिए विस्तृत तकनीकी प्रावधानों को दायरे में लेते है।

8.6.3 पाइट को पहुंच के सुरक्षित उपायों के साथ प्रदान करना चाहिए जैसे कि तागड़ जीना या सीढ़ियां। सीढ़ियों को असावधानी से होने वाली गतियों के खिलाफ सुरक्षित करना चाहिए।

8.6.4 अतएव प्रत्येक पाइट और उसके भागों को होना चाहिए :

(अ) इस प्रकार निर्मित हों कि वे श्रमिकों के लिए खतरों और उचित रूप से उपयोग किये जाते समय टूट जाने या उनके दुर्घटनावश विस्थापन की रोकथाम कर सकें;

(ब) इस प्रकार निर्मित हों कि सुरक्षा छड़ों व अन्य सुरक्षात्मक विधियों, मंचों, लगाने वाले लट्ठों, जेली, शहतीर, सीढ़ियों, जीनों या टोंको जैसा उपयुक्त हो आसानी से एक साथ रखा जा सके;

(स) उपयुक्त और मजबूत सामग्री से बने और उस उदेश्य के लिए पर्याप्त आकार व मजबूती वाले हों जिसके लिए कि उन्हें उपयोग में लाया जाना है। उनकी देखभाल एक उचित प्रकार से की जानी चाहिए।

8.7 व्यक्तियों और सामग्री के गिरने के खिलाफ सावधानियां

8.7.1 सभी छिद्रों जिनमें कि श्रमिक गिर सकते हैं को प्रभावी रूप से ढककर रखा गया होना चाहिए या उनकी तारबंदी की गयी हो और सबसे उचित तरीके से उन्हें इंगित किया गया हो।

8.7.2 पर्याप्त पूर्व सावधानियां उठायी जानी चाहिए जैसे कि तारबंदी, देखभाल करने वाले व्यक्तियों या अवरोधकों का प्रावधान ताकि किसी भी उस व्यक्ति की रक्षा हो सके जो उठाते या नीचे करते समय सामग्रियो या औजारों या उपकरणों के गिरने से घायल हो सकते हैं।

8.7.3 जहां तक व्यवहार्य हो और राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों के समनुरूप हो श्रमिकों को ऊंचे उठाये गए कार्यस्थलों से गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा छड़ें और पैरों की उंगलियों के बोर्ड प्रदान किये जाने चाहिए। जहां कहीं सुरक्षा छड़ें और पैरों की उंगलियों के बोर्ड प्रदान नहीं किये जा सकते :

(अ) पर्याप्त सुरक्षा जालियां या सुरक्षा चादरें खड़ी की जानी चाहिए तथा उनका रखरखाव किया जाना चाहिए; या

(ब) पर्याप्त सुरक्षा साज प्रदान किये और उपयोग किये जाने चाहिए।

8.7.4 जब खतरे को रोकना जरूरी हो, अटकन,ठहरावक या सहारों का उपयोग किया जाना चाहिए या अन्य प्रभावी पूर्व सावधानियां उठायी जानी चाहिए ताकि ढांचे या ढाचें के हिस्सों को ढहने से रोका जा सके जिन्हें कि विखंडित या ध्वस्त किया जा रहा हो।

8.7.5 अवशिष्ट सामग्रियों या वस्तुओं को ऊंचाई से नीचं नहीं फेंका जाना चाहिए। यदि सामग्री और वस्तुएं सुरक्षित रूप से ऊंचाई से नहीं उतारी जा सकतीं पर्याप्त पूर्व सावधानियां जैसे कि तारबंदी या अवरोधकों के प्रावधानों के कदम उठाये जाने चाहिए। श्लथ सामग्रियों की ऐसे स्थानों पर या उनके ईद गिर्द पड़े नही रहने देना चाहिए जहां से वह नीचे के व्यक्तियों पर गिर सकें। ऊंचे उठाये गए कार्यस्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों को पेंच बोल्ट नट और ऐसी ही वस्तुएं रखने के लिए पात्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

8.8 आग की सावधानियां और अग्निशमन

8.8.1 नियोक्ता द्वारा निम्न के लिए सभी उपयुक्त उपायों के कदम उठाने चाहिए :

(अ) आग के खतरों को टालने के लिए ;

(ब) एकाएक आग लगने की किसी भी घटना पर शीघ्रता और प्रभावी रूप से काबू पाने के लिए;

(स) लोगों को शीघ्र और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए।

8.8.2 ज्वलनशील द्रव्यों और ठोस वस्तुओं तथा गैंसों जैसे कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकों और एसिटिलीन सिलिंडरों पेंट व अन्य ऐसी ही सामग्रियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भंडारण क्षेत्र प्रदान किये जाने चाहिए।

8.8.3 उन सभी स्थानों पर जहां तैयार दहनशील और ज्वलनशील सामग्रियां रखी जाती है धूम्रपान प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और धूम्रपान नहीं की सूचनाएं प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए।

8.8.4 संकुचित जगहों में और अन्य स्थानों में जहां ज्वलनशील गैसें, धूम्र या धूल खतरे का कारण बन सकते हैं :

(अ) केवल उपयुक्त रूप से सुरक्षित बिजली के सामान और उपकरणों, जिनमें ले जाए जा सकने योग्य लैम्प शामिल है का उपयोग करना चाहिए;

(ब) वहां नंगी लपटों या चिंगारी भड़काने के ऐसे ही किन्हीं भी उपायों को मौजूद नही रहना चाहिए;

(स) वहां ऐसी सूचनाएं लगी होनी चाहिए जो धूम्रपान को प्रतिबंधित करती हों;

(द) तेल चुपड़ा कचरा, अवशिष्ट और कपड़े या अन्य पदार्थ जो चिंगारी भड़का सकते है को बिना देरी किये एक सुरक्षित स्थान पर हटा देना चाहिए;

(क) हवा आने जाने के पर्याप्त उपाय प्रदान करने चाहिए;

(ख) वे लोग जिन्होंने ऐसे कपड़े या जूते पहने हुए हैं जो स्थैतिक विद्युत का कारण बनकर चिंगारी भड़का सकते हैं उन्हें वहां से हटा देना चाहिए।

8.8.5 दहनयोग्य सामग्रियां, ग्रीस/तेल चुपड़े अवशिष्टों और लकड़ी के टुकडों या प्लास्टिकों को एक सुरिक्षत स्थान पर बंदधातु के पात्रों में रखा जाना चाहिए।

8.8.6 उन स्थानों का जहां कि आग लगने का खतरा है नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। इनमें शामिल हैं गर्माने वाले उपकरणों के आसपास का क्षेत्र, बिजली के सामान और सुचालक, ज्वलनशील और दहनशील सामग्रियों के भंडार, गर्म वेल्डिंग और काटने के परिचालन।

8.8.7 वेल्डिंग, लपट से काटने वाले और अन्य गर्म कार्यो को उपयुक्त पूर्व सावधानियों जैसी कि जरूरत हो, जो आग लगने और विस्फोट का खतरा कम करने के लिए उठाई गई हों के बाद सक्षम व्यक्ति के आदेश पर ही किया जाना चाहिए।

8.8.8 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप उन स्थानों पर जहां आग का खतरा विद्यमान रहता है निम्न प्रावधान प्रदान किये जाने चाहिए:

(अ) उपयुक्त और पर्याप्त आग बुझाने वाले उपकरण, जो हमेशा तैयारी की अवस्था में उपलब्ध हों, आसानी से दिखाई पड़ते हों और हासिल किये जा सकते हो;

(ब) जोरदार दबाव के साथ एक पर्याप्त जलापूर्ति।

8.8.9 आग बुझाने वाले उपकरणो को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के समनुरूप चयनित और प्रदान किया जाना चाहिए ये उपकरण आंरभिक जोखिम पहचान और खतरे तथा मूल्यांकन के परिणामों के अनुरूप होने चाहिए और उन प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए जिनकी कि सुरक्षित पोतभंजन योजना में पहचान की गयी है। लगाये गए उपकरण निम्न जरूरतों और कार्यो के लिए उपयुक्त और अनुकूल होने चाहिए :

(अ) पोत के भीतर की सीमित पहुंच, निर्गम और संकुचित स्थान;
(ब) पोतभंजन अभियानों में काम में लिये जा रहे खतरनाक, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थो की मात्रा और विशेषताएं :
(स) कार्यस्थल और परिवहन और भंडारण सुविधाएं;
(द) प्रथम चरण के अग्निशमन उदेश्य (हाथ में लिये जाने वाले या ट्राली पर लगे हुए हल्के आग बुझाने वाले यंत्र)। आग बुझाने वाले माध्यम का चयन पहचाने गए जोखिमों और खतरों तथा नियंत्रण उपायों के अनुसार किया जाना चाहिए।

8.8.10 आग बुझाने वाले उपकरणों का पूर्ण कार्यगत स्थिति में समुचित रखरखाव होना चाहिए और उपयुक्त अंतरालों पर एक सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। आग बुझाने वाले उपकरणों तक पहुंच जैसे कि नलकों, हाथ में उठाये जाने योग्य आग बुझाने वाले यंत्रों और जल भंडारों के संपर्को को हरवक्त पर साफ रखा जाना चाहिए।

8.8.11 आग के जोखिमों, उठायी जाने वाली उपयुक्त सावधानियों और आग बुझाने वाले उपकरणों के उपयोग के बारे में सभी पर्यवेक्षकों और पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण निर्देश और सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि सभी कार्यगत अवधियों के दौरान पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी हमेशा तैयारी की स्थिति में उपलब्ध रहें। प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण निर्देशों और सूचनाओं में निम्न को शामिल करना चाहिए, खासतौर से :

(अ) ऐसी परिस्थितियां जिनमें श्रमिकों को आग से खुद निपटने के प्रयास नहीं करने चाहिए बल्कि उस क्षेत्र को खाली करके अग्निशामकों को बुलाना चाहिए ;
(ब) कब और कहां खतरे की घंटी बजायी जाए ;
(स) आग की घटना में की जाने वाली कार्रवाई, जिसमें बच निकलने के उपायों का उपयोग शामिल है;
(द) अग्निशमन और अग्निसुरक्षा उपरणों का सही उपयोग, उन श्रमिकों के लिए जिनसे कि इनके उपयोग की उम्मीद की जाती है;
(क) निकल रहे धुंए की जहरीली प्रवृत्ति और प्राथमिक उपचार के उपाय;
(ख) उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का समुचित उपयोग;
(ग) बच निकलने की योजनाएं और प्रक्रियाएं।

8.8.12 आग लगने के मामले में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त उपयुक्त और प्रभावी उपायों (दृश्य और ध्वनि संकेतक) को स्थापित किया जाना चाहिए। एक प्रभावी बचाव योजना बनायी जानी चाहिए ताकि सभी लोगो को बिना भगदड़ मचाये सुरक्षित निकाला जा सके।

8.8.13 स्पष्ट नजर आने वाले स्थानों पर, यदि लागू करने योग्य हो तो यह संकेत करने वाली सूचनांए चिपकायी जानी चाहिए :

(अ) निकटतम अग्नि सूचक घंटी;
(ब) निकटतम आपात सेवाओं के टेलीफोन नंबर और पते;
(स) निकटतम प्राथमिक उपचार चौकी।

8.9 खतरनाक वातावरण और संकुचित स्थान

8.9.1 जहां श्रमिकों को किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता हो जहां एक जहरीला और क्षतिकारक पदार्थ उपस्थित हो सकता है या उपस्थित रह चुका हो सकता है या जहां आक्सीजन की कमी हो सकती है या एक ज्वलनशील वातावरण है वहां खतरे के खिलाफ सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए।

8.9.2 खतरनाक वातावरण के संबंध में किये जाने वाले उपायों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जलपोत पर बंद स्थानों में प्रवेश के लिए आईएमओ सिफारिशों (एपेंडिक्स टू एनेक्स I ऑफआईएमओ डाक्यूमेंट एमईपीसी 49/डब्लूपी. 15 रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स, 17 जुलाई 2003) के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए और इनमें सक्षम व्यक्ति से पूर्व अनुमति लेने को या कोई अन्य व्यवस्था शामिल की जानी चाहिए जिसके द्वारा किसी ऐसे स्थान में प्रवेश की जहां एक खतरनाक वातावरण उपस्थित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है उसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही अनुमति दी जाए।

8.9.3 एक संकुचित स्थान या क्षेत्र में कोई नंगी रोशनी या लपट नहीं होनी चाहिए या गर्म कार्य की अनुमति नहीं होनी चाहिए जब तक कि उस स्थान को ज्वलशील वातावरण से पूरी तरह मुक्त न कर लिया जाए और सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच के बाद सुरक्षित न पाया जाए। केवल बिना चिंगारी भड़काने वाले औजारों और लपटरहित हाथ के लैम्पों का जो कि ढके हुए हों और सुरक्षा टार्चों का ही इस्तेमाल इस प्रकार से संकुचित स्थानों या क्षेत्रों के प्रारंभिक निरीक्षण, सफाई या क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए किये जाने वाले जरूरी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

8.9.4 जब एक श्रमिक एक संकुचित स्थान में हो :

(अ) पर्याप्त सुविधाएं और उपकरण जिनमें कि सांस लेने के उपकरण, प्राथमिक उपचार फिट, पुनरूज्जीवक उपकरण और आक्सीजन बचाव कार्य के लिए हमेशा तैयारी की अवस्था में रखी जानी चाहिए ;

(ब) द्वार पर या उसके पास एक पूर्ण प्रशिक्षित सहायक या सहायकों को तैनात रखा जाना चाहिए;

(स) श्रमिक और सहायक या सहायको के बीच संवाद के उपयुक्त उपायों को ठीकठाक बनाये रखना चाहिए।

8.10 चिन्ह, सूचनाएं और रंगीन संकेत

8.10.1 खतरों के खिलाफ चेतावनी देने और गैर भाषिक रूप में सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए चिन्ह और प्रतीक बेहद प्रभावी विधि होते हैं। सुरक्षा चिन्हों और सूचनाओं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जरूरी आकार और रंगों में होने की पुष्टि करनी चाहिए।

8.10.2 हाथ में उठाये जा सकने योग्य आग बुझाने वाले उपकरणों में उपयुक्त पदार्थो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय आवश्यकताओं के अनुपालन मे एक रंगीन संकेत द्वारा इंगित होना चाहिए। प्रत्येक आग बुझाने वाले यंत्र पर एक पर्चा चिपका होना चाहिए जिस पर कि इसके उपयोग के बारे में निर्देश दिए गए हों।

8.10.3 बिजली की तारों के क्रोड़ों के रंगीन संकेतक बनाने के लिए विभिन्न मानक विद्यमान हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बेहद सावधानी बरती जानी चाहिए कि कर्मचारी प्रत्येक पोत पर मौजूद क्रोड़ रंगों के अर्थो से परिचित है। यदि उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो यह संकेतक व्यवस्था के अनुरूप ही होना चाहिए।

8.10.4 गैस सिलेंडरो को गैस के नाम तथा संकेत के द्वारा स्पष्ट इंगित होना चाहिए और सिलिंडरों को उसमें मौजूद गैस के अनुसार रंगा जाना चाहिए। एक रंगीन संकेतक कार्ड भी प्रदान किया जाना चाहिए।

8.11 अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम

8.11.1 आंगतुकों को, जहां उपयुक्त हो, पोतभंजन सुविधाओं या पोतों तक तब तक पहंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके साथ सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति न हो और उन्हें उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदान न किये गए हों।

8.11.2 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों या सामूहिक अनुबंधों के समनुरूप श्रमिकों के प्रतिनिधियों की पहुंच के संबंध में उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए।

9 खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन

9.1 सामान्य प्रावधान

9.1.1 खतरनाक पदार्थों के प्रति अरक्षितता (जिनमें कि धूल, धूम्र और गैसें शामिल हैं) का उन्मूलन करने या उसे नियंत्रित करने के आधार के रूप के लिए आईएलओ व्यवहार संहिता *कार्यस्थल में परिवेशी कारक* पर विचारविमर्श करना चाहिए। जहां श्रमिक खतरनाक रसायनों के प्रति अरक्षित होते हैं वहां आईएलओ व्यवहार संहिता *कार्य में रसायनों के उपयोग में सुरक्षा* के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।

9.1.2 सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपाय जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रदान किये गए हैं उन पर मानदंडों की स्थापना की गयी है खास तौर से :

(अ) खतरनाक पदार्थों के साथ काम करने, भंडारण और परिवहन में;

(ब) खतरनाक रसायनों और खतरनाक अवशिष्ट उत्पादों के निपटान और उपचार में जो कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय विनियमों के सुसंगत हों।

9.1.3 नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पोत या वस्तु जिसका कि विनिर्माण होना है भंजन के लिए सुरक्षित स्थिति में है, उसके आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुमति पत्र उपस्थित हैं और वह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भंजन की परिस्थितियों को संतुष्ट करती है जैसे कि :

(अ) खतरनाक पदार्थ जो कि अंतिम यात्रा में पोत की सुरक्षा के लिए आवश्यक नही हैं हटा दिये गए हैं और पर्यावरणीय टिकाऊ प्रकार से पुनर्चक्रीकृत कर दिये गए हैं :

(ब) पोत और उसके टैंक गैसों से मुक्त हैं।

9.1.4 नियोक्ता को विखंडित किये जाने वाले पोत पर मौजूद खतरनाक पदार्थों की एक तालिका सूची की मांग करनी चाहिए यदि वह उपलब्ध नहीं है तो उसे खुद इसे तैयार करना चाहिए। इस सूची का इस्तेमाल यदि लागू करने योग्य हो तो विशेष तौर से उपस्थित खतरनाक पदार्थों (अवशिष्टों) जिन्हें कि आधारभूत समझौता सूची (देखें अनुलग्न IV)में शामिल किया गया है की पहचान, उनके स्थान और मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए।

9.1.5 जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक खतरनाक पदार्थों के प्रति उस हद तक अरक्षित न हों जो कि अरक्षितता की सीमा या अन्य अरक्षितता मानदंडों से अधिक हो जो कि कार्यगत पर्यावरण के मूल्यांकन और नियंत्रण के लिए निर्धारित है। उन्हें इसकी पहचान करनी चाहिए कि क्या कार्यस्थल पर खतरनाक पदार्थ उपस्थित हैं तथा श्रमिकों की अरक्षितता का निरीक्षण करके लेखा जोखा रखना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकें। निरीक्षण के आंकड़ों के आधार पर नियोक्ताओं को खतरनाक पदार्थों के प्रति श्रमिकों की अरक्षितता का मूल्यांकन करना चाहिए।

9.1.6 नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रसायन जिनके साथ काम किया जा रहा हं भंडारण और परिवहन किया जा रहा है या अन्य उपयोग किया जा रहा है चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि उनके प्रासंगिक लक्षणों और उनके उपयोग पर निर्देशों का ब्योरा दिया गया हो, यह कार्य निम्न के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

(अ) आईएलओ व्यवहार संहिता *कार्य में रसायनों के उपयोग में सुरक्षा;*

(ब) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किये गए रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्र।

9.1.7 रसायन जिन्हें कि चिन्हित नहीं किया गया है या जो रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्रों के साथ प्रदान नहीं किए गए हैं उनके साथ तब तक काम नहीं करना चाहिए या उनका भंडारण नहीं करना चाहिए जब तक कि नियोक्ता द्वारा उनके बारे में ऐसी प्रासंगिक सूचनाएं प्राप्त नहीं कर ली जाती और श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

9.2 मूल्यांकन

9.2.1 *खतरनाक पदार्थों की तालिका सूची* (देखें अनुच्छेद 9.1.4) के आधार पर और इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के प्रावधानों के अनुसार, कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए और निम्न के बारे में सूचना प्राप्त करनी चाहिए :

(अ) खतरनाक पदार्थ जो कि उपस्थित हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य खतरनाक परिवेशी कारकों के साथ;

(ब) गतिविधियां और प्रक्रियाएं जिन्हें कि संचालित होना है।

9.2.2 पहचाने गए रसायनों के मामले में नियोक्ता को पदार्थों या उत्पादों की भौतिक अवस्था (उदाहरण के लिए ठोस, द्रव, गैस) के अनुसार जिस अवस्था में कि वे आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किए गए हैं, और यदि उपलब्ध हो तो *खतरनाक पदार्थों की तालिका सूची* से उनके आंतरिक जोखिमों पर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। जहां यह व्यवहार्य नहीं हो, नियोक्ताओं को अन्य निकायों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था (आईएआरसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) रसायन सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीसीएस), यूरोपीय समुदायों व अन्य सक्षम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गयी सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए।

9.2.3 जहां कि संभावित खतरा खनिजों या संश्लेषित तंतुओं, खनिजों की धूलों और वानस्पतिक धूलों के प्रति अरक्षितता से है, नियोक्ता को, खासतौर से *एजबेस्टस समझौता* (संख्या 162) और सिफारिश (संख्या 172), 1986; *स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वायु जन्य पदार्थों के प्रति व्यावसायिक अरक्षितता, एजबेस्ट के उपयोग में सुरक्षा* और *संश्लेषित काचाभ तंतु ऊष्मारोधी रूईयों (कांच की रूई, शैल रूई, धातु रूई)* के उपयोग में सुरक्षा पर आईएलओ व्यवहार संहिताओं तथा *कार्यगत पर्यावरण में धूल नियंत्रण* (सिलिकोसिस) पर आईएलओ दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

9.2.4 जब मूल्यांकन के लिए सूचनाएं प्राप्त कर रहे हों, नियोक्ताओ को उन विशिष्ट कार्य स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए जहां श्रमिकों के अरक्षित होने की संभावना है, उदाहरण के लिए, निम्न के प्रति :

(अ) उपउत्पादों के रूप में खतरनाक धूम्र (उदाहरणार्थ, वेल्डिंग);

(ब) संकुचित स्थानों में खतरनाक पदार्थ और आक्सीजन की कमी;

(स) कार्य की लंबी अवधियां (जैसे कि ओवरटाइम के दौरान) जिनमें कि अतिरिक्त खुराक के जमा होने का खतरा होता है ;

(द) परिवेशी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के कारण उच्च सांद्रताएं उदाहरणार्थ गर्म पर्यावरण जहां खतरनाक पदार्थों की वाष्प का दबाव भी ऊपर उठ सकता है;

(क) बहुमार्गो के द्वारा अवशोषण (सांस लेने से, अंतर्ग्रहण, त्वचा के माध्यम से अवशोषण);

(ख) खतरनाक पदार्थ जो कि उपस्थित हो सकते हैं तो भी जबकि कठिन कार्य करने के समय सांद्रता अरक्षितता स्तरों से नीचे हो।

9.2.5 उपरोक्त अनुच्छेद 9.2.4 में बतायी गयी स्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य कार्य स्थितियों के लिए तय अरक्षितता सीमाएं प्राय: अवैध भी हो सकती हैं। नियोक्ताओं को चाहिए कि वे प्राय: सक्षम प्राधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों (आईएलओ, डब्लूएचओ, आईपीसीएस) या अन्य निकायों से व्यावहारिक सूचनाएं प्राप्त करते रहें।

9.2.6 *मूल्यांकन के दूसरे चरण के रूप में,* नियोक्ता को प्राप्त सूचनाओं का उपयोग अरक्षितता के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरे, विशेषत: रासायनिक मिश्रणों के प्रभावों से होने वाले खतरे के मूल्यांकन के लिए करना चाहिए, उन्हें निम्न का भी ध्यान रखना चाहिए

(अ) प्रवेश के मार्ग (त्वचा, सांस लेना, अंतर्ग्रहण);

(ब) क्षतिग्रस्त त्वचा या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से भेदन का खतरा ;

(स) अंतर्ग्रहण का खतरा (व्यक्तिगत साफ सफाई के स्तरों और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण);

(द) खतरनाक पदार्थों के वायुजनित सांद्रणों के स्तर;

(क) वह दर जिससे कि कार्य किया जा रहा है (उदाहरण के लिए कठिन लक्ष्य);

(ख) अरक्षितता की लंबाई (उदाहरणार्थ के लिए लंबी अवधि तक चलने वाले ओवरटाइम के परिणाम स्वरूप उच्च अरक्षितता);

(ग) अरक्षितता के खतरे को बढ़ाने में अन्य परिवेशी कारकों का प्रभाव (उदाहरण के लिए ग्रर्मी)।

9.2.7 *मूल्यांकन की तृतीय अवस्था* के दौरान, वायुजन्य संदूषकों के परिमापन (निरीक्षण) के लिए एक कार्यक्रम की जरूरत का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम की जरूरत निम्न के लिए होती है :

(अ) श्रमिकों के अरक्षण की सीमा का निर्धारण; और

(ब) अभियांत्रिकी की नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता की जांच।

9.3 रासायनिक जोखिमों के लिए कार्यस्थल में जांच

9.3.1 सामान्य सिद्धांत

9.3.1.1 कार्यस्थल में वायुजन्य संदूषकों के परिमापन (निरीक्षण) आवश्यक होते हैं यदि अन्य तकनीकें अरक्षितता के खतरे और विद्यमान नियंत्रण उपायों के मूल्यांकन के वैध अनुमान प्रदान करने की आवश्यकता पूरी नहीं करतीं। इन्हें *कार्य में रसायनो के उपयोंग में सुरक्षा* पर आईएलओ व्यवहार संहिता के अध्याय 12 के समनुरूप संपन्न करना चाहिए।

9.3.1.2 इस जोखिम मूल्यांकन के लिए तकनीकी में निम्न शामिल हो सकते है :

(अ) आंतरिक स्वास्थ्य और शारीरिक जोखिमों पर सूचना, जिसे कि पोत की *खतरनाक पदार्थों की तालिका सूची* और रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्रों से प्राप्त किया जा सकता है
जो *कार्य में रासायनिक पदार्थों के उपयोग मे सुरक्षा* पर आईएलओ व्यवहार संहिता के अध्याय 5 में स्थापित जरूरतों को पूरा करती है, खासतौर से आईपीसीएम द्वारा प्रदान किये गए अंतरराष्ट्रीय रसायन सुरक्षा कार्डो में स्थापित जरूरतों को (देखें खंड 9.5 और संदर्भ सूची);

(ब) कार्य की विधियों और तौर तरीकों पर आधारित अरक्षितता का अनुमान;

(स) कार्यस्थल में या अन्य उपयोग कर्ताओं का अरक्षितता का अनुभव; और

(द) साधारण गुणवत्तापरक परीक्षण (जैसे कि वायुसंचार विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए धुंए की नलिकाओं और थापी का उपयोग, और चमकदार धूल उत्सर्जन की जांच के लिए धूल वाले लैम्प का उपयोग)।

9.3.2 परिमापन की विधियां

9.3.2.1 नमूने लेने वाले उपकरण उपलब्ध विश्लेषणात्मक विधियों के साथ सुसंगति वाले होने चाहिए और उन्हें सांद्रण की एक उपयुक्त सीमा के ऊपर तक तथा अरक्षितता सीमाओं या प्रकाशित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों, जहां वे विद्यमान हों के समनुरूप अन्य अरक्षितता मानदंडों से नीचे तक वैध होना चाहिए।

9.3.2.2 एक वायुजन्य रसायन के कार्यगत क्षेत्र के पूरे सामान्य वातावरण में वितरण और समस्याओं तथा प्राथमिकताओं की पहचान के निर्धारण के लिए स्थैतिक निरीक्षण का उपयोग करना चाहिए।

9.3.2.3 व्यक्तिगत श्रमिक के लिए अरक्षितता के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए वैयक्तिक निरीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। वैयक्तिक नमूने लेने के उपायों द्वारा श्रमिक के सांस लेने के क्षेत्र में वायु के नमूनों का संग्रहण करना चाहिए। नमूने उस वक्त लेने चाहिए जबकि कार्य गतिविध संचालन में हो।

9.3.2.4 जहां सांद्रण एक कार्य संचालन या अवस्था से दूसरे में भिन्न होता है वहां वैयक्तिक नमूने इस प्रकार की विधि से लेने चाहिए जिससे औसत, और किसी मामले में अधिकतम, प्रत्येक व्यक्तिगत श्रमिक के अरक्षितता स्तर का निर्धारण किया जा सके।

9.3.2.5 वैयक्तिक नमूने लेने को पूरी कार्यपाली के दौरान अरक्षितता का परिमापन करना चाहिए या अरक्षितता के मूल्यांकन की अनुमति देनी चाहिए। अरक्षितता को व्यावसायिक अरक्षितता सीमा मूल्यों के तुलनात्मक होना चाहिए, जिन्हें कि प्राय: एक आठ घंटे की अवधि या लघु अवधि सीमाओं, 15 मिनट के लिए उद्धत किया जाता है। परिमापन पूरी कार्यपाली तक जारी रह सकता है या सविराम हो सकता है, इतनी लंबी अवधि तक कि यह औसत अरक्षितता की एक वैध गणना की अनुमति दे और जहां आवश्यक हो सर्वोच्च उत्सर्जन की अवधि के दौरान लघु अवधि नमूने लेने से अनुपूरित हो।

9.3.2.6 खास रोजगारों या व्यावसायिक श्रेणियों (जैसे कि गैस से काटने वालों, एजबेस्टस, पीसीबी, पेंट इत्यादि मिटाने वालों) की अरक्षितता रूप रेखाओं का निर्माण विभिन्न अभियानों के वायु नमूना आंकड़ों से और इन रोजगारों में श्रमिकों के अरक्षितता समय से किया जाना चाहिए।

9.3.3 निरीक्षण रणनीति

9.3.3.1 एक व्यवस्थित परिमापन कार्यक्रम को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्णित या आरंभिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित कुछ खतरनाक रसायनों के प्रति श्रमिकों की अरक्षितता को नियंत्रण में रखा जा सकता है या नहीं।

9.3.3.2 इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न होने चाहिए :

(अ) यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों का स्वास्थ्य प्रभावी रूप से सुरक्षित है;

(ब) यह सुनिश्चित करे कि रोकथाम की जो कार्रवाइंया की गयी हैं वे अभी भी प्रभावी हैं ;

(स) यह सुनिश्चित करे कि अरक्षितता स्तर, जैसे पूर्व में मापे गए थे अपरिवर्तित बने हुए हैं या गिर गए हैं;

(द) यह सुनिश्चित करें कि पुनर्चक्रीकरण प्रक्रियाओं या कार्य प्रथाओं में किये गए कोई भी परिर्वतन खतरनाक रसायनों के प्रति अत्यधिक अरक्षितता को बढ़ावा नहीं देंगे।

(क) अधिक प्रभावी रोकथामकारी उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे।

9.3.3.3 वायुजन्य संदूषकों का निरीक्षण पर्याप्त उपकरणों के साथ और केवल सक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए।

9.3.3.4 नियोक्ता को चाहिए :

(अ) नियमित निरीक्षण, निरीक्षण उपकरणों के रखरखाव और समुचित अंशशोधन के लिए व्यवस्थाएं करें;

(ब) इन दिशानिर्देशों के खंड 7.4 में की गयी व्याख्या के अनुसार मूल्यांकन की समीक्षा करें।

9.3.4 लेखा जोखा रखना

9.3.4.1 नियोक्ताओं को वायुजन्य संदूषकों के परिमापन का तिथिबद्ध लेखाजोखा रखना चाहिए :

(अ) तकनीक और प्रकार के द्वारा (उदाहरणार्थ स्थैतिक, वैयक्तिक जिनमें कि कारखाने के स्थान, कार्यक्षेत्र, कार्य प्रक्रियाओं, खतरनाक पदार्थो की प्रकृति, अरक्षितता के शिकार श्रमिकों के नाम और सूचियां और नियंत्रण उपायों पर आंकड़ों को यथास्थान होना चाहिए;)

(ब) एक समयावधि के लिए जिसे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

9.3.4.2 श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों और सक्षम प्राधिकारी की इन लेखा जोखा तक पहुंच होनी चाहिए;

9.3.4.3 परिमापन के अंकीय परिणामों के अतिरिक्त, निरीक्षण आंकड़ों को निम्न को भी शामिल करना चाहिए, उदाहरण के लिए :

(अ) खतरनाक रसायनों का चिन्हीकरण;
(ब) कार्यस्थल का स्थान, प्रकृति, परिमाप और अन्य विशिष्ट विशेषताएं तथा संलग्न श्रमिकों के नाम पदनाम;
(स) वायुजन्य उत्सर्जनों के स्त्रोत, उनके स्थान और नमूने लेने के दौरान वहां संचालित किये जा रहे कार्यो और परिचालनों के प्रकार;
(द) कार्यप्रक्रियाओं, अभियांत्रिकी और वैयक्तिक सुरक्षा उपायों, और उत्सर्जनों के संदर्भ में मौसम की परिस्थितियों पर प्रासंगिक सूचनाएं ;
(क) उपयोग किया गया नमूने लेने का उपकरण, इसकी सहायक वस्तुएं और विश्लेषण की विधियां;
(ख) नमूने लेने की तिथि और सटीक समय;
(ग) श्रमिकों की अरक्षितता की अवधि, श्वसन सुरक्षा का उपयोग और अनुपयोग और अरक्षितता मूल्यांकन से संबंधित अन्य टिप्पणियां;
(घ) नमूने लेने और विश्लेषणात्मक निर्धारण के लिए जिम्मेदारी व्यक्तियों के नाम।

9.3.5 निरीक्षण आंकड़ों की व्याख्या और अनुप्रयोग

9.3.5.1 अरक्षितता के खतरे का मूल्यांकन प्राप्त अंकीय परिणामों के आधार पर होना चाहिए, इसका समर्थन और व्याख्या अन्य सूचनाओं जैसे कि अरक्षितता की लंबाई, कार्य प्रक्रियाओं और प्रकारों, वायु प्रसार के परिमापन और परिमापन के दौरान कार्य की अन्य खास परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

9.3.5.2 उस घटना में जबकि निरीक्षण उन स्तरों का रहस्योदघाटन करे जो कि अरक्षितता सीमाओ से अधिक हैं, नियोक्ताओं को श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को सूचित करना चाहिए। खतरे तथा रोकथाम और नियंत्रण कार्रवाई कार्यक्रम के भाग के रूप में इसे कम करने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में सूचना इस प्रकार से दी जानी चाहिए जिसे कि श्रमिक आसानी से समझ सकें।

9.4 नियंत्रण के उपाय

9.4.1 निम्नलिखित सर्वाधिक सामान्य जोखिमों के खिलाफ उपयुक्त रोकथामकारी व सुरक्षात्मक उपाय किये जाने चाहिए:

(अ) एजबेस्टस हटाना और निपटान;
(ब) पॉलीक्लोरीनेटेड बाइ फिनाइल (पीसीबी);
(स) पेंदा और पूरक भार का पानी हटाना;
(द) तेल और ईधन हटाना;
(क) पेंट हटाना और निपटान;
(ख) धातु काटना और धातु निपटान;
(ग) पोत की अन्य मशीनों को हटाना और निपटान।

9.4.2 निम्न के लिए विशिष्ट नियंत्रण उपाय :

(अ) स्वास्थ्य के लिए रसायनों के जोखिम;

(ब) ज्वलनशील, खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया करने वाले या विस्फोटक रसायन;

(स) खतरनाक रसायनों का भंडारण;

(द) रसायनों का परिवहन;

(क) रसायनों का निपटान और उपचार;

कार्य में रसायनों के उपयोग में सुरक्षा पर नियंत्रण उपाय आईएलओ व्यवहार संहिता के खंड 6.5 से 6.9 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाने चाहिए।

9.4.3 किसी भी स्थिति या अभियान के लिए जिसमें कि एजबेस्टस सामग्री धारण करने वाली संरचना को ध्वस्त करने में वायुजन्य एजबेस्टस धूल के प्रति अरक्षितता का व्यावसायिक खतरा संलग्न होता है और एजबेस्टस या एजबेस्टस धारण करने वाली सामग्रियों के साथ काम करने, उनका परिवहन तथा भंडारण करने में *एजबेस्टस के उपयोग में सुरक्षा* पर आईएलओ व्यवहार संहिता के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

9.5 रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्र

9.5.1 रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्र (जिसे कुछ देशों में सामग्री सुरक्षा आंकड़ा पत्र या सुरक्षा आंकड़ा पत्र भी कहा जाता हैं) प्राप्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक पहचाने गए खतरनाक पदार्थ के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

9.5.2 *कार्य में रसायनों के उपयोग में सुरक्षा* पर आईएलओ व्यवहार संहिता के अध्याय 5 की जरूरतों के अनुरूप आपूर्तिकर्ता द्वारा खतरनाक रसायनों के लिए रसायन सुरक्षा आंकड़ा पत्र प्रदान किये जाने चाहिए और रसायन की पहचान, इसके आपूर्तिकर्ता, वर्गीकरण, जोखिमों, सुरक्षा सावधानियों और प्रासंगिक आपात प्रक्रियाओं के बारे में सूचना देनी चाहिए। रसायन सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीसीएस) के अंतरराष्ट्रीय रसायन सुरक्षा कार्ड जोकि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं (देखें संदर्भ सूची) उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिमानों और संदर्भ के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

9.6 स्वास्थ्य निगरानी

9.6.1 इन दिशानिर्देशों के अनुलग्न I के प्रावधानों जो कि श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित हैं इनके परिणामों के उपयोग और लेखा जोखा रखने को लागू किया जाना चाहिए।

9.6.2 निम्न प्रकार के खतरनाक पदार्थो के प्रति अरक्षितता उपयुक्त स्वास्थ्य निगरानी की मांग कर सकती है :

(अ) पदार्थ (धूल, तंतु, ठोस, द्रव, धूम्र, गैसें) जिनकी कि एक अभिज्ञात विषाक्तता है (उदाहरणार्थ एक घातक जहरीला प्रभाव);

(ब) पदार्थ जो कि चिरकालिक प्रभावों का कारण बनने के लिए जाने जाते हैं ;

(स) पदार्थ जो कि सुग्राहकों, दाहोत्पादकों या एलर्जीकारकों के रूप में जाने जाते हैं;

(द) पदार्थ जो कि कैंसर कारक, विरूपताकारक, उत्परिर्वतन कारक के रूप में जाने जाते या संदिग्ध हैं या प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(क) अन्य पदार्थ जो कि विशिष्ट कार्य परिस्थितियों के तहत या परिवेशी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के मामले में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

9.6.3 विशिष्ट जोखिमों के प्रति श्रमिकों की अरक्षितता के मामले में स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का शुरू में ही पता लगाने के लिए जैविक निरीक्षण को भी शामिल करना चाहिए, जब :

(अ) एक वैध और सामान्य रूप से स्वीकृत संदर्भ विधि विद्यमान है;

(ब) इसका उपयोग उन श्रमिकों की पहचान के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत है (व्यक्तिगत श्रमिक की सहमति का विषय);

(स) यह अरक्षितता स्तरों और शुरुआती जैविक प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए भी आवश्यक हो सकती है।

10 शारीरिक जोखिमों के खिलाफ उपाय

10.1 सामान्य प्रावधान

10.1.1 शारीरिक जोखिमों के प्रति अरक्षितता के उन्मूलन या नियंत्रण के लिए, *कार्यस्थल में परिवेशी कारकों पर* आईएलओ व्यवहार संहिता के प्रावधानों पर विचार विर्मश किया जाना चाहिए।

10.2 शोर

10.2.1 नियोक्ताओं को चाहिए :

(अ) उच्च शोर अरक्षितता वाले क्षेत्रों और पीड़ित श्रमिकों की पहचान के लिए एक निरीक्षण कार्यक्रम का विकास करें;

(ब) पीड़ित श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियो को शोर अरक्षितता निरीक्षण का अवलोकन करने के अवसर प्रदान करें;

(स) जहां संभव हो ध्वनि अरक्षितता को न्यूनतम करने के लिए श्रमिकों के लिए कार्य स्थल की रूपरेखा की व्यवस्था करें;

(द) इस पर विचार करें कि क्या शोरयुक्त प्रक्रियाओं को किसी और प्रकार से बिना शोर उत्पन्न किये संचालित किया जा सकता है, या

(क) इसके शोर युक्त भागों को शांतिपूर्ण विकल्पों से प्रतिस्थापित करने पर विचार करें।

10.2.2 यदि शोरयुक्त प्रक्रियाओं और उपकरणों का समग्र रूप में उन्मूलन अव्यावहारिक है, उनके व्यक्तिगत स्त्रोतों की पहचान की जानी चाहिए और शोर को उसके स्त्रोत पर ही नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

10.2.3 यदि स्त्रोत पर ही रोकथाम और नियंत्रण अरक्षितता को पर्याप्त रूप से कम नहीं करता तब शोर के स्त्रोत को ही बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए। बंद करने की रूपरेखा बनाते समय ध्वनिक और उत्पादन कारकों को भी विचार में रखना चाहिए।

10.2.4 जहां सभी अन्य व्यवहार्य उपायों का संयोजन श्रमिकों की अरक्षितता को पर्याप्त रूप से घटाने में विफल हो गया हो नियोक्ताओं को श्रवण सुरक्षा प्रणालियां प्रदान करनी चाहिए और उनके सही उपयोग का पर्यवेक्षण करना चाहिए। इन प्रणालियों को होना चाहिए :

(अ) शोर के स्तर के जरूरी घटाव के अनुरूप चयनित हों;

(ब) संबंधित कार्यगत, पर्यावरण के लिए आरामदेह और व्यावहारिक हों;

(स) व्यक्तिगत ध्वनिक जरूरतों (चेतावनी संदेशों, वक्तव्यों इत्यादि को सुनने की क्षमता) का ध्यान रखें;

(द) निर्माता द्वारा प्रदान की गयी तकनीकी विशेषताओं के समनुरूप उचित रूप से उपयोग की जाएं रखरखाव और भंडारित की जाएं तथा जहां आवश्यक हो बदल दी जाएं।

10.2.5 सभी श्रमिकों के लिए जिनकी शोर अरक्षितता एक निश्चित स्तर तक पहुंच गयी हो, उपयुक्त स्वास्थ्य निगरानी संचालित की जानी चाहिए। अरक्षितता का स्तर राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित हो या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानको द्वारा तय किया गया हो, जिस के ऊपर पहुंचने पर स्वास्थ्य निगरानी संचालित की जानी आवश्यक है।

10.2.6 श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी में शामिल हो सकते हैं :

(अ) एक रोजगार पूर्व या कार्य निर्धारण पूर्व चिकित्सा परीक्षण जिसमें ध्वनिक परीक्षण शामिल हों;

(ब) समायांतरालों पर सावधिक चिकित्सा परीक्षण जो कि अरक्षितता जोखिमों के विस्तार के कार्य के रूप में निर्धारित हों;

(स) विस्तारित बीमारी की अवधि के बाद या उन परिस्थितियों के मामले में जिन्हें कि राष्ट्रीय विधायनों या अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों द्वारा निर्धारित किया गया हो काम पर वापस लौटने से पहले चिकित्सा परीक्षण;

(द) रोजगार की समाप्ति पर शोर के प्रति अरक्षितता के संभावित प्रभावों का एक सामान्य परिदृश्य प्रदान करने के लिए किया गया चिकित्सा परीक्षण ;

(क) एक असामान्यता पाये जाने और इसके आगे जांच की मांग करने पर अनुपूरक और विशेष चिकित्सा परीक्षण।

10.2.7 चिकित्सा परीक्षणों और अनुपूरक परीक्षणों तथा प्रत्येक व्यक्ति की जांचों, जैसे कि ध्वनि संबंधी परीक्षणों के परिणामों को एक गोपनीय चिकित्सा फाइल में दर्ज करना चाहिए। श्रमिक को इन परिणामों और तदनुरूप उनके महत्वों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

10.3 कंपन

10.3.1 खतरनाक कंपनों के प्रति श्रमिकों की अरक्षितता में शामिल होते हैं :

(अ) पूर्ण शरीर कंपन जब शरीर एक ऐसी सतह पर स्थित होता है जो कि कंपन कर रही है। ऐसा परिवहन के सभी रूपों में पाया जाता है और जब कंपन कर रही औद्योगिक मशीनों के समीप काम किया जा रहा हो;

(ब) हाथ से संचारित होने वाले कंपन, जो हाथों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और ये उन विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण होते हैं जिनमें कंपन करने वाले औजारों या कार्य वस्तुओं को हाथों या उंगलियों से पकड़ा या धकेला जाता है।

10.3.2 जब उपकरणों और औद्योगिक वाहनों की खरीद कर रहे हों तब नियोक्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उपयोगकर्ता के लिए कंपन अरक्षितता निर्धारित राष्ट्रीय मानकों में निर्धारित सीमा के भीतर है और श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अन्यथा भारी जोखिम या खतरा उत्पन्न नहीं करती।

10.3.3 हाथ से संचारित होने वाले कंपन के प्रति अरक्षित श्रमिकों का निम्न के लिए समय-समय पर परीक्षण होना चाहिए :

(अ) हाथ-बांह कंपन सिड्रोम (एचएवीएस) जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में निर्धारित है,

(ब) कंपन के संभावित तंत्रिका संबंधी प्रभावों के लक्षण, जैसे कि सुन्न हो जाना, तापमान के लिए बढ़ी हुई संवेदी अब सीमा, दर्द और अन्य कारक।

10.4 प्रकाशीय विकिरण

10.4.1 ऐसे अभियानों को संचालित कर रहे श्रमिकों को जहां कि वे प्रकाशीय विकिरण – अल्ट्रावायलेट (यूवी) दृश्य रोशनी जिसमें कि सूर्य की रोशनी और इन्फ्रा रेड (आईआर) शामिल है, के प्रति अरक्षित होते हैं, चेहरा और आंखों की रक्षा करने वाले उपयुक्त वैयक्तिक उपकरण प्रदान किये जाने चाहिए खासतौर से टार्च कटिंग अभियानों में।

10.4.2 त्वचा की कैंसरकारक पूर्व क्षति का पता लगाने के उदेश्य से, लगातार प्रकाशीय विकिरण अरक्षितता जिसमें कि सूर्य के प्रति अरक्षितता भी शामिल है के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को चिकित्सा निगरानी के तहत रखा जाना चाहिए।

10.5 ऊष्मा दबाव और आर्द्र परिस्थितियां

10.5.1 जहां कहीं भी श्रमिक उष्मा दबावों या आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अरक्षित होते हैं और ये इस प्रकार की हों कि वे स्वास्थ्य हानि या अत्यंत असुविधा को बढ़ावा दे सकती हों, निम्न के लिए रोकथामकारी उपाय करने चाहिए :

(अ) ऊष्मा संबंधी बीमारियों की रोकथाम;
(ब) श्रमिकों की अत्यंत यूवी विकिरण से सुरक्षा;
(स) श्रमिकों की मौसम/वातावरण की ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षा जो कि चोट या बीमारी में योगदान कर सकती हों।

10.5.2 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप, ऊष्मा दबाव की रोकथाम के लिए नियोक्ताओं को चाहिए :

(अ) उचित कार्य संगठन और कार्यस्थल की रूपरेखा के द्वारा श्रमिकों की सूर्य के प्रति अरिक्षतता को न्यूनतम करें ;
(ब) श्रमिको को गड़बड़ी के शुरूआती लक्षणों की जांच में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें;
(स) श्रमिकों की उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों और वस्त्रों के द्वारा सुरक्षा करें;
(द) निरंतर सूर्य के प्रति अरक्षितता के तहत काम कर रहे लोगों में त्वचा को हुई क्षतियों की जांच के उदेश्य के लिए नियमित चिकित्सकीय निगरानी को आवश्यक बनाएं ;
(क) ठंडे पीने के पानी की आपूर्ति करें।

10.6 प्रकाश व्यवस्था

10.6.1 जहां प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित कार्यगत परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और रात के समय के दौरान पर्याप्त और उपयुक्त कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था जिसमें कि जहां उपयुक्त हो ले जायी जा सकने योग्य प्रकाश व्यवस्था शामिल है को प्रत्येक कार्यस्थल में और पोत या पोतभंजन सुविधाओं के किसी भी अन्य ऐसे स्थानों पर जहां से एक श्रमिक को गुजरना पड़ सकता है प्रदान की जानी चाहिए।

10.6.2 विद्युत प्रकाश व्यवस्था प्रासंगिक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। खासतौर से चिंगारी और ज्वलन के स्त्रोत की रोकथाम और न्यूनतम प्रकाश स्तरों केसंदर्भ में। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में केवल ऐसा करने के अधिकार प्राप्त लोगों को ही लैम्पों को बंद या विस्थापित करना चाहिए। माचिसों और खुली लपट वाले लैम्पों का उपयोग पोत पर प्रकाश व्यवस्था के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

10.6.3 यदि एक पोत के भीतर प्रकाश व्यवस्था केवल पोत के बाहर के किसी स्त्रोत से प्रदान की गयी है तो समग्र कार्य अभियान के दौरान पोत पर पर्याप्त आपात प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

10.6.4 कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को जहां तक व्यवहार्य हो चमक या विघ्न डालने वाली छाया का उत्पादन नहीं करना चाहिए।

10.6.5 जहां बिजली के झटकों से होने वाले खतरों की रोकथाम जरूरी है वहां तारों लैम्पों और विद्युत मशीनों को दुर्घटनावश टूटने के खिलाफ उपयुक्त रक्षा कवचों से रक्षित होना चाहिए।

10.6.6 वहन योग्य कृत्रिम प्रकाश उपकरण की तारों को पर्याप्त आकार और विशेषताओं वाला होना चाहिए, विद्युत शक्ति की जरूरतों और पर्याप्त यांत्रिक शक्तियों के लिए ताकि वे पोतभंजन अभियानों की कड़ी परिस्थितियों में टिकाऊ बनी रह सकें।

10.7 विद्युत

10.7.1 सभी विद्युत उपकरणों और संस्थापनों की एक सक्षम व्यक्ति द्वारा स्थापना और देखभाल की जानी चाहिए और उनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वे खतरे के खिलाफ रक्षा कर सकें।

10.7.2 पोतभंजन के शुरू होने से पहले और इसी प्रकार कार्य की प्रगति के दौरान यह निश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए कि किसी विद्युत प्रवाह वाले तार याउपकरण से जो कि नीचे ऊपर या कार्यस्थल पर मौजूद है उसे इस प्रकार रक्षित किया गया है जिससे वह श्रमिकों के लिए कोई खतरा उत्पन्न न करे।

10.7.3 पोतभंजन स्थानों पर विद्युत तारों को बिछाने और उपकरण लगाने तथ्ज्ञा उनके रखरखाव के काम को राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुरूप संपन्न करना चाहिए।

10.7.4 विद्युत संस्थापनों के सभी मार्गो को विद्युत धारा आवश्यकताओं और उन कार्यो के अनुसार पर्याप्त आकार और विशेषताओं वाला होना चाहिए, जिनके लिए कि उनकी मांग की जा सकती है और खासतौर से उन्हें होना चाहिए :

- पोतभंजन अभियानों की कार्यगत परिस्थितियों के अनुसार टिकाऊ बने रहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक मजबूती वाला;
- पानी, धूल या विद्युत, तापीय या रासायनिक क्रियाओं, जिनके कि वे विषय बन सकते है द्वारा क्षतिग्रस्त न होने योग्य हों।

10.7.5 विद्युत संस्थापनों के सभी मार्गो को इस प्रकार निर्मित स्थापित, रखरखाव किया हुआ और नियमित रूप से परीक्षण किया गया होना चाहिए कि वे विद्युत झटकों, आग और बाहय विस्फोट के खतरे की रोकथाम कर सकें।

10.7.6 उन सभी स्थानों पर जहां विद्युत उपकरणों के संपर्क में आने या खतरा उत्पन्न कर सकने की संभावना हो वहां उपयुक्त चेतावनियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

10.7.7 उन लोगों को जिन्हें विद्युत उपकरणों को संचालित करना है, उन्हें संबंद्ध उपकरण के किन्हीं भी संभावित खतरों के प्रति पूर्ण रूप से निदेर्शित होना चाहिए।

11 जैविक खतरों के विरूद्ध उपाय

11.1 राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खतरों जैसे कि जैविक कारकों के कारण होने वाले संक्रमण, एलर्जी या जहरबाद की रोकथाम की गयी है या उन्हें एक न्यूनतम स्तर पर बनाये रखा गया है जबकि कार्य गतिविधियां प्रासंगिक राष्ट्रीय या अन्य मान्यता प्राप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार संपन्न की जा रही हों।

11.2 उन क्षेत्रों में जहां जैविक कारक एक जोखिम उत्पन्न करते हैं (अवमल निकालना, पेंदे की सफाई और तलछट की सफाई के कार्य इत्यादि) रोकथामकारी उपाय किये जाने चाहिए जो संचरण की विधियों का ध्यान रखते हों, खासतौर से :

(अ) साफ-सफाई और श्रमिकों को सूचना देने के प्रावधान;

(ब) रोगवाहकों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कि चूहे और कीट;

(स) रासायनिक रोगनिरोधन और प्रतिरक्षण;

(द) प्राथमिक उपचार, विषहरों के प्रावधान, जहरीले जंतुओं, कीटों या पौधों के साथ संपर्क के मामले में अन्य आपात प्रक्रियाएं, और उपयुक्त रोकथामकारी और सुरक्षात्मक औषधियां खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में;

(क) पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणों और वस्त्रों की आपूर्ति तथा अन्य उपयुक्त सावधानियां।

12 कार्यिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम

12.1 यह सुनिश्चित करने के कदम उठाये जाने चाहिए कि औजारों, मशीनों और उपकरणों का जिनमें कि वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं; उपयुक्त चयन या कार्य के अनुसार अनुकूलन किया गया है। उपयोगकर्ता देशों में स्थानीय परिस्थितियों और खासतौर से पर्यावरण संबंधी निहितार्थों और जलवायु के प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए।

12.2 सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संबद्ध प्रतिनिधिक संगठनों से विचार विमर्श के बाद सामग्रियों के साथ काम करने और उनके परिवहन के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों की स्थापना करनी चाहिए, खासतौर से तब जब उनके साथ काम हाथों द्वारा किया जाना हो। ये जरूरतें जोखिम मूल्यांकन, तकनीकी मानकों और चिकित्सकीय राय पर आधारित होनी चाहिए और उन सभी प्रासंगिक परिस्थितियों का ध्यान रखने वाली हों जिनके तहत कि राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं के समनुरूप कार्य का संचालन किया जा रहा है।

12.3 श्रमिकों को न तो इसकी जरूरत होनी चाहिए और न ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए कि वे एक ऐसे भार के साथ हाथों से काम करने में या परिवहन में संलग्न हों जो अपने भार, आकार, आकृति और प्रकृति के कारण उनकी सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला है। जहां उपयुक्त हो कार्य प्रक्रियाओं के मशीनीकरण की शुरूआत करनी चाहिए जो धीरे धीरे बढ़कर हाथों से उठाने वाले या अन्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर दें।

12.4 होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असुविधा, खासतौर से भीड़ भरे, असुरक्षित, अस्वस्थ और अस्थिर रहन सहन वाले पर्यावरण और गोपनीयता के अभाव के द्वारा होने वाली असुविधा को टालने के विचार से पर्याप्त और उपयुक्त कल्याण सुविधांए प्रदान की जानी चाहिए (देखें इन दिशा निर्देशों का अध्याय 18)।

13 औजारों, मशीनों और उपकरणों के लिए सुरक्षा जरूरतें

13.1 सामान्य जरूरतें

13.1.1 *मशीनरी को सुरक्षित करने पर आईएलओ समझौता,* 1963 (संख्या 119) और सिफारिश, 1963 (संख्या 118) के प्रावधनों के समनुरूप सभी औजारों, मशीनों और उपकरणों जिनका कि पोतभंजन में इस्तेमाल होता है, जिनमें कि हाथों के औजार भी शामिल हैं हाथों से और विद्युत से चलने वाले दोनों को चाहिए :

(अ) सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों का अनुपालन करें जैसा कि अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों और सिफारिशों जहां भी ये उपलब्ध हों में निर्धारित हैं;

(ब) अच्छे आकार और गठन के हों, जहां तक संभव हो सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सिद्धांतों का ध्यान रखें ;

(स) उत्तम कार्यगत स्थिति में रखरखाव किये गये हों;

(द) केवल उसी कार्य के लिए उपयोग किये जाएं जिसके लिए कि उनका निर्माण किया गया है जब तक कि आरंभिक रूपरेखा उद्देश्यों का बाहर उपयोग का एक सक्षम व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन यह निष्कर्ष न दे दिया जाए कि इस प्रकार का उपयोग सुरक्षित है;

(क) उपयोग किये जांए या संचालित किये जाएं केवल उन श्रमिकों के द्वारा जिन्हें कि अधिकृत किया गया है और उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया हैं;

(ख) सुरक्षात्मक कवचों, ढालों या अन्य विधियों जैसी कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में मांग की गयी हो के साथ प्रदान किये जाएं।

13.1.2 नियोक्ताओं, निर्माताओं या अभिकर्ताओं को उपयोगकर्ता, रखरखाव और औजारों, मशीनों तथा उपकरणों के सुरक्षित कार्यो के सभी पहलुओं पर व्यापक और स्पष्ट निर्देश और सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। इनमें वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण और साथ ही साथ प्रशिक्षण की किन्हीं भी मांगों को शामिल करना चाहिए।

13.1.3 किसी भी श्रमिक को जो औजारों, मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा हो, प्रदत्त सुरक्षा कवचों को अप्रयोज्य नहीं बनाना चाहिए और न ही ऐसे कवच किसी भी मशीन पर अप्रयोग्य बनने चाहिए जिसका कि किसी श्रमिक द्वारा उपयोग किया जाना है।

13.1.4 उपकरण इस प्रकार बने होने चाहिए कि वे आसान और सुरक्षित रखरखाव वाले हों और छोटी-मोटी मरम्मत को कार्यस्थल पर ही ठीक करने की अनुमति दें। श्रमिक जो उपकरणों को संचालित कर रहे हों उन्हें मशीनों और औजारों के दिन प्रतिदिन रखरखाव और छोटी मरम्मतें करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहां यह सुनिश्चित न हो सकता हो एक सक्षम व्यक्ति को कार्यस्थल की आसान पहुंच के भीतर रहना चाहिए।

13.1.5 मशीनों और उपकरणों को इस प्रकार निर्मित और स्थापित होना चाहिए जिससे कि वे वस्तुओं या गतिमान और स्थिर भागों के बीच के खतरनाक बिन्दुओं को टाल सकें। यदि यह मामला नहीं है तो सभी खतरनाक गतिमान भागों जैसे कि पश्चाग्र घटकों, घूर्णित शाफ्ट्स, गीयर या बेल्ट चालकों को बंद कर देना चाहिए या राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप पर्याप्त रूप से सुरक्षित कर देना चाहिए।

13.1.6 औजारों, मशीनों और उपकरणों का संचालन कर रहे श्रमिकों को उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किये जाने चाहिए।

13.2 हाथ के औजार

13.2.1 हाथ के औजार और साधनों को सक्षम व्यक्ति द्वारा ही छेड़ा, सज्जित और मरम्मत किया जाना चाहिए। हथौड़ों और अन्य प्रहार वाले औजारों के सिरों को एक उपयुक्त दायरे में किनारों की ओर से सज्जित या रख दिया जाना चाहिए जैसे ही वे भोथरे होनें लगें या उनमें दरारें पड़ने लगें। काटने वाले औजारों की धारों को तीक्ष्ण रखा जाना चाहिए।

13.2.2 जब पैने औजारों से काम न लिया जा रहा हो या जब उन्हें लें जाया या इधर से उधर भेजा जा रहा हो तब उन्हें म्यान में, ढालों खोलों या अन्य उपयुक्त पात्रों के अंदर रखा जाना चाहिए।

13.2.3 ज्वलनशील या विस्फोटक धूलों या वाष्पों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों या उनके आसपास केवल बिना चिंगारी वाले औजारों का उपयोग करना चाहिए।

13.2.4 नियोक्ताओं को असुरक्षित औजारों को जारी नहीं करना चाहिए या उनके उपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

13.3 विद्युत औजार

13.3.1 वहन योग्य विद्युत औजारों का ही प्रमुखता से उपयोग होना चाहिए, जहां तक कि संभव हो और वह भी घटी हुई विद्युत धारा पर ताकि घातक झटकों के खतरों को टाला जा सके।

13.3.2 सभी विद्युत औजारों को चाहिए :

(अ) कि उनकी अर्थिगं हुई हो, जब तक कि वे पूरी तरह इंसुलेटेड या दोहरे इंसुलेटेड न हों जिन्हें कि अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होती; अर्थिग को धात्विक बक्सों में संस्थापित होना चाहिए और उन क्षतिग्रस्त तारों से सुरक्षा करने वाला होना चाहिए जहां कि वे औजार में प्रविष्ट होती हैं ;

(ब) उनका एक नियमित आधार पर निरीक्षण और रखरखाव होना चाहिए, एक सक्षम बिजली मिस्त्री द्वारा और इसका पूरा लेखा जोखा रखा जाना चाहिए।

13.4 दीप्त कर्तन और अन्य गर्म कार्य

13.4.1 श्रमिकों को होना चाहिए :

(अ) उपयोग किये जाने वाले उपकरणों से परिचित और सक्षम, जिनका कि उपयोग से पहले एक सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया गया हो;

(ब) यदि विशेष सावधानियां बरते जाने की जरूरत है तो सावधानी पूर्वक निदेर्शित किये गए हों।

13.4.2 अभियानों के दौरान नुकसानदायक धूम्र उत्पन्न हो सकते हैं या आक्सीजन कम हो सकती है। संकुचित स्थानों या घिरे हुए स्थानों पर अभियानों के दौरान विशेष सावधानियां बरती जानी चाहिए।

13.4.3 कार्य प्रक्रियाओं में संलग्न श्रमिकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वच्छ और मान्यता प्राप्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण धारण किये जाने चाहिए। श्रमिकों को सामान्यत: पहनने चाहिए :

(अ) एक वेल्डिंग शिरस्त्राण और आंखों की उपयुक्त ढाल;

(ब) काम करने वाले चमड़े के दस्ताने;

(स) जहां उपयुक्त हो चमड़े का एक एप्रन; और

(द) अन्य उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण।

13.4.4 किसी भी अभियान को शुरू करने से पहले, एक सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण और जांच की जानी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य क्षेत्र या उससे सटे किसी कक्ष में कोई दहनशील ठोस, द्रव्य या गैस उपस्थित नहीं है जो कि गर्मी या काम के दौरान चिंगारियां निकलने से आग पकड़ सकते हैं।

13.4.5 सभी सतहों को जिन पर कि गर्म कार्य संपन्न किये जाने हैं तेल, स्नेहकों या किसी भी ज्वलनशील या दहनशील सामग्री से मुक्त होना चाहिए।

13.4.6 जहां व्यवहार्य हो सभी छिद्रों को जिनके माध्यम से चिंगारियां गिर सकती हैं बंद कर दिया जाना चाहिए।

13.4.7 नौभार टैंकों, ईंधन टैंकों, नौभार धारण करने वाले या अन्य टैंकों या स्थानों (जिनमें कि नौभार पंप या पाइप लाईन भी शामिल हैं) जो कि ज्वलनशील पदार्थो को धारण करते हैं को एक सक्षम व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य शुरू होने से पहले ज्वलनशील गैसों से मुक्त प्रमाणित किया जाना चाहिए।

13.4.8 सभी अभियानों का उचित पर्यवेक्षण होना चाहिए और अग्नि निगरानी का रखरखाव किया जाना चाहिए। कार्य के क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र दोनों स्थानों पर, जिसमें कि प्रभावित पोतभित्ति के दूसरी ओर के स्थान भी शामिल हैं। देरी से लगने वाली आग की संभावना के कारण कार्य संपूर्ण हो जाने के बाद भी एक उपयुक्त समयावधि तक अग्नि निगरानी का रखरखाव किया जाना चाहिए।

13.4.9 उपयुक्त आग बुझाने वाले तत्वों की एक पर्याप्त मात्रा तैयार रखी जानी चाहिए।

13.5 गैस सिलिंडर

13.5.1 दाबयुक्त या द्रवीभूत गैसों के सिलिंडरों को होना चाहिए :

(अ) मजबूत सामग्री द्वारा उचित प्रकार से निर्मित;

(ब) राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के समनुरूप उपयुक्त सुरक्षा विधियों से सज्जित;

(स) एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा निरीक्षित और परीक्षित जैसा कि निर्धारित है; और

(द) निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ सुसंगति से उपयोग किए गए, संचालित किये गए, परिवहन किये गए और भंडारण किये गए।

13.5.2 सिलिंडरों को समुचित रूप से सुरक्षित और सीधा रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें शीघ्र गैस मुक्त करने में सक्षम होना चाहिए। आक्सीजन और ईधन गैस सिलिंडरों (जैसे कि एसीटिलीन) को उपयुक्त और अलग तथा अच्छी तरह से हवादार कक्षों में रखा जाना चाहिए जो कि तापमान के चरम के विषय न बनें। उस स्थान पर बिजली की तारें या दहन के अन्य स्त्रोतों को नहीं होना चाहिए। प्रवेश स्थान पर और क्षेत्र के भीतर धूम्रपान वर्जित का चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना चाहिए।

13.6 विद्युत जेनरेटर

13.6.1 विद्युत जेनरेटरों को चाहिए :

(अ) सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का पालन करते हों;
(ब) अधिकतम पूर्वानुमानित भार को प्राप्त करने के अनुसार श्रेणीबद्ध हों;
(स) घिरे हुए और पर्याप्त हवादार क्षेत्रों में स्थापित हों;
(द) एक अभिभावी विद्युत स्विच के साथ प्रदान किये गए हों ताकि रखरखाव के दौरान दुर्घटनावश दूर से स्टार्ट हो जाने की आशंका को टाला जा सके और आवश्यक ध्वनि नियंत्रकों तथा गंदी हवा को बाहर निकालने की पाइपों के साथ प्रदान किए गए हों।

13.6.2 जब कि श्रमिकों के रहनसहन के स्थान के पास स्थित हों तब विद्युत जेनरेटरों को एक कंकरीट के कक्ष में या राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप शोर की असुविधा को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त रूप से इंसुलेटेड क्षेत्र में रखा जाना चाहिए।

13.7 उठाने के यंत्र और गीयर

13.7.1 नियोक्ताओं के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित सुरक्षा योजना होनी चाहिए कि सभी उठाने के उपकरण और उठाने के गीयर चयनित, स्थापित, परीक्षित, जांचे गए, रखरखाव युक्त संचालित और विखंडित है :
(अ) किसी भी दुर्घटना की उत्पत्ति की रोकथाम के विचार के साथ ;
(ब) राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और मानकों में स्थापित जरूरतों के समनुरूप।

13.7.2 उठाने वाला प्रत्येक उपकरण, उसके घटक तत्वों, संयोजनों, स्थिरणाों और अवलंबों सहित अच्छी रूपरेखा और गठन का हो मजबूत सामग्री से बना हो और उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए कि इसका उपयोग किया जाना है पर्याप्त शक्तिवाला हो।

13.7.3 उठाने वाले प्रत्येक उपकरण और उठाने वाले गीयर की प्रत्येक वस्तु की खरीद किये जाने के समय उनके साथ उपयोग के लिए निर्देश और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रदान किये गये जांच प्रमाण पत्र तथा निम्न के संदर्भ में राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को सुनिश्चित करने वाली प्रतिभूति भी होनी चाहिए :
(अ) अधिकतम सुरक्षित कार्य भार;
(ब) विभिन्न त्रिज्याओं पर सुरक्षित कार्यभार यदि उठाने वाले उपकरण का घेरा विभिन्नता वाला हो;
(स) उपयोग की परिस्थितियां, जिनके तहत अधिकतम या विभिन्नता वाला सुरक्षित कार्य भार उठाया या उतारा जा सके।

13.7.4 उठाने वाले प्रत्येक उपकरण और उठाने वाले गीयर के प्रत्येक भाग जिनका कि एक ही सुरक्षित कार्यभार हो, को एक सुस्पष्ट स्थान पर स्पष्टतया चिन्हित होना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के समनुरूप अधिकतम सुरक्षित कार्यगत भार की जानकारी दी गयी हो।

17.7.5 उठाने वाले प्रत्येक उपकरण जिसका कि विभिन्नता वाला सुरक्षित कार्यभार हो उस पर एक भार सूचक लगा हुआ हो या कोई अन्य प्रभावी उपाय हों जो कि चालक को प्रत्येक अधिकतम सुरक्षित कार्यभार और उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट संकेत करें जिनके तहत ये लागू होते है।

13.7.6 उठाने वाले सभी उपकरणों को पर्याप्त और सुरक्षित रूप से अवलंबित होना चाहिए; उस आधार जिस पर कि उठाने वाले उपकरण को संचालित किया जाना है उसकी भार वहन करने की विशेषताओं का उपयोग से पहले ही अग्रिम सर्वेक्षण कर लिया जाना चाहिए।

13.7.7 उठाने वाले उपकरणों को सक्षम व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए :

(अ) इस प्रकार कि वे भार, कंपन या अन्य प्रभावों से विस्थापित न किये जा सकें;

(ब) इस प्रकार कि संचालक भार, रस्सों और ड्रमों के कारण होने वाले खतरे के प्रति अरक्षित न हों;

(स) इस प्रकार कि संचालक या तो संचालन क्षेत्र के ऊपर से सब कुछ देख सके या सभी भार उठाने और उतारने वाले स्थानों से प्रतीकों या अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा संवाद कर सके।

13.7.8 उठाने वाले उपकरण के गतिशील भागों या भार के बीच, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित एक सुरक्षित दूरी प्रदान की जानी चाहिए और :

(अ) आसपास के पर्यावरण में अटल वस्तुएं और

(ब) विद्युत सुचालक।

13.7.9 एक उठाने वाले उपकरण के किसी भी भाग में कोई ऐसा संरचनात्मक बदलाव या मरम्मत सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण और अनुमति के बिना नहीं करनी चाहिए जो उपकरण की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता हो।

13.7.10 आईएलओ के *व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (गोदीकार्य) समझौता, 1979 (संख्या 152)* के समनुरूप और जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों में निर्धारित है, प्रत्येक उठाने वाले उपकरण और श्लथ गीयर की सभी वस्तुओं का एक सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण और जांच की जानी चाहिए :

(अ) पहली बार उपयोग में लिये जाने के से पहले ;

(ब) कार्यस्थल पर खड़ा किये जाने के बाद;

(स) तदनंतर निर्धारित अंतरालों पर;

(द) भार वहन करने वाले भागों मे किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव या मरम्मत के बाद।

13.7.11 उठाने वाले उपकरणों और श्लथ गीयर की वस्तुओं का एक रजिस्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए, इसमें आईएलओ द्वारा प्रस्तावित नमूने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

13.7.12 किसी भी उठानेवाले उपकरण का संचालन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो :

(अ) 18 वर्ष से कम उम्र की आयु का हो;

(ब) चित्सिकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त न हो;

(स) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ न हो और समुचित शिक्षा प्राप्त न हो।

13.7.13 एक उठाने वाले उपकरण या उठाने वाले गीयर की वस्तु पर इसके सुरक्षित कार्य भार की सीमा से अतिरिक्त भार या भारों को नहीं लादना चाहिए, केवल परीक्षण उद्देश्यों को छोड़कर जैसा कि एक सक्षम व्यक्ति के निर्देशों के तहत निर्धारित हो।

13.7.14 एक उठाने वाले उपकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को भी नहीं चढ़ाना, उतारना या ले जाया जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप यह उस उद्देश्य के लिए गठित, स्थापित और उपयोग में लाया जा रहा है, एक आपात स्थिति को छोड़कर :

(अ) जिसमें गंभीर वैयक्तिक चोट या घातकता उत्पन्न हो सकती है;

(ब) जिसके लिए कि उठाने वाले उपकरण को सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

13.8 उठाने वाले रस्से

13.8.1 उठाने वाले रस्सों की स्थापना, रखरखाव और निरीक्षण निर्माता के निर्देशों और राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के समनुरूप होना चाहिए।

13.8.2 केवल उन्हीं रस्सों का उठाने वाले रस्सों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो पर्याप्त सुरक्षित, कार्यगत क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

13.8.3 जहां बहुत से स्वतंत्र रस्सों का उपयोग स्थायित्व, एक कार्य के मंच को उठाने के लिए किया जाता हैं, प्रत्येक रस्सा भार को स्वतंत्र रूप में उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए।

13.9 परिवहन सुविधाएं

13.9.1 लोगों और सामग्रियों के लिए परिवहन सुविधाओं को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विनियमों के अनुरूप होना चाहिए और संरचना, गठन तथा संचालन के संदर्भ में उत्तम व्यवहार वाला होना चाहिए।

13.9.2 आपात स्थिति के मामलों के अतिरिक्त लोगों का ऐसे वाहनों या उपकरणों में परिवहन जो कि इस उदेश्य के लिए न तो बने और न ही पारित किये गए हैं प्रतिबंधित होना चाहिए। इस प्रभाव की एक सूचना प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

14 सक्षमता और प्रशिक्षण

14.1 सामान्य

14.1.1 नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के प्रावधानों पर आधारित या इनकी अनुपस्थिति की दशा में श्रमिकों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद आवश्यक ओएसएच सक्षमता जरूरतों की व्याख्या की जानी चाहिए और उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की स्थापना स्थापित तथा रखरखाव करना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्ति अपने वर्तमान या नियोजित दायित्वों और जिम्मेदारियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं को संपन्न करने में सक्षम हैं।

14.1.2 नियोक्ताओं के पास होनी चाहिए या उनकी पहुंच होनी चाहिए, पर्याप्त ओएसएच सक्षमता तक, ताकि वे कार्य संबंधी जोखिमों और खतरों की पहचान और उन्मूलन या नियंत्रण कर सकें तथा ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था का कार्यान्वयन कर सकें। आरंभिक और जारी जोखिम पहचान तथा खतरा मूल्यांकन प्रक्रिया से विशेष प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान की जा सकती है।

14.1.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम को होना चाहिए :

(अ) संस्थापन के सभी सदस्यों को दायरे में ले, जैसा उपयुक्त हो;

(ब) सक्षम व्यक्तियों द्वारा संचालित हो;

(स) उपयुक्त अंतरालों पर प्रभावी और समयबद्ध आरंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करें;

(द) प्रशिक्षण के उनके परिज्ञान और अवधारण पर सहभागियों के मूल्यांकन को शामिल करें ;

(क) समय-समय पर सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति द्वारा, जहां यह विद्यमान हों, इनकी समीक्षा हो और आवश्यकतानुसार रूपांतरित हों;

(ख) दस्तावेजीकृत हो।

14.1.4 प्रशिक्षण के प्रारूप और सामग्री को श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श से आविष्कारित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए और उसे पहचानी गयी जरूरतों के समनुरूप होना चाहिए तथा इनमें शामिल हो सकते हैं :

(अ) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विधायनों के संगत पक्ष, जैसे कि सक्षम प्राधिकारियों, नियोक्ताओं, ठेकेदारों और श्रमिकों के अधिकार, जिम्मेदारियां और दायित्व;

(ब) सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिमों और खतरों की प्रकृति और श्रेणी जो कि उत्पन्न हो सकते हैं, किसी भी ऐसे कारक सहित जो कि खतरे पर प्रभाव डाल सकता है जैसे कि उपयुक्त साफ सफाई की प्रथाएं;

(स) रोकथाम नियंत्रण और सुरक्षा उपायों का सही और प्रभावी उपयोग, विशेषकर अभियांत्रिकी नियंत्रण, और इस प्रकार के उपायों को उचित प्रकार से उपयोग करने की उनकी खुद की जिम्मेदारी;

(द) संचालन प्रकियाएं जबकि संकुचित स्थानों में काम कर रहे हों;

(क) पदार्थो के साथ काम करने प्रक्रियाओं और उपकरणों के संचालन, भंडारण, परिहवन और अवशिष्ट निपटान की सही विधियां ;

(ख) मूल्यांकन समीक्षाएं और अरक्षितता परिमापन तथा इस संदर्भ में श्रमिकों के अधिकार और दायित्व ;

(ग) स्वास्थ्य निगरानी की भूमिका, इस संदर्भ में श्रमिकों के अधिकार तथा कर्तव्य और सूचना तक पहुंच;

(घ) वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरणों के बारे में निर्देशों, जैसे भी आवश्यक हों, उनका महत्व सही उपयोग और सीमाएं, और खासतौर से उन कारकों के बारे में जो अपर्याप्तता या उपकरण के संचालन में गडबड़ी दिखा सकते हैं; और वे उपाय जो श्रमिकों के लिए अपनी सुरक्षा करने के लिए जरूरी हो सकते हैं;

(च) खतरनाक परिवेशी कारकों के लिए जोखिम चेतावनी संकेत और प्रतीक जो उत्पन्न हो सकते हैं;

(छ) आपात उपाय, अग्निशमन और आग की रोकथाम, तथा प्राथमिक उपचार;

(ज) रोकथाम के लिए उपयुक्त साफ सफाई की प्रथाएं, उदाहरण के लिए खतरनाक पदार्थो का घर व पारिवारिक पर्यावरण में संचरण;

(झ) सफाई, रखरखाव, भंडारण और अवशिष्ट निपटान उस सीमा तक कि ये संबंधित श्रमिकों के लिए अरक्षितता का कारण न बनें;

(त) एक आपात स्थिति में प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

14.1.5 सभी सहभागियों को बिना किसी लागत के प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और इसे कार्य के घंटों के ही दौरान संपन्न होना चाहिए। यदि यह संभव न हो समय और अन्य व्यवस्थाओं पर नियोक्ता एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनायी जा सकती है।

14.1.6 नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण और सूचना जरूरतों एवं प्रक्रियाओं को समीक्षा के तहत रखा गया है, मूल्यांकन समीक्षा और दस्तावेजीकरण के एक भाग के रूप में।

14.2 प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की योग्यता

14.2.1 प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे एक उपयुक्त योग्यता एवं प्रशिक्षण धारण करते हों या उन्होंने पर्याप्त ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त कर लिया हो ताकि सक्षमता के आधार पर सफल हों सके और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे समर्थ हैं :

(अ) सुरक्षित पोतभंजन अभियानों की योजना बनाने और कार्य संगठन में जिसमें कि जोखिमों की पहचान, खतरों का मूल्यांकन और रोकथामकारी उपायों का क्रियान्वयन शामिल है;

(ब) एक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना, कार्यान्वयन और उसके रखरखाव में;

(स) उन अभियानों जिनके लिए कि वे जिम्मेदार है में सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति के निरीक्षण में;
(द) जरूरतों का अनुपालन न होने पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में।

14.3 श्रमिकों की योग्यता, प्रशिक्षण और कौशल जांच

14.3.1 श्रमिकों को सिर्फ वही काम दिये और करने दिये जाने चाहिए जिनके लिए कि उसके पास जरूरी कौशल स्तर, ज्ञान और प्रशिक्षण है।

14.3.2 नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी श्रमिक, जिनमें कि ठेकेदार और उनके श्रमिक, आकास्मिक, दिन के मजदूर और प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं,

(अ) उन्हें दिये गए कार्यो के लिए पर्याप्त शिक्षित और प्रशिक्षित तथा प्रासंगिक कौशल प्रमाणपत्र प्राप्त;
(ब) उनके कार्य और पर्यावरण के संबंध में होने वाले जोखिमों के बारे में उपयुक्त रूप में निदेर्शित, साथ ही साथ, स्वास्थ्य को होने वाली हानियों और दुर्घटनाओं को टालने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में प्रशिक्षित;
(स) प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, जरूरतों, व्यवहार संहिताओं, निर्देशों और सलाहों जो कि दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम से संबंधित हैं के बारे में जागरूक बनाये गए;
(द) सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में सूचित ;
(क) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग और प्रभावों तथा इनकी उपयुक्त देखभाल एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, जहां उपयुक्त हो, प्रशिक्षण की सामग्री अवधि और स्थान का ध्यान रखने के बारे में उचित रूप से निर्देशित।

14.3.3 कौशल और ज्ञान के आवश्यक स्तर की व्याख्या की जानी चाहिए तथा कौशल जांच के माध्यम से जो एक अधिकार प्राप्त ईकाई द्वारा जिसे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी हो द्वारा प्रमाणपत्र देने की दिशा में बढ़े, इसका उदेश्य परक मूल्यांकन होना चाहिए। इस प्रक्रिया को औपचारिक प्रशिक्षण या कार्यस्थल पर संचालित प्रशिक्षण के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

14.3.4 एक विशेष लक्ष्य के लिए आरंभिक कार्य प्रदान किये जाने से पहले सभी श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। इस प्रशिक्षण के सीखने के उदेश्यों को स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए इसका गठन और संचालन एक शिक्षित प्रशिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें शामिल होने चाहिए :

(अ) कार्य के उदेश्य के बारे में जानकारी और उपयोग की जाने वाली विधियां तथा तकनीकें;
(ब) सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सूचना;
(स) औजारों और मशीनों का उपयोग तथा रखरखाव;
(द) किसी भी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण का चयन और उपयोग; प्रभावकारिता और सुरक्षा के लिए कार्य प्रदर्शनों का मूल्यांकन।

14.3.5 प्रशिक्षण के परिणामों की जांच की जानी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिक दिये गए कार्य का सामना करने में समर्थ हैं और बिना स्वयं को, दूसरों को और पर्यावरण को खतरे में डाले इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कौशल प्राप्त हैं। जांच के परिणामों का लेखाजोखा रखना चाहिए, इन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए और ग्राहक को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

14.4 ठेकेदारों और अन्य तृतीय पक्षों की योग्यता

14.4.1 सेवाओ के अनुबंधों में ऐसी मानक शर्तें होनी चाहिए जो ठेकेदारों से सिर्फ उन श्रमिकों को नियुक्त करने, जिनके पास प्रासंगिक कौशल है तथा राष्ट्रीय एवं संस्थापना के सुरक्षा मानकों का पालन करने की मांग करती हों।

14.4.2 ठेकेदारों के लिए पंजीकरण व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जो उत्तम सुरक्षा प्रदर्शन को पंजीकरण के लिए पूर्वशर्त बनाती हों। स्वैच्छिक सदस्यता वाली ठेकेदारों की संस्थाएं भी ठेकेदारों के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक प्रभावी उपाय हो सकती हैं।

15 वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा वस्त्र

15.1 सामान्य प्रावधान

15.1.1 अनुच्छेद 4.4.3 के समनुरूप, केवल जहां जोखिमों/खतरों के उन्मूलन के द्वारा खतरनाक परिवेशी कारकों के प्रति अरक्षितता के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा, स्त्रोत पर उनके नियंत्रण, सुरक्षित कार्य व्यवस्था बनाने तथा सामूहिक उपायों के द्वारा उन्हें न्यूनतम बनाना सुनिश्चित न हो सकता हो और सभी अन्य उपाय या तो अव्यवहार्य हों या सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत परिस्थितियां नहीं बना पाते हों तो वहां नियोक्ता द्वारा उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और सुरक्षात्मक वस्त्र प्रदान किये जाने चाहिए और उनका रखरखाव किया जाना चाहिए।

15.1.2 पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना चाहिए, या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जिनमें कि पर्यावरण संबंधी सिद्धांतों का ध्यान रखा गया हो और इन्हें उसी प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों में निर्धारित है :

(अ) बिना लागत श्रमिकों पर डाले;

(ब) कार्य के प्रकार और खतरों को ध्यान में रखते हुए;

(स) श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों से विचार विर्मश के अनुरूप।

15.1.3 एक सक्षम प्राधिकारी को जो जोखिम की प्रवृत्ति और जरूरी सुरक्षा के प्रकार, श्रेणी तथा प्रदर्शन के बारे में पूर्ण समझ रखता हो, चाहिए :

(अ) पीपीई तथा सुरक्षात्मक वस्त्रों की उपयुक्त वस्तुओं का चयन करें :

(ब) यह व्यवस्था करे कि पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयुक्त भंडारण, रखरखाव, सफाई, परीक्षण, विस्थापना हो तथा यदि स्वास्थ्यकारणों से जरूरी हो तो उपयुक्त अंतरालों पर उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और मान्यता प्राप्त मानकों या निर्देशों के समनुरूप कीटाणु रहित और जीवाणु रहित किया जाए।

15.1.4 नियोक्ताओं को चाहिए कि श्रमिकों को उपयुक्त निर्देश और उपाय प्रदान करें जिससे कि उन्हें पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्रों के समुचित उपयोग, रखरखाव तथा भंडारण में समर्थ बनाया जा सके।

15.1.5 श्रमिकों के लिए जरूरी है कि :

(अ) उनके उपयोग के लिए प्रदान किए गए पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्रों का उचित उपयोग और देखभाल करें;

(ब) प्रदान किये गए पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्रों का उस पूरे समय तक उपयोग करें जिस दौरान कि वे उस

खतरे के प्रति अरक्षित रहते हैं जो इनके उपयोग की मांग करता है।

15.1.6 वे पीपीई, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सामग्रियों द्वारा संदूषित हो सकते हैं, उन्हें श्रमिको के घरों पर धोया, साफ किया या रखा नहीं जाना चाहिए। जब सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयोग किया जाना जरूरी हो या जब ऐसे वस्त्रों को बाहर रखने से खतरनाक सामग्रियों द्वारा संदूषित हो जाने का खतरा मौजूद हो सकता हो तक इन्हें रखने के लिए स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। वस्त्र बदलने की सुविधाओं को इसप्रकार निर्मित और स्थापित होना चाहिए कि वे सुरक्षात्मक वस्त्रों से वैयक्तिक वस्त्रों तक और एक सुविधा से दूसरी सुविधा तक संदूषण के प्रसार की रोकथाम कर सकें।

15.1.7 पीपीई और सुरक्षात्मक वस्त्र प्रदान करने में नियोक्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि :

(अ) पीपीई का समुचित उपयोग और रखरखाव, जिसमें उपयोगकर्ता का उचित व्यवहार भी शामिल है, उस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जिनके लिए कि इसकी रचना की गयी हैं;

(ब) पीपीई स्वयं भी असहजता, अस्वास्थ्य कर या असुरक्षित कार्यगत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं;

(स) केवल उपयोग कर्ता सुरक्षित है, जबकि इस पर्यावरण मे आने वाले अन्य लोग असुरक्षित बने हुए हैं;

(द) पीपीई सुरक्षा की एक झूठी समझ भी प्रदान कर सकते हैं, खासतौर से तब जब उचित रूप से प्रयोग न किये जा रहे हों या अनुचित भंडारण या रखरखाव के परिणाम स्वरूप प्रभावकारिता खो चुके हों;

(क) पीपीई कार्यस्थल के लिए नये जोखिमों की शुरूआत कर सकते हैं।

15.2 सिर की सुरक्षा

15.2.1 पोतभंजन सुविधा पर उपस्थिति के दौरान सभी व्यक्तियों को पूरे समय गिरने या उड़ने वाली वस्तुओं के कारण, या वस्तुओं और ढांचों से टकरा जाने के कारण लगने वाली चोटों से सिर को बचाने के लिए सुरक्षा हेलमेट या कड़े टोप पहनने चाहिए। यह भी आवश्यक हो सकता है कि खासगतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के हेलमेट ले जाएं।

15.2.2 सामान्यत: एक हेलमेट के खोल को एक ही टुकड़े से बना होना चाहिए जिसमें कि भीतर एक सामायोजित होने वाला ढांचा पहनने वाले के सिर पर हेलमेट को टिकाये रखने के लिए लगा होना चाहिए और जहां उपयुक्त हो हेलमेट को गिरने से रोकने के लिए ठोड़ी वाला फीता भी लगा होना चाहिए। ढांचा और ठोड़ी के फीते को समुचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए ताकि जैसे ही हेलमेट पहना जाए तो सिर पर आराम देह ढंग से बैठ जाए।

15.3 चेहरे और आंखों की सुरक्षा

15.3.1 पारदर्शक या रंगीन चश्मे, स्क्रीन, चेहरे की ढाल या अन्य उपयुक्त युक्ति, जबकि वायुजन्य धूल या उड़तें कणों, खतरनाक पदार्थो, नुकसानदायक भभकां, प्रकाश या अन्य विकिरणों से आंखों या चेहरे की चोट के प्रति अरक्षितता की संभावना है और खासतौर से वैल्डिंग, दीप्त कर्तन, ठोस सतहों की खुदाई, कंकरीट मिलाने या अन्य खतरनाक कार्यो के दौरान।

15.3.2 चेहरे और आंखों के संरक्षक एक व्यापक श्रेणी के प्रकारो में उपलब्ध है। उपयुक्त संरक्षक का चयन सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध जोखिम की विशेषताओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सामान्य नुस्खे वाले (दोषनिवारक) चश्मे, जब तक कि एक सुरक्षा मानक के आधार पर न बने हों, सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कुछ बक्से के प्रकार के चश्मे इस प्रकार बने होते हैं कि उन्हें सामान्य नजर के चश्मों के ऊपर भी पहना जा सकता है।

15.4 हाथों और पैरों की सुरक्षा

15.4.1 सुरक्षा हत्थियां या दस्ताने, उचित रोधक क्रीम और उपयुक्त सुरक्षा वस्त्र हाथों या पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए, जैसी जरूरत हो, जबकि वे गर्मी के विकिरणों के प्रति अरक्षित हो या जब गर्म, खतरनाक या अन्य पदार्थो का संचालन कर रहे हों जो कि त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

15.4.2 दस्तानों को किये जा रहे कार्य के खास जोखिम से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें उस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, चमड़े के दस्ताने सामान्यत: कठोर और पैनी वस्तुओं के संचालन के लिए उत्तम होते हैं, गर्मी अवरोधक दस्ताने गर्म वस्तुओं के संचालन, और रबड़, सिंथेटिक या पीवीसी के दस्ताने, तेजाबों, क्षारों, विभिन्न प्रकार के तेलों, विलायकों और रसायनों के संचालन के लिए उत्तम होते हैं।

15.4.3 एक उपयुक्त प्रकार के पदत्राण जरूरी होते हैं, जब ऐसे स्थानों पर तैनात हों जहां गिरती या टूटती वस्तुओं, गर्म और खतरनाक पदार्थो, तीखी धार वाले औजारों या कीलों और फिसलन भरी गीली सतहों से विपरीत परिस्थितियों या चोटों के प्रति अरक्षितता संभावित हो।

15.4.4 उपयुक्त सुरक्षा पदत्राण, जैसे कि जूतों और बूटों को मजबूत, फिसलन रोधी तल्लों वाला और पुन: मजबूत किये गए उंगुली रक्षकों वाला होना चाहिए। सैंडलें और इसी प्रकार के पदत्राण नहीं पहनने चाहिए जब खतरनाक कार्य कर रहे हों।

15.5 श्वसन सुरक्षा उपकरण

15.5.1 श्वसन सुरक्षा उपकरण; जो कि खास पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो जरूरी हैं जब श्रमिकों को बायुजन्य धूल, धूम्र, वाष्पों या गैसों से संवातनों या अन्य उपायों द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता।

15.5.2 ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए जहां कि आक्सीजन की कमी का खतरा हो या जहरीले, खतरनाक या बेचैन करने वाले धूम्र, धूल, या गैसों के प्रति अरक्षितता का खतरा हो उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाने चाहिए। सटीक उपकरण का चयन आवश्यक है। चूंकि पोतों पर उपयोग के लिए उपकरणों की व्यापक किस्में उपलब्ध हैं इसलिए खास पोतों पर और खास उदेश्यों के लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त उपकरण पर सलाह ली जानी चाहिए। श्रमिकों को उपकरणों के उपयोग और देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। श्वसित्रों और सांस लेने के यंत्रों में शामिल चेहरे पर लगने वाले हिस्सों को रिसाव को रोकने के लिए सही प्रकार से लगा होना चाहिए। चश्मों को पहनना, जब तक कि वे इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से अभिकल्पित न हों, या दाढ़ी और गलगुच्छों के चेहरों के साथ बंधन में हस्तक्षेप की संभावना रहती है।

15.6 श्रवण सुरक्षा

15.6.1 उन श्रमिकों के लिए उपयुक्त जो अपने कर्तव्यों की प्रकृति के कारण शोर के उच्च स्तरों के प्रति अरक्षित रहते हैं एवं उन्हें कर्णरक्षक प्रदान किये जाने चाहिए तथा उन्हें इन्हें पहने रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कर्णरक्षक उपलब्ध होते हैं जिनमें कि कान के प्लग और कान के मफ (जोकि सर्वाधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भिन्न प्रकार का हो सकता है। रक्षकों को एक ही प्रकार का प्रस्तावित होना चाहिए जैसा कि खास परिस्थितियों और वातावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो। कर्णरक्षक शोर वाले स्थानों के प्रवेश द्वारों पर ही उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

15.7 रेडियोधर्मी संदूषणों के खिलाफ रक्षक

15.7.1 श्वसित्र, पूरे ढकने वाले वस्त्र, सिरस्त्राण, दस्ताने, सटीक नाप वाले ब्वायलर सूट, अभेद्य पदत्राण और एप्रन उन क्षेत्रों में जहां ठीक से बंद न किये गए रेडियोधर्मी स्त्रोत तैयार होते हैं या उपयोग में लाये जाते हैं, रेडियोधर्मी संदूषण के खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त होते हैं।

15.8 गिरने से सुरक्षा

15.8.1 उन स्थानों पर जहां अन्य उपयुक्त उपायों के द्वारा गिरने से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती स्वतंत्र रूप से सुरक्षित जीवन रेखा के साथ सुरक्षा साज उपलब्ध कराये जाने चाहिए; और जहां पानी में गिरने का खतरा हो जीवन रक्षक जैकेट और जीवन रक्षक प्रदान किये जाने चाहिए।

15.9 वस्त्र

15.9.1 आपूर्ति किये गए वस्त्रों को निम्न जरूरतों को पूरा करना चाहिए :

(अ) जब विपरीत मौसम की परिस्थितियों में काम कर रहे हों तो जल सह (वाटरप्रूफ) वस्त्र और सिर आवरक ;

(ब) जब गतिशील वाहनों से खतरे के प्रति नियमित अरक्षितता हो तो पहचाने जाने वाले वस्त्र या परावर्तक विधियां या अन्य स्पष्टत: दृष्टिगोचर होने वाली सामग्री।

16 आकस्मिक और आपात तत्परता

16.1 सामान्य

16.1.1 प्रत्येक प्रकार के पोत, सभी पोतभंजन अभियानों और खतरनाक रसायनों के संबद्ध संचालन के लिए आपात योजना, रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं की स्थापना और रखरखाव किया जाना चाहिए। इन व्यवस्थाओं को दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों की गंभीरता की पहचान करनी चाहिए, और उनके साथ संबद्ध ओएसएच जोखिमों की रोकथाम को संबोधित करना चाहिए। आपात योजना, रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं की बाह्य आपात सेवाओं और जहां लागू होने योग्य हो, अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग से स्थापना की जानी चाहिए।

16.1.2 आपात योजनाओं को अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरतों और राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए जिनमें पोतभंजन सुविधा पर गतिविधि के आकार और प्रकृति पर विचार किया जा गया हो।

16.1.3 आपात प्रतिक्रिया योजना का प्रत्येक पोतभंजन सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर विकास किया जाना चाहिए और इन्हें इतना व्यापक होना चाहिए कि सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपट सकें। योजना में, कम से कम, निम्न शामिल होने चाहिए:

(अ) आपात बचाव मार्ग और प्रतिक्रियाएं;

(ब) उन श्रमिकों द्वारा अनुकरण की जाने वाली प्रक्रियाएं जिन्हें उनको बचाकर निकालने से पहले तक संकटपूर्ण अभियानों को संचालित करते रहना है;

(स) कार्यस्थल से बचाकर निकालना, विशेषतौर पर पोत के पेटे के भीतर और आसपास के क्षेत्र परिसर या

संस्थापन से;

(द) आपात बचाव कार्य संपन्न होने के बाद सभी श्रमिको के लिए गणना की क्रियाएं;

(क) उन श्रमिकों के लिए जिन्हें कि उन्हें संपन्न करना है, बचाव और चिकित्सादायित्व;

(ख) आग और अन्य आपात स्थितियों की सूचना देने के उपाय ;

(ग) सुविधा के सभी कर्मियों को, सभी स्तरों पर प्रासगिक सूचनाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना जिनमें आपात स्थिति की रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया सेवाओं वाले नियमित अभ्यास शामिल हैं।

16.1.4 भ्रम को न्यूनतम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि किसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, प्रभुता की एक श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए। आपात प्रतिक्रिया दलों के काम में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। समन्वयकों की जिम्मेदारियों में निम्न शामिल होने चाहिए :

(अ) स्थिति का मूल्यांकन और यह निर्धारित करना कि क्या एक आपात स्थिति विद्यमान है जोकि आपात प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करने की मांग करती है;

(ब) घटना को न्यूनतम करने का कार्य करें उदाहरण के लिए आग पर नियंत्रण, रिसाव और बिखराव पर नियंत्रण, आपात बंदी, और कार्रवाइयां जो विशेष तौर से प्रतिबंधित हैं यदि लोग खतरे में हों;

(स) क्षेत्र में होने वाले सभी प्रयासों का निर्देशन जिनमें कि कर्मियों को बचाकर निकालने वाला क्षेत्र भी शामिल है तथा संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना;

(द) यह सुनिश्चित करना कि आपात प्रक्रिया सेवाएं जैसे कि, प्राथमिक उपचार और अग्निकांड प्रतिक्रिया जब भी आवश्यक हों बुलायी गयी हैं;

(क) प्रासंगिक सक्षम प्राधिकारियों, आसपड़ोस और आपात प्रतिक्रिया सेवाओं को सूचना प्रदान करना, और उनके साथ संवाद बनाये रखना;

(ख) जब आवश्यक हो पोतभंजन अभियानों को रोक देने का निर्देश देना।

16.1.5 आवश्यक और सर्वाधिक नवीनतम सूचनाएं साथ ही साथ आंतरिक संवाद और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए ताकि कार्यस्थल पर एक आपात स्थिति की घटना में सभी लोगों की सुरक्षा की जा सके। खतरे की घंटियां हर व्यक्ति के देखे जाने और सुने जाने के योग्य होनी चाहिए।

16.1.6 आपात प्रतिक्रिया दलों को अन्य सभी बातों के अलावा, आग बुझाने, प्राथमिक उपचार, पुनरून्जीवन, बंद करने की प्रक्रियाओं, बचाव प्रक्रियाओं, रासायनिक बिखराव प्रक्रियाओं, स्वयं धारित सांस लेने के उपकरणों और अन्य पीपीई के इस्तेमाल और खोज तथा बचाव कार्य में सक्षम होना चाहिए।

16.1.7 पोतभंजन सुविधा पर औपचारिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति में निम्न पर विचार किया जाना चाहिए :

(अ) जहां किसी भी श्रमिक की आंखें या शरीर खतरनाक संक्षारक सामग्रियों के प्रति अरक्षित हो सकते हैं क्षेत्र में आंखों के धोवक, नहाने या त्वरित पानी की फुहार या बहाने के उपकरणों को त्वरित उपयोग के लिए प्रदान करना चाहिए ;

(ब) आपात स्थिति टेलीफोन नंबरों या अन्य संपर्क सूचनाओं को स्पष्ट दिखने वाले स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।

16.1.8 अनुच्छेद 16.1.3 से 16.1.7 तक में कुछ भी शामिल होने के बावजूद पोतभंजन सुविधाओं में रसायनों के संचालन, भंडारण और परिवहन, अवशिष्ट रसायनों के निपटान और उपचार, कार्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रसायनों के मुक्त होने और रसायनों के पात्रों तथा उपकरणों के टूटने के लिए प्राथमिक उपचार और अग्निशमन की आपात प्रक्रियाओं की स्थापन की जानी चाहिए तथा उन्हें *कार्य में रसायनों के उपयोग में सुरक्षा* पर आईएलओ व्यवहार संहिता के अध्याय 14 के प्रावधानों

पर आधारित होना चाहिए। एक पोत भंजन सुविधा में जहां खतरनाक रसायन ऐसी अवस्था या मात्रा में रखे या प्रसंस्कृत किये जाते हैं कि वे एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनने की क्षमता रखते हैं वहां आपात योजना के लिए आईएलओ व्यवहार संहिता के अध्याय 8 और 9 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रावधान लागू होते है।

16.2 प्राथमिक उपचार

16.2.1 प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को ही जिम्मेदार होना चाहिए, जिसमें यदि उपलब्ध हो तो प्रशिक्षित कर्मियों का प्रावधान शामिल है। लोगों का चिकित्सा सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

16.2.2 वह प्रकार जिससे प्राथमिक उपचार सुविधाएं और कर्मी प्रदान किये जाने हैं राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों द्वारा निर्धारित होना चाहिए और सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा संबद्ध नियोक्ताओं और श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिनिधिक संगठनों से विचार विमर्श के उपरांत ही तैयार किया जाना चाहिए।

16.2.3 प्रत्येक पाली के लिए एक पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को मूल प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में खुले घावों का उपचार और पुनरुज्जीवन शामिल हो सकते हैं। उन क्षेत्रों में जहां कार्य में रसायनों, धूम्र या धुंए कीड़ों के काटने या अन्य विशिष्ट जोखिमों का खतरा संलग्न रहता है प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण को एक उपयुक्त रूप से शिक्षित व्यक्ति या संगठन के साथ विचार विमर्श के समनुरूप विस्तारित किया जा सकता है।

16.2.4 प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण को नियमित अंतरालों पर दोहराया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्ञान और कौशल पुराना न हो जाए या विस्मित न कर दिया जाए।

16.2.5 जहां कार्य में डूबने, श्वास अवरोधन या बिजली के झटकों का खतरा संलग्न रहता है, प्राथमिक उपचार कर्मियों को पुनरुज्जीवकों व अन्य जान बचाने वाली तकनीकी के उपयोग तथा बचाव प्रक्रियाओं में निपुण होना चाहिए।

16.2.6 उपयुक्त बचाव और पुनरुज्जीवक उपकरणों को जैसी जरूरत हो, जिनमें कि स्ट्रेचर भी शामिल हैं, को पोतभंजन सुविधा या पोत पर, जैसा उपयुक्त हो, हमेशा तैयारी की अवस्था में उपलब्ध रखा जाना चाहिए। सभी श्रमिकों को इन उपकरणों के स्थान और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित रखा जाना चाहिए।

16.2.7 प्राथमिक उपचार किटों या बक्सों को जैसा उपयुक्त हो, जिनमें कि निर्धारित वस्तुएं रखी गयी हों, उन स्थानों पर प्रदान की जानी चाहिए और सभी कार्य स्थलों से तैयारी की अवस्था में पहुंच के योग्य होनी चाहिए जिनमें कि एकांत स्थान, उठाने वाले उपकरण,नावें, परिवहन और तैरते उपकरण और रखरखाव करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, तथा उन्हें धूल व नमी इत्यादि के द्वारा संदूषित होने के खिलाफ सुरक्षित किया जाना चाहिए। ये पात्र स्पष्टतया: चिन्हित होने चाहिए और इनमें प्राथमिक उपचार उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं रखा जाना चाहिए।

16.2.8 प्राथमिक उपचार किटों व बक्सों पर अनुसरण किये जाने के लिए साधारण व स्पष्ट निर्देश अंकित होने चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति के अधिकार के तहत रखा जाना चाहिए जो कि प्राथमिक उपचार प्रदान करने, उनका नियमित निरीक्षण करने और उनका उपयुक्त भंडारण करने के लिए शिक्षित हो।

16.2.9 यदि एक न्यूनतम संख्या में श्रमिक जैसा कि वर्णित है किसी पाली में नियुक्त हैं, कम से कम उपयुक्त रूप से सज्जित एक प्राथमिक उपचार कक्ष या केंद्र एक शिक्षित प्राथमिक उपचार कर्मी या एक नर्स की निगरानी में एक तुरंत पहुंच योग्य स्थान पर प्रदान करना चाहिए जहां छोटी मोटी चोटों का उपचार हो सके और गंभीर रूप से बीमार या घायल श्रमिकों को आराम का स्थान उपलब्ध हो सके।

16.3 बचाव

16.3.1 चोट लगने या बीमारी की घटना में जो चिकित्सा सहायता की मांग करती हैं, एक व्यक्ति को तेजी से बचाकर निकालने के प्रावधान किये जाने चाहिए।

16.3.2 कार्यस्थल पर आपात स्थिति के मामले में बचाव सेवाओं से संपर्क करने के लिए परिवहन या संचार के उपाय उपलब्ध होने चाहिए। संचार व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की नियमित समय पर जांच की जानी चाहिए।

16.3.3 सभी श्रमिकों को आपात स्थिति के मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सूचित रखा जाना चाहिए। कार्यस्थल पर और बचाकर निकालने के लिए बने मिलन बिंदुओं के स्थान पर भी सूचनांए दी जानी चाहिए।

16.3.4 कार्यस्थल पर एक स्थान प्रदान किया जाना चाहिए जहां एक बीमार या घायल व्यक्ति बचाकर निकाले जाने तक सुविधा पूर्वक आराम कर सके।

16.3.5 एक ऐसे स्थान तक परिवहन के लिए जहां कि एक एम्बुलेंस मिल सकती है, वाहन हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए।

16.3.6 जहां एक उपयुक्त दूरी के भीतर विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध नहीं हैं, खासतौर से दूरस्थ स्थानों पर, वहां आवश्यक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सृजन करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

17 विशेष संरक्षण

17.1 रोजगार और सामाजिक बीमा

17.1.1 नियोक्ताओं को चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित है या राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के समनुरूप :

(अ) यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक श्रमिक के पास एक नियुक्ति अनुबंध है और वह श्रमिकों के मुआवजे तथा सामाजिक संरक्षण योजना के दायरे में आता है ;

(ब) पोतभंजन में उनके रोजार की स्थिति का ध्यान या लिहाज किये बिना सभी श्रमिकों को व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के मामले में श्रमिकों के मुआवजे के माध्यम से सामाजिक संरक्षण के दायरे में शामिल करें, जैसे कि चोट लगना व बीमारी और स्थायी विकलांगता के मामले में मिलने वाले लाभ और कार्य संबंधी मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को मुआवजा देना।

17.2 कार्य के घंटे

17.2.1 किसी भी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजना को प्रासंगिक कार्यगत घंटों को प्रदान करना चाहिए जो कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित या श्रम निरीक्षणालयों या जहां उपयुक्त हो सामूहिक अनुबंधों द्वारा पारित घंटों से अधिक नहीं होने चाहिए। *कार्य के घंटों में कटौती पर आईएलओ सिफारिश, 1962 (संख्या 116)* को कार्यगत समय व्यवस्थाओं के लिए दिशानिर्देश रूप में माना जाना चाहिए।

17.2.2 कार्य के घंटों को इस प्रकार संयोजित होना चाहिए कि वे आराम का पर्याप्त समय प्रदान करें, जिसमें जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित हो या श्रम निरीक्षणालयों या सामूहिक अनुबंधों द्वारा पारित हों जो भी उपयुक्त हो निम्न प्रावधान शामिल होने चाहिए :

(अ) कार्यगत घंटों के दौरान छोटे विराम, विशेष तौर से जबकि कार्य श्रमसाध्य, खतरनाक और एक ही जैसी प्रवृत्ति का हो ताकि श्रमिक अपनी सतर्कता और शारीरिक स्वस्थता को पुनः प्राप्त कर सकें ;

(ब) भोजन के लिए पर्याप्त विराम;

(स) दैनिक या रात्रि का विश्राम;

(द) साप्ताहिक अवकाश।

17.3 रात का कार्य

17.3.1 पोतभंजन की खतरनाक प्रकृति पर विचार करते हुए रात के काम को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि यद्यपि रात का कार्य अपेक्षित है तो उसे आईएलओ *रात्रिकार्य समझौता, 1990 (संख्या 171)* और *सिफारिश 1990 (संख्या 178)* के समनुरूप संगठित किया जाना चाहिए, जिनके प्रावधानों को राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों, सामूहिक अनुबंधों या किसी अन्य प्रकार से जो कि राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के उपयुक्त हो द्वारा कार्यान्वित किया गया हो सकता है।

17.3.2 रात्रिकार्य की प्रकृति द्वारा अपेक्षित विशेष उपायों को क्रमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन उपायों में शामिल होने चाहिए :

(अ) रात्रिकार्य से संबद्ध स्वास्थ्य समस्याओं को टालने या घटाने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन ;

(ब) कार्यगत समय, वेतन या इसी प्रकार के लाभों और उपयुक्त सामाजिक सेवाओं के रूप में मुआवजा, जो कि रात्रि कार्य सिफारिश 1990 (संख्या 178) के प्रावधानों के समनुरूप हो।

17.3.3 नियोक्ताओं को रात्रिकार्य की अवधि के दौरान भी व्यावसायिक जोखिमों के खिलाफ दिन की ही तरह सुरक्षा का समान स्तर बनाये रखने के आवश्यक उपाय करने चाहिए, खासतौर से जहां तक संभव हो श्रमिकों के अकेला पड़ जाने की स्थिति को टालना चाहिए।

17.3.4 जहां पाली के कार्य और रात्रि के कार्य की जरूरत होती है, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों का प्रबंधन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाली के दौरान खतरे दिन के अभियानों से अधिक न हो जाएं।

17.4 बालश्रम

17.4.1 बाल श्रम के बदतर रूप समझौता, 1999 (संख्या 182) उन सभी लोगों जो कि 18 वर्ष से कम की आयु के हैं और उन

सभी कार्यों जो कि अपनी प्रकृति या उन परिस्थितियों के कारण जिनमें कि उन्हें किया जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं पर लागू होना चाहिए। खतरनाक कार्य के इन सभी प्रकारों का निर्धारण राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोक्ताओं और श्रमिकों के संबद्ध संगठनों से विचार विमर्श के उपरांत किया जाना चाहिए।

17.5 शराब और मादक द्रव्यों संबंधी समस्याएं

17.5.1 चूंकि शराब या मादक द्रव्यों का उपभोग कार्यस्थल में सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता हैं अत: कार्यस्थल में शराब और मादक द्रव्य संबंधी समस्याओं की रोकथाम, कटौती और प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति और कानूनों तथा विनियमों का निर्धारण नियोक्ताओं और श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिनिधिक संगठनों व अन्य विशेषज्ञों से विचार विमर्श के उपरांत करना चाहिए। आईएलओ व्यवहार संहिता *कार्य स्थल में शराब और मादक द्रव्यों के मुद्दों का प्रबंधन* प्रासंगिक दिशानिर्देश प्रदान करती है।

17.6 एचआईवी/एड्स

17.6.1 एचआईवी/एड्स और इसका संघात सबसे कड़ी चोट संवेदनशील समूहों पर करते हैं जिनमें महिलाएं व बच्चे शामिल हैं, इस प्रकार वे विद्यमान लैंगिक असमानताओं और बालश्रम की समस्या को और तीव्र कर रहे हैं। आईएलओ व्यवहार संहिता *एचआईवी/एड्स और श्रम की दुनिया* को इस महामारी के प्रसार की रोकथाम करने में मदद करने और उनके परिवारों पर इसके संघात कम करने और बीमारी का सामना करने में मदद करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक उपाय बनाया जाना चाहिए।

18 कल्याण

18.1 सामान्य प्रावधान

18.1.1 प्रत्येक पोत भंजन स्थान या परिसर पर या उसकी प्रासंगिक पहुंच के भीतर निम्न सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, स्वच्छ और रखरखाव से युक्त :

(अ) साफ सफाई और कपड़ा धुलाई की सुविधाएं या फौहारे;

(ब) कपड़े बदलने और कपड़े सुखाने तथा भंडारण करने के लिए सुविधाएं ;

(स) भोजन करने के लिए स्थान और विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण काम में व्यवधान के दौरान शरण लेने का स्थान।

18.1.2 उपरोक्त सुविधाओं के पैमाने और उनका निर्माण तथा संस्थापन सक्षम प्राधिकारी की जरूरतों का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।

18.2 पीने का पानी

18.2.1 प्रत्येक पोतभंजन सुविधा पर या उसकी प्रासंगिक पहुंच के भीतर पीने के भरपूर पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।

18.2.2 पानी के परिवहन टैंकों, भंडारण टैंकों और वितरण पात्रों का निमार्ण, उपयोग, सफाई और विसंक्रमण उपयुक्त अंतरालों पर उस प्रकार से करना चाहिए जिसे कि सक्षम प्राधिकारी ने पारित किया हो।

18.2.3 पानी जो कि पीने के योग्य नहीं है उसे सूचनाओं द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए जो कि श्रमिकों को इसे पीने से रोकते हों।

18.3 साफ सफाई और धुलाई सुविधाएं

18.3.1 साफ सफाई और धुलाई की सुविधाएं नियोक्ता द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जिससे श्रमिक व्यक्तिगत साफ सफाई के मानकों का पालन करने में समर्थ हो सकें जो कि अरक्षितता के पर्याप्त नियंत्रण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सामग्रियों के प्रसार को टालने की जरूरत के सुसंगत हों।

18.3.2 साफ सफाई और धुलाई सुविधाएं आसानी से पहुंच योग्य होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस प्रकार स्थापित होना चाहिए कि वे स्वयं कार्यस्थल से होने वाले संदूषणों के प्रति अरक्षित न हों। सुविधा के प्रकारों को अरक्षितता की प्रकृति और श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। जहां श्रमिक जहरीले, संक्रामक या जलन पैदा करने वाले पदार्थो या तेल, स्नेहकों या धूल के द्वारा त्वचा के संदूषकों के प्रति अरक्षित हो वहां पर्याप्त संख्या में उचित साफ सफाई और धुलाई सुविधाएं तथा फुहारों से स्नान की व्यवस्था होनी चाहिए।

18.4 अमानती सामानघर

18.4.1 अमानती सामानघर प्रदान किये जाने चाहिए :

(अ) श्रमिकों के लिए आसानी से पहुंच वाले स्थानों पर, जहां गीले कपड़े सुखाने की उपयुक्त सुविधाएं हों और उनका किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग न किया जाए, और

(ब) कपड़े लटकाने के लिए स्थान जिनमें, जहां संदूषण को टालने के लिए आवश्यक हो, उपयुक्त खाने बने होने चाहिए जो कार्य करने वाले वस्त्रों को सामान्य वस्त्रों से अलग करते हों।

18.5 आश्रय और खानपान की सुविधाएं

18.5.1 आश्रय उपलब्ध कराये जाने चाहिए, कार्यस्थल पर या आसानी से पहुंचने योग्य स्थान के भीतर, जहां प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा हो सके और धोने, भोजन करने और कपड़े सुखाने तथा संभालने की सुविधाएं प्रदान की गयी हों।

18.5.2 उपयुक्त मामलों में गर्म कपड़े, ठंड से बचने, खाना प्राप्त करने या पकाने और पीने की पर्याप्त सुविधाएं पोतभंजन सुविधा पर या उसके निकट उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

18.5.3 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सामग्रियों को खा लेने के खतरे को कम करने के क्रम में नियोक्ताओं को चाहिए कि वे उन कार्य क्षेत्रों में खाने, चबाने, पीने या धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाएं जहां कि अरक्षितता पर पर्याप्त नियंत्रण सिर्फ तभी हसिल किया जा सकता है जबकि कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सामग्रियों के प्रति अरक्षितता की रोकथाम के लिए वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण पहने गए हों और किसी अन्य क्षेत्र में भी जहां कि ऐसी सामग्रियों की उपस्थिति की संभावना हो

ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

18.5.4 जहां खाने या पीने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो, इन गतिविधियों को एक असंदूषित क्षेत्र में संपन्न करने के लिए उपयुक्त सुविधाओं को एक तरफ स्थापित किया जाना चाहिए जो कि कार्य क्षेत्र से आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर हों।

18.6 रहने की सुविधा (आवास)

18.6.1 पोतभंजन सुविधाओं पर उन श्रमिकों के लिए जो अपने घरों से दूरस्थ स्थान पर हैं, जहां सुविधा और उनके घरों के बीच परिवहन के पर्याप्त साघन या अन्य उपयुक्त रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रहने की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

18.6.2 सक्षम प्राधिकारी को यदि उपयुक्त हो तो ऐसी संस्था या संस्थाओं की पहचान करनी चाहिए जो कि इस प्रकार की रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं तथा उन्हें आवास के लिए न्यूतनतम मानकों को भी स्पष्ट करना चाहिए जिनमें कि निर्माण सामग्री, सुविधा का न्यूनतम आकार और रूप रेखा, पकाने, धोने, सामान संभालने, जलापूर्ति और साफ सफाई की सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

शब्दावली

इन दिशानिर्देशों में, उपयुक्त विशिष्ट शब्दों के अर्थ यहां दिये गए हैं :

सक्रिय निरीक्षण : जारी गतिविधियां जो यह जांच करती हैं कि जोखिम और खतरे की रोकथाम और उनसे सुरक्षा के उपाय, साथ ही साथ ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था को कार्यान्वित करने की व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों की पुष्टि करती हैं या नहीं।

लेखा परीक्षण : उस सीमा के निर्धारण हेतु जिस तक कि निर्धारित मानकों को पूरा किया गया है, साक्ष्य जुटाने और उनके उदेश्यपरक मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित, स्वतंत्र और दस्तावेजीकृत प्रक्रिया। लेखा परीक्षणों को सुविधा के आंतरिक या बाह्य ऐसे लोगों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो लेखा परीक्षण की जा रही गतिविधि से संबंधित न हों।

सक्षम प्राधिकरी : एक मंत्री, सरकारी विभाग या अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी जो विनियमों, आदेशों या अन्य निर्देशों, जिन्हें कानून का बल प्राप्त है, को जारी करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारियों को विशिष्ट गतिविधियों वाली जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि पोतभंजक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए।

सक्षम व्यक्ति : उपयुक्त प्रशिक्षण और पर्याप्त ज्ञान, अनुभव तथा कौशल प्राप्त एक व्यक्ति जो एक विशिष्ट कार्य को उत्तम सुरक्षा परिस्थितियों में संपन्न कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के व्यक्तियों को पद देने के लिए उपयुक्त मानकों की व्याख्या कर सकता है और उन्हें दिये जाने वाले कर्तव्यों का निधार्रण कर सकता है।
सतत सुधार : ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ाने की पुनरावृत्ति प्रक्रियाएं ताकि समग्र ओएसएच प्रदर्शन में सुधार प्राप्त किया जा सके।

ठेकेदार : एक व्यक्ति या एक उपक्रम जो एक नियोक्ता को सुविधा के स्थान पर सम्मत विनिर्देशन, शर्तो और परिस्थितियों के समनुरूप सेवाएं प्रदान करता है। इन दिशानिर्देशों के उदेश्यों के लिए ठेकेदारों में उपठेकेदारों और श्रम आपूर्ति अभिकर्ताओं को भी शामिल किया जाता है।

नियोक्ता : कोई भौतिक या वैधानिक व्यक्ति जो एक या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करता है।

सुविधा : एक स्थान जिसमें एक कंपनी, अभियान, इकाई, उपक्रम, संस्थापन, उद्यम, संस्थान या संस्था द्वारा, चाहे समाविष्ट हो या नहीं, सार्वजनिक या निजी, जिसकी कि अपनी कार्यप्रणाली और प्रशासन है एक समुद्रतट, पोतघाट, शुष्क बंदरगाह या विखंडन ढाल पर एक पोत का विखंडन या रद्दीकरण किया जाता है।

सामान्य व्यवस्था (जीए) योजना : एक रेखाचित्र जिसकी कि निर्माताओं द्वारा पोत को या स्वामी को आपूर्ति की जाती है जो कि छतों, अग्निशमन उपकरणों, नौभार संचालन उपकरण, पकड़ के स्थान, टैंक विन्यास, जलप्रणाली की सूचना और रहने के स्थान इत्यादि को प्रदर्शित करता है।

ग्रीन पासपोर्ट : पोतों के लिए ग्रीन पासपोर्ट का विचार आईएमओ द्वारा द्वारा विकसित किया गया है। यह दस्तावेज जो उन सभी सामग्रियों की एक सूची रखता है जो कि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से खतरनाक होते हैं, पोत के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, इसे पोत के पूरे कार्यगत जीवन के दौरान उसके साथ रखा जाना चाहिए। पोत निर्माणी द्वारा निमार्ण की अवस्था के

समय तैयार और जलयान के खरीददार को सौपें गये इस दस्तावेज को ऐसे प्रारूप में होना चाहिए जो कि सामग्रियों या उपकरणों में होने वाले किन्ही भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों का लेखा जोखा रखने में समर्थ हो। पोत के उत्तरोतर मालिकों के लिए यह जरूरी हैं कि वे ग्रीन पासपोर्ट की सटीकता को बनाये रखें और इसे सभी प्रासंगिक अभिकल्पनाओं तथा उपकरण परिर्वतनों में शामिल करें, इसे संचालित करने वाले अंतिम स्वामी तक जलयान के साथ और पोतभंजन सुविधा तक पहुंचने तक। एक विद्यमान पोत का वर्तमान स्वामी ही इसके लिए ग्रीन पोसपार्ट तैयार करेगा।

जोखिम : लोगों के स्वास्थ्य को चोट या क्षति पहुंचाने का कारण बनाने की अंतनिर्हित संभाव्यता।

जोखिम मूल्यांकन : जोखिमों का एक व्यवस्थित मूल्यांकन।

खतरनाक परिवेशी कारक : कार्यस्थल में कोई भी कारक जो कुछ या सभी सामान्य परिस्थितियों में श्रमिकों या अन्य लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

आईएलओ-ओएसएच 2001 : व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्थाओं पर आईएलओ दिशानिर्देश, जेनेवा, 2001।

दुर्योग : एक असुरक्षित घटना जो कार्य से या उसे करने के दौरान उत्पन्न होती है, जहां कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं होती।

श्रम निरीक्षणालय : राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के समनुरूप स्थापित एक संस्था जो कार्य परिस्थितियों और उनके कार्य में संलग्न रहने के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन सुनिश्चित करती है।

श्रम आपूर्ति अभिकर्ता : श्रमिकों का आपूर्तिकर्ता या प्रदाता।

लंदन समझौता 1972 और संलेख : अवशिष्टों और अन्य सामग्री के क्षेपण के द्वारा सामूहिक प्रदूषण की रोकथाम का समझौता 1972

व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं : वे सेवाएं जो कि आवश्यक रूप से रोकथामकारी कार्यो के लिए सुपुर्द की गयी हैं और सुविधाओं में नियोक्ता, श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को निम्न पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार होती हैं :

(अ) एक स्वस्थ कार्यगत पर्यावरण की स्थापना और रखरखाव की जरूरतों पर, जो कि कार्य के संबंध में सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने में मददगार होगा।

(ब) कार्य के श्रमिकों की क्षमताओं के अनुरूप अनुकूलन पर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रकाश में।

व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी : देखें श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी

ओएसएच : व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य।

ओएसएचई : व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण ।

ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था : ओएसएच नीति और उदेश्यों की स्थापना तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्संबंधी या अन्योन्याश्रित तत्वों का एक समूह।

पुनः सक्रिय निरीक्षण : यह जांच करता है कि जोखिम और खतरा रोकथाम तथा सुरक्षा नियंत्रण उपायों, एवं ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था

में विफलताएं जो कि चोटों, खराब स्वास्थ्य, बीमारियों, और दुर्योगों की उत्पत्ति के द्वारा प्रदर्शित होती हैं, की पहचान और उन पर कार्रवई की गयी है या नहीं।

खतरा : एक खतरनाक घटना की उत्पत्ति और चोट की गंभीरता या इस घटना के कारण लोगों के स्वास्थ्य को होने वाली क्षति की संभावना का संयुग्मन।

खतरा मूल्यांकन : कार्य में जोखिमों से सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों का मूल्यांकन।

सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति : श्रमिकों और नियोक्ताओं तथा उनके अपने-अपने प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति जिसकी स्थापना और कार्य संचालन राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों एवं प्रथाओं के अनुसार सुविधा के स्तर पर होता है।
पर्यवेक्षक : एक व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन की योजना बनाने, कार्य संगठन करने और पोतभंजन कार्यशाला के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है।

कार्यगत पर्यावरण की निगरानी : एक सामान्य शर्त, जिसमें उन पर्यावरणीय कारकों की पहचान और मूल्यांकन शामिल है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके दायरें में साफ-सफाई एवं व्यावसायिक स्वच्छता परिस्थितियों का मूल्यांकन, कार्य के संगठन में ऐसे कारक जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, सामूहिक और वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण, खतरनाक कारकों के प्रति श्रमिकों की अरक्षितता और उनके उन्मूलन तथा उन्हें घटाने के लिए निर्मित नियंत्रण व्यवस्थांए आती हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कार्यगत पर्यावरण की निगरानी को केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन सीमित नहीं, पर्यावरण पर, दुर्घटना और बीमारी की रोकथाम पर, कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वच्छता पर, कार्य संगठन पर और कार्यस्थल में मनोसामाजिक कारकों पर।

श्रमिक : कोई भी व्यक्ति जो एक नियोक्ता के लिए कार्य करता है चाहे नियमित हो या अस्थायी।

श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी : एक सामान्य शर्त, जिसके दायरे में किसी असमान्यता की पहचान और पता लगाने के क्रम में श्रमिकों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जांच व अन्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। निगरानी के परिणामों का उपयोग कार्यस्थल पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सामूहिक स्वास्थ्य तथा अरक्षित कार्यगत आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने में किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीमित नहीं, चिकित्सा परीक्षण, जैविक निरीक्षण, विकिरण चिकित्सा विज्ञान संबंधी जांच, प्रश्नावली या स्वास्थ्य दस्तावेजों की एक पुनर्समीक्षा।

श्रमिक और उनके प्रतिनिधि : इन दिशानिर्देशों में जहां श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों का संदर्भ दिया गया है वहां आशय यह है कि जहां प्रतिनिधित्व विद्यमान है वहां उपयुक्त श्रमिक भागीदारी प्राप्त करने के उपाय के रूप में उनसे विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में तो सभी श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों को संलग्न करना भी उपयुक्त हो सकता है।

श्रमिकों के प्रतिनिधि : श्रमिक *प्रतिनिधित्व समझौता 1971 (संख्या 135)* के समनुरूप, कोई भी व्यक्ति जिसे कि इस रूप में राष्ट्रीय कानून या प्रथा ने मान्यता दी है, जहां उन्हें होना चाहिए :

(अ) श्रमिक संघ प्रतिनिधि अर्थात श्रमिक संघों या ऐसे संघों के सदस्यों द्वारा मनोनीत या निर्वाचित किये गए प्रतिनिधि; या

(ब) निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात ऐसे प्रतिनिधि जो उपक्रम के श्रमिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्वाचित किये गए हैं तथा उनका निर्वाचन राष्ट्रीय कानूनों या विनियमों या सामूहिक अनुबंधों के प्रावधानों के समनुरूप हुआ है और जिनके कार्यो में वे गतिविधियां शामिल नहीं होतीं जिन्हें कि संबद्ध देश में पूरी तरह श्रमिक संघों के विशेषाधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है।

कार्यस्थल : एक भौतिक क्षेत्र जहां श्रमिकों को एक नियोक्ता के आदेश पर अपना काम करने के लिए जाने की आवश्यकता होती है या जाना होता है।

कार्यसंबंधी चोट : मृत्यु या कोई वैयक्तिक चोट जो एक व्यावसायिक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होती है।

कार्य संबंधी चोटें, खराब स्वास्थ्य और बीमारियां : कार्य में रसायनों, जैविक, भौतिक, कार्य संगठनिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के प्रति अरक्षितता से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव।

संदर्भ सूची

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने एक बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संलग्न सिफारिशों को स्वीकृत किया है जो सीधे तौर पर ओएसएच मुद्दों से जुड़ी हैं, साथ ही साथ अनेक व्यवहार संहिताओं और तकनीकी प्रकाशनों का प्रतिपादन किया है जो पोतभंजन पर लागू होते हैं। वे परिभाषाओं, सिद्धांतों, बाध्यताओं, कर्तव्यों एवं अधिकारों तथा साथ ही साथ तकनीकी दिशानिर्देशों की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के अधिकांश पहलुओं पर आईएलओ के त्रिपक्षीय घटकों और इसके 177 सदस्य देशों के सहमतिजन्य विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं।

1. प्रासंगिक आईएलओ समझौते और सिफारिशों

1.1 मूलभूत आईएलओ समझौते और संलग्न सिफारिशें

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा *कार्य में मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर आईएलओ घोषणापत्र* में आठ समझौतों को शामिल किया गया है। ये आठ समझौते निम्न चार क्षेत्रों को अपने दायरे में लेते हैं :

संस्था की स्वतंत्रता

- संस्था की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार का संरक्षण समझौता, 1948 (संख्या 87)
- संगठित होने का अधिकार एवं सामूहिक सौदेबाजी समझौता, 1949, (संख्या 98)

बलात् श्रम का उन्मूलन

- बलात् श्रम समझौता 1930 (संख्या 29)
- बलात् श्रम का उन्मूलन समझौता, 1957 (संख्या 105)

बाल श्रम का उन्मूलन

- न्यूनतम आयु समझौता, 1973 (संख्या 138) एवं सिफारिश (संख्या 146)
- बालश्रम के बदतर रूप समझौता 1999 (संख्या 182) एवं सिफारिश (संख्या 190)

भेदभाव का उन्मूलन

- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) समझौता, 1958 (संख्या 111) एवं (सिफारिश संख्या 111)
- समान वेतन समझौता, 1951 (संख्या 100) एवं सिफारिश (संख्या 90)

1.2 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कार्यगत परिस्थितियों पर समझौते और सिफारिशें

- विकिरण संरक्षण समझौता, 1960 (संख्या 115)एवं सिफारिश, 1960 (संख्या 114)
- कार्य के घंटों में कटौती सिफारिश, 1962 (संख्या 116)
- मशीनों से रक्षा समझौता, 1963 (संख्या 119) एवं सिफारिश 1963 (संख्या 118)
- रोजगार चोट लाभ समझौता, 1964 (संख्या 12) एवं सिफारिश 1964 (संख्या 121)
- अधिकतम भार समझौता, 1967 (संख्या 127) एवं सिफारिश, 1967 (संख्या 128)
- श्रमिक प्रतिनिधित्व समझौता, 1971 (संख्या 135)
- बेंजीन समझौता, 1971 (संख्या 136) एवं सिफारिश, 1971 (संख्या 144)
- व्यावसायिक कैंसर समझौता, 1974 (संख्या 139) एवं सिफारिश, 1974 (संख्या 147)
- कार्यगत पर्यावरण (वायु प्रदूषण, शोर और कंपन) समझौता, 1977 (संख्या 148) एवं सिफारिश, 1977 (संख्या 156)

- व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (गोदीकार्य), समझौता, 1979 (संख्या 152) और सिफारिश, 1979 (संख्या 160)
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समझौता, 1981 (संख्या 155) एवं सिफारिश, 1981 (संख्या 164)
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 2002 का संलेख (व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों का अंकन तथा अधिसूचना) समझौता, 2002
- व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं समझौता, 1985 (संख्या 161) एवं सिफारिश, 1985 (संख्या 171)
- एजबेस्टस समझौता, 1986 (संख्या 162) एवं सिफारिश, 1986 (संख्या 172)
- रसायन समझौता, 1990 (संख्या 170) एवं सिफारिश, 1990 (संख्या 177)
- रात्रि कार्य समझौता, 1990 (संख्या 171) एवं सिफारिश, 1990 (संख्या 178)
- बड़ी औद्योगिक दुर्घटना की रोकथाम समझौता, 1993 (संख्या 174) एवं सिफारिश, 1993 (संख्या 181)
- मातृत्व संरक्षण समझौता, 2000 (संख्या 183) एवं सिफारिश, 2002 (संख्या 191)
- व्यावसायिक बीमारियों की सूची सिफारिश, 2002 (संख्या 194)

2. ऐसे प्रावधानों वाली चुनिंदा आईएलओ व्यवहार संहिताएं जो पोतभंजन गतिविधियों के लिए प्रासंगिक और लागू करने योग्य हैं

- पोत निर्माण एवं पोतमरम्मत में सुरक्षा और स्वास्थ्य, 1974
- कार्यगत वातावरण में शोर और कंपन से श्रमिकों की सुरक्षा, 1977
- लोहा और स्टील उद्योग में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, 1983
- एजबेस्टस के उपयोग में सुरक्षा 1984
- विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यगत परिस्थितियां, 1988
- बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम 1991
- कार्य मे रसायनों के उपयोग में सुरक्षा 1993
- समुद्र और बंदरगाह में लदे जहाज पर दुर्घटना की रोकथाम (द्वितीय संस्करण) 1996
- कार्यस्थल में शराब और मादक द्रव्यों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन, 1996
- व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों का अंकन और अधिसूचना 1996
- श्रमिकों के निजी आंकड़ों की सुरक्षा 1997
- गोदी कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य, 1997
- कार्यस्थल में परिवेश के कारक, 2001
- सिंथेटिक विट्रियस फाइबर इन्सुलेशन वूल (ग्लास बूल, रॉक वूल, स्लैग वूल) के उपयोग में सुरक्षा, 2001
- श्रम की दुनिया और एचआईवी/एड्स, 2001
- अलौह धातु उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य, 2003

3. प्रासंगिक प्रकाशन

आईएलओ: *डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क एंड इट्स फॉलोअप,* अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1998 में हुए अपने 86वें सत्र में स्वीकृत, जेनेवा 1998

-: *इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी,* जेनेवा, चौथा संस्करण, 1998; 4-अंक प्रकाशित संस्करण एवं सीडी-रोम।

-: इंस्पेक्शन ऑफ लेबर कंडीशंस ऑन बोर्ड शिप : गाइडलाइन्स फोर प्रोसीजर, जेनेवा 1990

-: टेक्निकल एंड इथिकल गाइडलाइन्स फोर वर्कर्स हेल्थ सरविलेंस, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य श्रृंखला, संख्या 72. जेनेवा 1998.

-: गाइडलाइन्स ऑन आक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स, आईएलओ-ओएसएच 2001. जेनेवा 2001

-: यूनाइटेड नेशंस कान्फ्रेंस ऑन इनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (यूएनसीईडी): एजेंडा 21 (चैप्टर 19 ऑन इनवायरनमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स) रियो डि जेनेरो, ब्राजील, 1992

डब्लूएचओ: हैजार्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन द वर्किंग इनवायरनमेंट : एयरबोर्न डस्ट. व्यावसायिक एवं पर्यावरण स्वास्थ्य श्रृंखला, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा 1999

आईएमओ: रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स-डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन्स ऑन रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स: सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण समिति (एमईपीसी), 48वां सत्र, कार्यदल की रिपोर्ट. एमईपीसी 48/डब्लूपी. 12/एड.1, 9 अक्टूबर 2002

बेसल कन्वेंशन: टेक्निकल गाइडलाइन्स फोर द इनवायरनमेंटली साउंड मैनेजमेंट फॉर फुल एंड पार्शियल डिस्मेंटलिंग ऑफ शिप्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), जेनेवा, आधारभूत समझौता श्रृंखला/एसबीसी संख्या 2003/2; आईएसबीएन 92-1-158620-8(www.basel.int)

यूएसईपीए: ए गाइड फॉर शिप स्क्रैपर्स : टिप्स फॉर रेगुलेटरी कम्प्लाएंस, ऑफिस ऑफ इनफोर्समेंट एंड कम्लाएंस एश्यूरेंस, ईपीए 315-बी-00-001, समर 2000

इनवायरनमेंट कनाडा: क्लीन अप स्टैंर्डडस फार ओसीन डिस्पोजल ऑफ वेसल्स एंड क्लीन अप गाइडलाइन्स फॉर ओसीन डिस्पोजल ऑफ वेसल्स, पर्यावरण संरक्षण शाखा, प्रशांत एवं युकोन क्षेत्र, फरवरी 1998

ज्वाइंट यूएनईपी/ओसीएचए इनवायरमेंट यूनिट: गाइडलाइन्स फोर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशनल इनवायरमेंटल कंटिन्जेंसी प्लान

आईसीएस: ''इंडस्ट्री कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन शिप रीसाइक्लिंग'' एंड ''इनवेंटरी ऑफ पोटेंशियली हैजार्डस मैटीरियल ऑन बोर्ड,'' इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ शिपिंग, लंदन 2001, (www.marisec.org)

डेट नोर्स्के वेरिटास: डीकमीशनिंग गाइडलाइन्स द जीयूआईडीईसी एप्रोच, डीएनवी रिपोर्ट, संख्या 2000-3156

-: थर्डपार्टी इनवायरनमेंटल वेरिफिकेशन-शिप डी कमीशनिंग (ईएनवीईआर), डीएनवी रिपोर्ट, संख्या 2000-3157

यूरोपियन कमीशन: टेक्नालाजिकल एंड इकॉनमिक फीजिबिलिटी स्टडी ऑफ शिप स्क्रैपिंग इन यूरोप, डीएनवी रिपोर्ट, संख्या 2000-3527, 2001

द लंदन कन्वेंशन 1972 एंड प्रोटोकाल 1996 ''स्पेशिफिक गाइडलाइन्स फॉर एसेंसमेंट ऑफ वेसल्स'' साईटिफिक ग्रुप रिपोर्ट एलसी/एसजी 24/11, एनेक्स 6, द टवेंटी सेकेंड कंसलटेटिव मीटिंग ऑफ कांट्रेक्टिंग पार्टीज टु द लंदन कनवेंशन 1972 (http://www.londonconvention.org)

4. रासायनिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोतों के संदर्भ

- आईएलओ इनफोकस प्रोग्राम ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड द इनवायरनमेंट (सेफ वर्क)
  http://www.ilo.org/safework
- आईएलओ इंटरनेशनल आक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इनफार्मेशन सेंटर (सीआईएस)
  http://www.ilo.org/cis
- आईपीसीएस इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्डस
  http://www.who.int/ipes और cis वेबसाइट पर :
  http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm
- इंटर आर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फोर साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स (आईओएमसी)
  http://www.who.int.iomc
- इंटरगवर्नमेंटल फोरम ओंन केमिकल सेफ्टी (आईएफसीएस)
  http://www.who.int.ifcs
- कमिटी ऑफ एक्सपर्टस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गूड्स (टीडीजी) एंड ऑन द ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग (जीएचएस)
  http://www.unece.org/trans/danger
- ओईसीडी
  http://www.oecd.org/ehs

अनुलग्नक

अनुलग्न I: **श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी** (श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी पर *आईएलओ के तकनीकी व नैतिक दिशानिर्देश 1997 के उद्धरण*)

1 सामान्य सिद्धांत

1.1 सक्षम प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी को संचालित करने वाले कानूनों व विनियमों का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है।

1.2 श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी को श्रमिक तथा/या उनके प्रतिनिधियों के परामर्श से कार्यान्वित किया जाना चाहिए :

(अ) जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक व कार्यजनित चोटों व बीमारियों का प्राथमिक बचाव है;

(ब) नियंत्रित परिस्थितियों व संगठित संरचना के भीतर तथा जैसा कि राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों द्वारा निर्धारित और आईएलओ के व्यावसायगत स्वास्थ्य सेवा समझौता, 1985 (संख्या 161) तथा सिफारिश 1985 (संख्या 171) व श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी पर तकनीकी व नैतिक दिशानिर्देश (जेनेवा, 1997) के अनुरूप हो।

2 संगठन

2.1 विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, औद्योगिक, उद्यमिता) पर श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी के संगठन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(अ) सभी कार्य संबंधित कारकों और कार्यस्थल पर व्यावसायगत खतरों व जोखिमों की प्रकृति की समूची जांच की आवश्यकता जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं ;

(ब) कार्य की स्वास्थ्य अपेक्षाएं व श्रमशील जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति ;

(स) प्रासंगिक कानून व विनियम तथा उपलब्ध संसाधन;

(द) ऐसी निगरानी की कार्य प्रणाली व उद्देश्यों के संबंध में श्रमिकों व नियोक्ताओं में जागरूकता;

(क) यह तथ्य कि निगरानी कार्यगत पर्यावरण के निरीक्षण व नियंत्रण का विकल्प नहीं।

2.2 आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के समनुरूप श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी का राष्ट्रीय, औद्योगिक, उद्यमिता तथा/अथवा अन्य उपयुक्त स्तरों पर पालन किया जाना चाहिए। बशर्ते कि निगरानी का कुशल व्यवसायगत स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा संचालन या पर्यवेक्षण किया जा रहा हो, यह क्रियान्वित किया जा सकता है :

(अ) विभिन्न संरचनाओं, जैसे एक या अनेक उद्यमों में स्थापित व्यवसायगत स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा ;

(ब) व्यावसायगत स्वास्थ्य परामर्शदाताओं द्वारा;

(स) जहां उद्यम स्थित है, उस समुदाय में उपलब्ध व्यावसायगत तथा/अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा;

(द) सामाजिक सुरक्षा संस्थानों द्वारा;

(क) श्रमिकों द्वारा संचालित केन्द्रों द्वारा;

(ख) ठेके पर रखे गये विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों द्वारा

(ग) उपरिलिखित किसी भी ईकाई के संयोजन द्वारा।

2.3 श्रमिक स्वास्थ्य निगरानी की व्यापक प्रणाली में शामिल होना चाहिए :

(अ) व्यक्तिगत व सामूहिक स्वास्थ्य मूल्यांकन, व्यावसायजन्य चोट व बीमारी का पंजीकरण व अधिसूचना, प्रहरी घटना अधिसूचना, सर्वेक्षण, जांच व निरीक्षण

(ब) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन तथा गुणवत्ता व अपेक्षित प्रयोग के संदर्भ में विश्लेषण व मूल्यांकन

(स) कार्रवाई व अनुवर्तन का निर्धारण, जिसमें शामिल होगा :

(i) स्वास्थ्य नीतियों व व्यावसायगत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर दिशानिर्देश

(ii) पूर्व चेतावनी क्षमताएं जिससे सक्षम प्राधिकारी, नियोक्ता, श्रमिक व उनके प्रतिनिधियों, व्यवसायगत स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा शोध संस्थानों को निवर्तमान अथवा उभरती हुई व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में सावधान किया जा सके।

3 मूल्यांकन

3.1 श्रमिकों के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए सामान्य तौर से प्रयुक्त चिकित्सकीय परीक्षणों व परामर्श को, या तो स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के अंग के रूप में या कि आवश्यक आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहिए :

(अ) जोखिम या खतरों के संबंध में श्रमिकों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन जिसमें उन श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिन्हें उनकी स्वास्थ्यगत स्थितियों के संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए;

(ब) जब किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए हस्तक्षेप लाभप्रद हो, तब पूर्व चिकित्सकीय व चिकित्सकीय असामान्यताओं की पहचान;

(स) श्रमिकों के स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकना;

(द) कार्यस्थल पर नियंत्रित उपायों की प्रभाविता का मूल्यांकन;

(क) कार्य व स्वास्थ्य बहाली के सुरक्षित उपायों का क्रियान्वयन;

(ख) कार्य के किसी विशेष प्रकार के लिए स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन, जिसमें व्यक्तिगत अतिसंवेदनशीलता के मद्देनजर श्रमिक के अनुसार कार्यस्थल के अनुकूलन को महत्व दिया जाए।

3.2 नियुक्ति पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण को, जहां उपयुक्त हो, रोजगार या कार्य के पहले या इसके पश्चात :

(अ) सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए, जो भविष्य में स्वास्थ्य निगरानी के लिए दिशानिर्देश तय करेंगी;

(ब) कार्य के प्रकार, व्यावसायिक स्वास्थ्य मानक तथा कार्यस्थलीय जोखिम के अनुरूप होना चाहिए।

3.3 रोजगार के दौरान, चिकित्सकीय परीक्षण को निर्धारित अंतरालों, जैसा राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों के वर्णित हो, पर किया जाना चाहिए और उन्हें उद्यमों के व्यावसायगत जोखिमों के अनुरूप होना चाहिए। इन परीक्षणों को दोहराया भी जाना चाहिए :

(अ) स्वास्थ्य कारणों से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद कार्य का पुनरारंभ करने पर ;

(ब) श्रमिक के आग्रह पर, उदाहरण के लिए कार्य बदलने पर तथा, खास तौर से स्वास्थ्य कारणों से कार्य बदलने पर।

3.4 जहां व्यक्ति जोखिम के प्रति अरक्षित हैं तथा परिणाम के तौर पर दीर्घ अवधि में उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, वहां ऐसी बीमारियों की पूर्व पहचान व उपचार को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार उपरांत चिकित्सकीय निगरानी हेतु उपयुक्त प्रबंध किये जाने चाहिए।

3.5 राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों द्वारा जैविक परीक्षण व अन्य जांच का प्रावधान होना चाहिए। इसके संबंध मे श्रमिक को सूचना

प्रदान की जानी चाहिए व इन्हें जोखिम की न्यूनतम आशंका के साथ उच्चतम विशेषज्ञता मानकों के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए। इन परीक्षणों व जांच के परिणामस्वरूप श्रमिकों को अनावश्यक नये जोखिमों का सामना नहीं करना चाहिए।

3.6 जेनेटिक स्क्रीनिंग को प्रतिबंधित होना चाहिए अथवा उन्हें उन मामलों तक सीमित होना चाहिए, जिन्हें आईएलओ व्यवहार संहिता *श्रमिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा* के अनुसार, राष्ट्रीय कानून द्वारा स्पष्टतया मान्यता प्राप्त हो।

4 डाटा का प्रयोग व रिकार्ड्स

4.1 श्रमिकों के व्यक्तिगत चिकित्सकीय डाटा को :

(अ) आईएलओ व्यवहार संहिता *श्रमिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा (जेनेवा 1997)* के अनुसार, संग्रहीत व चिकित्सकीय गोपनीयता के अनुमोदन के अनुसार जमा किया जाना चाहिए।

(ब) व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर श्रमिकों के स्वास्थ्य (शारीरिक, मानसिक व सामाजिक उत्थान) की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए जोकि श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी पर आईएलओ के तकनीकी व नैतिक दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

4.2 श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी के परिणाम व रिकार्ड्स को :

(अ) विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा संबंधित श्रमिकों अथवा उनकी पसंद के श्रमिकों के समक्ष स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करना होगा :

(ब) अकारण भेदभाव के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय कानून व व्यवस्था में आश्रय प्राप्त है;

(स) उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा आग्रह किया गया हो, अथवा नियोक्ता व श्रमिकों द्वारा स्वीकृत किसी अन्य पक्ष को, जिससे उपयुक्त स्वास्थ्य आंकड़े तथा रोग संबंधी अध्ययन तैयार किये जा सकें, बशर्ते पहचान गोपनीय रखी जाए तथा जहां यह व्यवसायगत चोटों व बीमारियों की पहचान व नियंत्रण में मदद दें ;

(द) उस अवधि व परिस्थितियों के अंतर्गत रखा जाएगा जो राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों द्वारा प्रदत्त हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबंध शामिल हो कि श्रमिकों के स्वास्थ्य निगरानी आंकड़े चाहे वे बंद किये जा चुके संस्थानों के हो, सुरक्षा पूर्वक व्यवस्थित किये जा रहे हैं।

अनुलग्न II: कार्यगत पर्यावरण की निगरानी (व्यवसायगत स्वास्थ्य सेवा सिफारिश, 1985 संख्या 171 के अनुसार)

1 कार्यगत परिवेश की निगरानी में शामिल होगा :

(अ) उन जोखिमों और खतरों की पहचान और मूल्यांकन जो श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं;

(ब) कार्य के उन संगठनों में व्यावसायगत स्वच्छता व कारकों की स्थिति का मूल्यांकन जोकि श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों अथवा खतरों को बढ़ायें;

(स) सामूहिक व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का मूल्यांकन;

(द) जहां उपयुक्त हो वैध व आम तौर पर स्वीकृत निरीक्षण विधियों द्वारा खतरनाक तत्वों के प्रति श्रमिकों के अरक्षण का मूल्यांकन;

(क) अरक्षण के उन्मूलन अथवा उन्हें कम करने के लिए निर्दिष्ट नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन।

2 ऐसी निगरानियों को उपक्रम की अन्य तकनीकी सेवाओं तथा संबंधित श्रमिकों व उपक्रम में उनके प्रतिनिधियों और/अथवा सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति, जहां ये विद्यमान हों, के सहयोग से कार्यन्वित किया जाना चाहिए।

3 राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों के अनुसार, कार्यगत परिवेश की निगरानी से प्राप्त डाटा को उपयुक्त प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए और नियोक्ता श्रमिकों व संबद्ध उपक्रम में उनके प्रतिनिधियों अथवा सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति, जहां ये विद्यमान हो, को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4 इन डाटा को गोपनीय आधार पर तथा केवल कार्यगत पर्यावरण व श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य में सुधार संबंधी उपायों के लिए दिशानिर्देश व सलाह प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

5 इन डाटा तक सक्षम प्राधिकारी की पहुंच होनी चाहिए। उन्हें दूसरों तक प्रेषित तभी किय जाएगा जब नियोक्ता और श्रमिक अथवा उपक्रम में उनके प्रतिनिधियों अथवा सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति, जहां वे विद्यमान हों, इस पर सहमत हों।

6 कार्यगत पर्यावरण की निगरानी में व्यवासयगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के दौरे शामिल होने चाहिए जोकि कार्यगत पर्यावरण में उन कारकों का परीक्षण करेंगे जो श्रमिकों के स्वास्थ्य, कार्यस्थलीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य स्थितियों व कार्यगत स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं।

7 रोजगार में श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक नियोक्ता के उत्तरदायित्व के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, तथा व्यावसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य के मामलों में श्रमिकों की भागीदारी की आवश्यकता का सम्मान करते हुए, व्यावसायगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यो को करना चाहिए, जो उपक्रम के व्यावसायगत खतरों के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं :

(अ) जब आवश्यक हो, जोखिमों और खतरों के प्रति श्रमिकों के अरक्षण का निरीक्षण किया जाए ;

(ब) श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रयुक्त तकनीकों के संभावित प्रभावों पर परामर्श;

(स) व्यवसायगत जोखिमों के खिलाफ श्रमिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों के चयन में भागीदारी और परामर्श;

(द) श्रमिकों के लिए कार्य के उत्कृष्ट अनुकूलन को सुनिश्चित करने हेतु रोजगार के विश्लेषण तथा संगठन के अध्ययन व कार्य की विधियों में सहयोग;

(क) व्यावसायगत दुर्घटनाओं तथा व्यावसायगत बीमारियों के विश्लेषण व दुर्घटना बचाव कार्यक्रमों में भागीदारी;

(ख) श्रमिकों के लिए साफ-सफाई व्यवस्था व अन्य सुविधाओं, जैसे पेयजल, कैंटीन व आवासीय सुविधा, जब ये

नियोक्ता द्वारा प्रदत्त हों, का पर्यवेक्षण।

8 व्यावसायगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों की, नियोक्ता, श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों को सूचित करने के बाद, जहां उपयुक्त हो :

(अ) सभी कार्यस्थलों और उन प्रतिष्ठानों तक मुक्त पहुंच होनी चाहिए, जो उपक्रमों ने अपने श्रमिकों को प्रदान किये हैं ;

(ब) प्रक्रियाओं, प्रदर्शन मानकों, उत्पादों, उपकरणों व प्रयुक्त पदार्थो अथवा जिनके प्रयोग पर विचार किया जा रहा हो, की सूचना तक पहुंच होनी चाहिए, बशर्ते कि इस दौरान प्राप्त हो गयी किसी गुप्त सूचना की गोपनीयता को वे बनाये रखेंगे, जोकि श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्रभावित न करे;

(स) उत्पादों, उपकरणों तथा पदार्थो के नमूनों के विश्लेषण के उदेश्य पूरा करने में समर्थ होंगे।

9 व्यवसायगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों से कार्य प्रक्रियाओं में प्रस्तावित सुधार व श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कार्यगत परिस्थितियों में सुधार के संबंध में सलाह ली जाएगी।

अनुलग्न III: एक ओएसएच प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (व्यावसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों पर आईएलओ दिशानिर्देश, आईएलओ/ओएसएच 2001 के उद्धरण)

1 प्रस्तावना

1.1 उद्यम स्तर पर व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य (ओएसएच) प्रबंधन प्रणालियों को शुरू करने के सकारात्मक प्रभाव, जोकि जोखिम व खतरों में कमी और उत्पादकता दोनों पर पड़ते हैं, को अब सरकारों, नियोक्ताओं व श्रमिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की है। ऐसी प्रणालियों को शुरू करने से प्राप्त करने से परस्पर लाभों को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए, यदि पोतभंजन उद्योग मे सुरक्षा व स्वास्थ्य में सुधार व उत्पादकता हासिल करनी है। जहां पोतभंजन सुविधा के लिए प्रणालियों को निश्चित होना चाहिए और इस कार्य की मात्रा व प्रकृति के उपयुक्त होना चाहिए, आईएलओ ओएसएच 2001 दिशानिर्देशों के कई तत्व सामान्य हैं और ऐसी प्रणालियों को लागू करने में अन्य उद्योग क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। पोतभंजन के लिए राष्ट्रीय व सुविधा स्तर पर ओएसएच प्रबंधन प्रणालियों को रूपरेखा व क्रियान्वयन को व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों पर आईएलओ दिशानिर्देश, आईएलओ/ओएसएच 2001 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए।

1.2 सक्षम प्राधिकरियों को :

(अ) पोतभंजन सुविधाओं के समूचे प्रबंधन के अभिन्न अंग के रूप में ओएसएच प्रबंधन प्रणालियों के क्रियान्वयन व एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए;

(ब) ओएसएच प्रबंधन प्रणालियों के स्वैच्छिक अनुप्रयोग व व्यवस्थित क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश का विस्तारण करना चाहिए, जो व्यावसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों पर आईएलओ दिशानिर्देश (आईएलओ-ओएसएच 2001) अथवा राष्ट्रीय परिस्थितियों व परंपराओं के मद्देनजर आईएलओ-ओएसएच 2001 के अनुकूल अन्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हों;

(स) पोतभंजन सुविधाओं में ओएसएच प्रबंधन प्रणालियों पर विशिष्ट (निर्मित) दिशानिर्देशों के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा विस्तारण को प्रोत्साहित करना चाहिए;

(द) श्रम निरीक्षकां, ओएसएच सेवाओं तथा अन्य सार्वजनिक अथवा निजी सेवाओं, संस्थाओं व ओएसएच से संबंध रखने वाले संस्थानों, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सहयोग व तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करना चाहिए;

(क) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ताओं व श्रमिकों को ऐसे दिशानिर्देशा मिल रहे हैं जो उन्हें नीतियों के तहत उनकी कानूनी बाध्यताओं के अनुपालन में सहयोग प्रदान करें;

(ख) उस स्थिति में नियोक्ताओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए, जब एक ही योजना में दो अथवा दो से अधिक सुविधाएं गतिविधियों में शामिल हों ;

(ग) उन गोपनीय सूचनाओं की रक्षा की जरूरत को मान्यता देनी चाहिए, जो नियोक्ता के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बशर्ते श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के साथ समझौता न करना पड़े।

1.3 ओएसएच प्रबंधन प्रणालियों के विकास, क्रियान्वयन व संचालन के मद्देनजर, नियोक्ताओं को :

(अ) सामान्य सुविधा प्रबंधन नीति के अंग के रूप में अपनी विशिष्ट ओएसएच नीति, कार्यक्रमों व सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संरक्षण प्रबंधो को लिपिबद्ध कर लेना चाहिए;

(ब) विभिन्न सुरक्षा व स्वास्थ्य उत्तरदायित्वों, जिम्मेदारियों तथा प्रशासकीय स्तरों को व्याख्यायित कर लेना चाहिए तथा इन्हें अपने श्रमिकों, आंगतुको तथा सुविधा में कार्यरत अन्य लोगों को, जहां उपयुक्त हो, स्पष्टतया संप्रेषित कर देना

चाहिए;

(स) ओएसएच नीति की पूर्ति के लिए श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदारी हेतु प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित करना चाहिए,

(द) सभी लोगों और अनुवर्ती व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं दोनों के लिए जरूरी ओएसएच की सुयोग्य अपेक्षाओं को व्याख्यायित करना चाहिए।

(क) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उस रूप और भाषा में, जो वे समझते हों, पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त हों, जिससे वे जोखिम के खतरनाक परिवेशी कारको से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।

(ख) उपयुक्त प्रलेखन तथा संचार प्रबंध की स्थापना व बहाली करनी चाहिए;

(ग) जोखिमों की पहचान व कार्यस्थल में श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरों का मूल्यांकन करना चाहिए:

(घ) जोखिम बचाव व नियंत्रण उपाय, जिनमें आपात बचाव, तत्परता व प्रतिक्रिया प्रंबंधन करने चाहिए;

(च) विनिर्देशन के क्रय व लीजिग तथा कार्यस्थल पर कार्यरत ठेकेदारों के लिए ओएसएच अपेक्षाओं के अनुकूल प्रक्रियाओं की स्थापना करनी चाहिए;

(छ) कार्यजनित चोटों व रोगों की जांच के परिणामों, ओएसएच के अनुवर्ती लेखों तथा प्रबंधन द्वारा ओएसएच प्रणाली की समीक्षा के मद्देनजर ओएसएच प्रदर्शन के निरीक्षण, मूल्यांकन व अभिलेखन का विकास, स्थापना व समीक्षा करनी चाहिए, तथा

(ज) निरंतर सुधार के लिए बचाव व दोषनिवारक कार्रवाइयों तथा अवसरों की पहचान व क्रियान्वयन करना चाहिए।

2 व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य नीति

2.1 सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन को प्रबंधन का उच्च वरीयता प्राप्त कार्य माना जाना चाहिए। पोतभंजन सुविधा की सामान्य नीति के समनुरूप, नियोक्ता को ओएसएच नीति गठित करनी चाहिए, जिसे

(अ) सुविधा के अनुरूप विशिष्ट व गतिविधयों की मात्रा व प्रकृति के उपयुक्त होना चाहिए;

(ब) ओएसएच को समूची प्रबंधन संरचना के अभिन्न अंग के रूप में तथा ओएसएच प्रदर्शन को सुविधा के व्यावसायिक प्रदर्शन के अंग के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

2.2 ओएसएच नीति में, कम से कम न्यूनतम, प्रमुख सिद्धांतों व उदेश्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसके प्रति सुविधा प्रबंधन प्रतिबह हैं :

(अ) उसे ओएसएच को समूची प्रबंधन संरचना के अभिन्न अंग के रूप में तथा ओएसएच प्रदर्शन को सुविधा के व्यावसायिक प्रदर्शन के अंग के रूप में मान्यता देनी चाहिए ;

(ब) उसे कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य, रोगों व दुर्घटनाओं से बचाव के जरिये संस्थापन के सभी सदस्य की सुरक्षा व स्वास्थ्य की रक्षा करनीचाहिए।

(स) उसे प्रासंगिक ओएसएच राष्ट्रीय कानूनों विनियमों, स्वैच्छिक कार्यक्रमों, ओएसएच व अन्य आवश्यकताओं पर सामूहिक समझौतों, जिन्हें संस्थापन अनुमोदित करेगा या अनुमोदन करने की इच्छा रखेगा का अनुपालन करना चाहिए;

(द) उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कि श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों की सलाह ली गयी है और ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के सभी तत्वों में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है;

(क) उसे ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन में निरंतर सुधार करना चाहिए।

2.3 सुरक्षा व स्वास्थ्य नीति का विस्तार व सूक्ष्म प्रकृति इस बात पर स्पष्ट रूपसे निर्भर करेगी कि पोतभंजन सुविधा का आकार और संभावना क्या है किन्तु कुछ निश्चित प्रमुख तत्वों का समावेश इसमें होना चाहिए। उदहारण के लिए :

(अ) कर्मचारियों की भर्ती व प्रशिक्षण;
(ब) उन कर्मचारियों की पहचान, जिन्हें सुरक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं;
(स) सुरक्षित व स्वस्थ कार्यगत परिवेश सुनिश्चित करने केलिए उपकरण व पदार्थों का प्रावधान;
(द) अन्य संबद्ध निकायों के साथ संपर्क के लिए प्रबंध जैसे विधायक, श्रमिक संगठन, सार्वजनिक सुविधाएं, उदाहरण के लिए पानी व बिजली प्रशासन तथा पर्यावरण सुरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन ;
(क) सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति के क्रियाकलाप व संविधान
(ख) संस्थापन द्वारा नियम कानूनों अथवा अन्य प्रकार से स्वीकृत सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की प्रक्रियाएं
(ग) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं व व्यवसायगत रोगों की रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएं
(घ) वे साधन, जिनके जरिये सभी संबद्ध लोगों तक नीतियों को पहुंचाया जाए जिसमें वह तिथि भी शामिल हों, जिस दिन नीति की समीक्षा हुई और आवश्यक होने पर जिस दिन उस नीति को संशोधित किया गया हो
(च) आपात प्रक्रियाएं

3 श्रमिकों की भागीदारी

3.1 श्रमिकों की भागीदारी को सुविधा में ओएसएच प्रबंधन प्रणाली का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों व उनके सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रतिनिधियों से परामर्श लिया गया हो, उन्हें सूचना हो तथा अपने कार्य से जुड़े ओएसएच के सभी पहलुओं, जिनमें आपात प्रबंध शामिल हैं, पर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो;

3.2 नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां उपयुक्त हो, सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति की स्थापना व प्रभावी क्रियाकलाप तथा राष्ट्रीय कानून व परंपराओं के अनुसार श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रतिनिधियों को मान्यता दी गयी हो। सुरक्षा व स्वास्थ्य समितियों में श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों नियोक्ता प्रतिनिधियों, तथा जहां तक व्यवहार्य हो, व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। सुरक्षा व स्वास्थ्य समितियों की बैठकें नियमित होनी चाहिए और उन्हें व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य से संबंद्ध विषयों से जुड़ी निर्णायक प्रक्रियाओं में भागीदारी करनी चाहिए।

4 उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी

4.1 नियोक्ता पर श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य का समूचा उत्तरदायित्व होना चाहिए तथा उसे ओएसएच गतिविधियों तथा सुविधा में की जाने वाली पहल को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

4.2 नियोक्ताओं व उच्च प्रबंधन को ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के विकास, क्रियान्वयन तथा प्रदर्शन व अन्य ओएसएच मुद्दों के लिए कर्मचारियों को उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी व अधिकार प्रदान करने चाहिए। इन मुद्दों को उनके समूचे उत्तरदयित्व का अंग बनाना चाहिए व प्रबंधन कार्यो के अंग के रूप रोजगार व्याख्या में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए कि कर्मचारी सक्षम हैं और अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निबाहने के लिए उनके पास आवश्यक अधिकार व संसाधन हैं।

4.3 उद्यम के आकार व संरचना से इतर सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों को विकसित करने, उनका निरीक्षण करने तथा उन्हें नियंत्रित

करने के लिए उच्च प्रबंधकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन पर समस्याओं को लक्षित किया जाए, और जिसमें व्यवसायगत दुर्घटनाओं व रोगों को दर्ज करना व अधिसूचित करना शामिल है।

4.4 प्रबंधकों व पर्यवेक्षकों को :

(अ) सुविधा की सुरक्षा व स्वास्थ्य नीति को लागू करना चाहिए, सुरक्षित उपकरणों के चयन, कार्यविधियों व कार्य संगठन तथा उच्च स्तरीय कुशलता की बहाली के जरिये ;

(ब) गतिविधियों में सुरक्षा व स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम व खतरों को जिस स्तर पर संभव हो, कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए वे जिम्मेदार हों,

(स) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों व ठेकेदारों को सुरक्षा व स्वास्थ्य नियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं पर पर्याप्त सूचना प्राप्त हो गयी हैं और स्वयं इस बात के लिए संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इस सूचना को समझ लिया गया है;

(द) अपने कनिष्ठों को उनका कार्य स्पष्ट व संक्षिप्त रूप में प्रदत्त कर देना चाहिए। प्रबंधकों व निरीक्षकों को इस बात का संतोष कर लेना चाहिए कि श्रमिकों को सुरक्षा व स्वास्थ्य आवश्यकताएं समझ आ गयी हैं और वे उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं;

(क) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्य नियोजित, संगठित व इस प्रकार संचालित किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं की आशंका कम से कम है और श्रमिक उन स्थितियों के प्रति कम से कम अरक्षित हैं जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान या उन्हें कोई चोट पहुंचाये।

4.5 श्रमिकों से परामर्श करके प्रबंधकों तथा पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त निर्देश, प्रशिक्षण अथवा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल निरीक्षण द्वारा श्रमिकों को अधिक शिक्षण की जरूरत का आकलन करना चाहिए।

4.6 पर्यवेक्षकों को ठेकेदारों तथा उनके श्रमिकों द्वारा व्यावसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलन के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। जहां यह स्थिति न हो, वहां पर्यवेक्षकों को ठेकेदारों तथा उनके श्रमिकों को निर्देश व परामर्श देना चाहिए।

4.7 श्रमिकों को राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमों अथवा सुविधा में स्वीकृत नियमों द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों तथा सुरक्षा व स्वास्थ्य मुद्दों पर सामूहिक कर्तव्यों के विषय में स्पष्ट रूप से जागरूक किया जाना चाहिए।

4.8 पोतभंजन के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदारों को इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यों हेतु नियोक्ता के रूप में माना जाना चाहिए तथा नियोक्ताओं के उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के उपयुक्त प्रावधानों को उन पर लागू किया जाना चाहिए।

4.9 ठेकेदारों तथा श्रमिक उपलब्ध कराने वाले अभिकर्ताओं को :

(अ) जहां राष्ट्रीय कानूनों अथवा विनियमों द्वारा आवश्यक हो, रजिस्टर्ड अथवा लाइसेंस धारी होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त योजनाओं, जहां वे उपस्थित हों, का सदस्य होना चाहिए;

(ब) सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाले कमिशनिंग पक्ष की नीतियों व रणनीतियों के अनुसार काम करना चाहिए तथा उनके प्रति जागरूक होना चाहिए तथा संबंद्ध उपायों व आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए व उनसे सहयोग करना चाहिए।

4.10 ठेकेदारों को रोजगार, श्रमिकों को मुआवजे, श्रम निरीक्षण तथा व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य मुद्दों से संबंद्ध राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

5 सक्षमता तथा प्रशिक्षण

5.1 जरूरी ओएसएच क्षमता आवश्यकताओं को नियोक्ताओं द्वारा व्याख्यायित किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त प्रशिक्षण प्रबंधों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तथा बहाल किया जाना चाहिए कि सभी लोग अपने वर्तमान अथवा भविष्य के सुरक्षा व स्वास्थ्य कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम हैं।

6 प्रलेखन

6.1 सुविधा की गतिविधियों के आकार व प्रकृति के अनुसार ओएसएच प्रबंधन प्रणाली प्रलेखन को स्थापित व बहाल किया जाना चाहिए और उसमें शामिल हो सकता है :

(अ) ओएसएच नीति तथा संस्थापन के लक्ष्य

(ब) ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन, निरीक्षकों, श्रमिकों तथा ठेकेदारों के निर्धारित प्रमुख ओएसएच प्रबंधन उत्तरदायित्व

(स) सुविधाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण ओएसएच जोखिम/खतरे, जिसमें कार्यस्थल में मौजूद सभी जोखिमपूर्ण पदार्थो की सूची शामिल हो तथा उनके बचाव व नियंत्रण के लिए प्रबंध; और

(द) ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रयुक्त श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े प्रबंध, प्रक्रियाएं, निर्देश अथवा अन्य आंतरिक प्रलेख

6.2 ओएसएच रिकाड्र्स को स्थानीय और संस्थापन की आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित, प्रबंधित व बहाल किया जाना चाहिए। उन्हें पहचान योग्य तथा अनुमार्गणीय होना चाहिए, और उनकी अवरोधन अवधि सुस्पष्ट होनी चाहिए।

6.3 ओएसएच प्रलेखन सभी श्रमिकों, श्रमिक प्रतिनिधियों, अथवा अन्य पक्षों को उपलब्ध होने चाहिए जिनकी इनमें रुचि हो अथवा वे उसकी विषयवस्तु से प्रभवित हों।

6.4 ओएसएच रिकाड्र्स में शामिल हो सकता है :

(अ) ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन से प्राप्त रिकाड्र्स

(ब) कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य, रोगों व घटनाओं का रिकार्ड तथा प्रासंगिक मूल्य

(स) राष्ट्रीय ओएसएच कानूनों अथवा नियमों के क्रियान्वयन से प्राप्त रिकाड्र्स

(द) श्रमिकों के अरक्षण, कार्यगत परिवेश की निगरानी तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकार्ड

(क) क्रियाशील तथा प्रतिक्रियाशील निरीक्षण के परिणाम

7 संचार तथा सूचना

7.1 व्यवस्था तथा प्रक्रियाओं को स्थापित व बहाल करना चाहिए जिससे :

(अ) ओएसएच से संबंद्ध आंतरिक व बाह्य संचार को समुचित प्रकार से प्राप्त व दर्ज किया जा सके तथा उनका उत्तर दिया जा सके;

(ब) यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रासंगिक स्तरों व प्रबंधन ढांचे में उद्यम के क्रियाकलाप के बीच बाह्यकारी अथवा अन्य ओएसएच सूचनाओं का आंतरिक प्रेषण हो रहा है;

(स) यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओएसएच मुद्दों पर श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों की चिंताओं, विचारों तथा अनुभवों को प्राप्त किया जाए, उन पर विचार हो तथा उनका उत्तर दिया जाए।

7.2 पोतभंजन अभियानों में सुरक्षा व स्वास्थ्य चिंताओं के संपूर्ण एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यशील परंपराओं या अभियानों पर केन्द्रित नियमावलियों के दिशानिर्देशों में सुरक्षा व स्वास्थ्य नियमों तथा सलाह, जिसमें गुणवत्ता, उत्पादकता, पर्यावरणीय व अन्य पहलुओं के अनुकूल प्रावधान शामिल हों; का समावेश होना चाहिए।

8 आरंभिक समीक्षा

8.1 सुविधा में निवर्तमान ओएसएच प्रबंधों को जहां उपयुक्त हो, आरंभिक समीक्षा के माध्यम से मूल्यांकित किया जाना चाहिए। जहां कोई औपचारिक ओएसएच प्रबंध मौजूद न हों, अथवा सुविधा नयी स्थापित हुई हो, आरंभिक समीक्षा को ओएसएच प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने का आधार बनना चाहिए। इसमें तटीय तथा अपतटीय जहाज पर गतिविधियों की समीक्षा होनी चाहिए।

समीक्षा से पूर्व, तीन प्रमुख प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया जाना चाहिए :

(अ) हम कहां हैं?

(ब) हम कहां जाना चाहते हैं?

(स) हम वहां कैसे पहुंचेंगे?

8.2 पोतभंजन सुविधा के संदर्भ में, किसी जहाज के आने से पहले अथवा विकल्पत: उसके तोड़ने जाने के लिए आने पर, संपत्ति सर्वेक्षण के रूप में सक्षम व्यक्तियों द्वारा आरंभिक समीक्षा की जानी चाहिए। संपत्ति सूची अथवा आरंभिक समीक्षा में :

(अ) शारीरिक, रासायनिक, जैविक तथा अन्य जोखिमों की पहचान, मात्रा, अवस्थिति अथवा प्रत्याशा तथा वर्तमान अथवा प्रस्तावित कार्यगत परिवेश व कार्य संगठन से सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले जोखिमों का मूल्यांकलन होना चाहिए तथा

(ब) जोखिमपरक पदार्थो (अवशिष्टों) तथा अन्य पदार्थो की सूची का सृजन होना चाहिए।

8.3 अतिरिक्त समीक्षा में, जैसा उपयुक्त हो :

(अ) वर्तमान में लागू राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों, निर्मित दिशानिर्देशों, स्वैच्छिक योजनाओं तथा अन्य आवश्यकताओं, जिनका वहन संस्थापन करता हो, की पहचान होनी चाहिए।

(ब) यह निर्धारित होना चाहिए कि क्या नियोजित व वर्तमान नियंत्रण खतरों अथवा जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं; तथा

(स) अन्य उपलब्ध आंकड़ों, विशेष रूप से श्रमिकों की स्वास्थ्य निगरानी (देखें अनुलग्न I) तथा कार्यगत परिवेशी की निगरानी (अनुलग्न I) में प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण होना चाहिए।

8.4 पोतभंजन संस्थापन के नियोक्ता को जोखिमों व खतरों की पहचान की प्रक्रियाओं, उनके विधिवत मूल्यांकन व रिकार्ड को स्थापित व बहाल करना चाहिए, जोकि प्रत्येक जहाज को तोड़े जाने से उत्पन्न हों और सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्रभावित करें।

9 प्रणाली योजना, विकास तथा क्रियान्वयन

9.1 आरंभिक समीक्षा के परिणामों पर आधारित जोखिम पहचान तथा संकट मूल्यांकन तथा अन्य उपलब्ध आंकड़े उदहारण के लिए श्रमिकों को स्वास्थ्य निगरानी (देखें अनुलग्न I) कार्यगत परिवेश की निगरानी (देखें अनुलग्न II) क्रियाशील व प्रतिक्रियाशील निरीक्षण के परिणामों के लिए नियोक्ता को :

(अ) न्यूनतम स्तर तक इन जोखिमों को कम करने के लिए ओएसएच उदेश्यों को निरूपित करना चाहिए,

(ब) बचाव के उपयुक्त क्रम पर आधारित सदृश्य बचाव उपायों को सोच निकालना और क्रियान्वित करना चाहिए, तथा

(स) किसी अभियान को शुरू करने से पहले प्रत्येक जहाज के लिए सुरक्षित पोतभंजन योजना विकसित, स्वीकृत व क्रियान्वित करनी चाहिए।

इन गतिविधियों में स्थल निरीक्षण तथा योजना का नियमित क्रियान्वयन तथा कार्य संगठन के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए।

9.2 नियोजित प्रबंधों को कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य के संशोधित संरक्षण में योगदान करना चाहिए और इसमें :

(अ) संस्थापन के ओएसएच उद्देश्यों की जहां उपयुक्त हो स्पष्ट परिभाषा, प्राथमिकता निर्धारण व परिमाणन शामिल होना चाहिए;

(ब) स्पष्ट उत्तरदायित्व व यह संकेत देने वाले स्पष्ट प्रदर्शन आधार कि किसके द्वारा और कब क्या किया जाना है और उसका संभावित परिणाम क्या है, के साथ प्रत्येक उद्देश्य हासिल करने की योजना की तैयारी शामिल होनी चाहिए;

(स) यह पुष्टि करने के लिए कि उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है, मापन आधार (संकेतकों) का चयन शामिल होना चाहिए; तथा

(द) जैसे उपयुक्त हो पर्याप्त संसाधनों, जिनके अंतर्गत मानवीय व वित्तीय संसाधन तथा तकनीकी सहयोग भी शमिल हो, का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

9.3 अन्य के साथ संसाधन आवंटन में शामिल होना चाहिए :

(अ) विधायी व अन्य स्वीकृत मानकों को स्वीकृत करने के लिए सुविधाएं, उपकरण व साधन;

(ब) दुर्घटना, जोखिमों व स्वास्थ्य खतरों के प्रभाव को कम करे तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक संगठित ढांचा;

(स) मानकों व प्रथाओं की समीक्षा व लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन की उपलब्धता

(द) नयी तकनीकों अथवा कानूनी परिर्वतनों से उत्पन्न होने वाली भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन।

10 व्यवसायत सुरक्षा व स्वास्थ्य उद्देश्य

10.1 ओएसएच नीति के साथ सुसंगत तथा आरंभिक समीक्षा पर आधारित परवर्ती समीक्षाओं तथा ओएसएच उद्देश्यों का मापन करने वाले अन्य उपलब्ध आंकड़ों को स्थापित किया जाना चाहिए, जो कि :

(अ) सुविधा के लिए विशिष्ट, तथा गतिविधि के आकार व प्रकृति के उपयुक्त व अनुसार हो;

(ब) प्रासंगिक व लागू राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों तथा ओएसएच के संदर्भ में सुविधा की तकनीकी व व्यावसायिक बाध यताओं का अविरोधी हो;

(स) सर्वश्रेष्ठ ओएसएच प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की ओएसएच सुरक्षा में निरंतर सुधार के प्रति केन्द्रित हों;

(द) यर्थाथपरक तथा उपलब्ध करने योग्य हो;

(क) उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत हो, जो उन्हें प्रदान करें;

(ख) एक उपयुक्त समयावधि में निर्धारित किये गये हों

(ग) प्रलेखित तथा उद्यम के सभी प्रासंगिक क्रियाकलापों व स्तरों तक सप्रेषित हों

(घ) आवर्ती – मूल्यांकित तथा अगर आवश्यक हो तो आधुनिक हों।

11 जोखिम की पहचान तथा संकट का मूल्यांकन, बचाव व सुरक्षा उपाय

11.1 नियोक्ताओं को स्थायी अथवा अस्थायी कार्यस्थल पर खतरनाक परिवेशी कारकों से सुरक्षा व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिमों व खतरों की पहचान व आवर्ती मूल्यांकन के लिए प्रबंध करना चाहिए, जो विभिन्न अभियानों, औजारों, मशीनों, उपकरणों

व पदार्थो के उपयोग से उत्पन्न होते हैं।

11.2 मूल्यांकन की समीक्षा होनी चाहिए, जब भी कार्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जिससे वह संबद्ध हो अथवा जब इस आशंका का कारण हो कि वह अब वैध नहीं रहा। समीक्षा को प्रबंधन उत्तरदायित्व की प्रणाली में समावेशित किया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि प्राथमिक मूल्यांकन द्वारा प्रदर्शित आवश्यक नियंत्रित कार्रवाई प्राप्त की गयी सच्चाई में उपस्थित है।

11.3 उन कार्यो के लिए जो अपनी प्रकृति के परिणामत: श्रमिकों को जोखिमपरक रसायन के प्रयोग व उपस्थिति शारीरिक व जैविक कारकों मनोवैज्ञानिक कारकों तथा मौसमी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति अरक्षित करते हैं, उपयुक्त बचाव तथा सुरक्षा उपायों को इन जोखिमों व खतरों से बचने, अथवा राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों द्वारा पुष्टि प्राप्त, न्यूनतम यथोचित व व्यवहार्य स्तर तक कम करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

11.4 नियोक्ता को कार्यगत परिवेश में व्यवसायगत जोखिमों के बचाव व नियंत्रण तथा उनके विरूद्ध सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

11.5 श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों व खतरों की अनुगामी स्तर पर पहचान व मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वरीयता के निम्नलिखित क्रम में बचाव व सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए :

(अ) जोखिम/खतरे का उन्मूलन

(ब) इंजीनियरिंग नियंत्रणों अथवा संगठनात्मक उपायों के प्रयोग के माध्यम से स्त्रोत पर ही जोखिम/खतरे पर नियंत्रण।

(स) सुरक्षित कार्य प्रणालियों की संरचना द्वारा, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण उपाय शामिल हैं, जोखिम/खतरे का न्यूनतम करना।

(द) जहां अवशिष्ट जोखिम/खतरों को सामूहिक उपायों द्वारा नियंत्रित न किया जा सके वहां नियोक्ता को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे वस्त्र, को मुफ्त प्रदान करना चाहिए और उसके प्रयोग व रखरखाव सुनिश्चित करने वाले उपायों को कार्यान्वित करना चाहिए।

11.6 आंतरिक परिवर्तनों (उदाहरण के लिए कर्मचारियों में अथवा नयी विधियों, कार्य प्रक्रियाओं, संगठनात्मक संरचना अथवा अधिग्रहण) और बाह्य परिवर्तनों (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों में सुधार का परिणाम संगठनात्मक विलयन तथा ओएसएच ज्ञान व तकनीकी में विकास) पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन होना चाहिए तथा परिवर्तनों के प्रस्ताव से पूर्व बचाव के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए।

11.7 किसी भी प्रकार के सुधार अथवा नयी कार्यविधियों, पदार्थो, प्रक्रियाओं अथवा मशीनरी की प्रस्तावना से पूर्व कार्यस्थलीय खतरों की पहचान व जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

11.8 कार्यविधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित व बहाल किया जाना चाहिए कि :

(अ) संस्थापन के लिए सुरक्षा व स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अनुवृत्ति की पहचान, मूल्यांकन व विनिर्देशन व बिक्री व लीसिंग में समाविष्ट हो सके।

(ब) वस्तुओं व सेवाओं की अधि प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों तथा संस्थापन की अपनी ओएसएच आवश्यकताओं की पहचान हो सके।

(स) प्रयोग से पूर्व आवश्यकताओं का अनुपालन प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाए।

11.9 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधा, अथवा कम से कम इसके समकक्ष, की सुरक्षा व स्वास्थ्य आवश्यकताएं ठेकेदारों

तथा उनके श्रमिको पर लागू भी होंगी, प्रबंध स्थापित और बहाल किये जाएंगे।

12 प्रदर्शन निरीक्षण व उपाय

12.1 पूर्व निर्धारित योजनाओं व मानकों के विपरीत सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रदर्शन का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा पोतभंजन उद्यमों को यह निर्धारित करना चाहिए कि सुरक्षा व स्वास्थ्य नीति को कार्यान्वित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए वे क्या कर रहे हैं और कि कितने प्रभावी तरीके से वे खतरों को नियंत्रित कर पाते हैं। निरीक्षण को सुरक्षा व स्वास्थ्य उद्देश्यों और सकारात्मक सुरक्षा व स्वास्थ्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता को प्रबलित करनाचाहिए।

12.2 निरीक्षण को प्रदत्त करना चाहिए :

(अ) ओएसएच प्रदर्शन पर पुनर्निवेशन

(ब) यह निर्धारित करने की सूचना कि जोखिम व खतरों की पहचान, बचाव व नियंत्रण के लिए कैनंदिन प्रबंध अपनी जगह पर उपस्थित व प्रभावी रूपसे संचालित हो रहे है; तथा

(स) खतरों की पहचान व जोखिम नियंत्रण तथा ओएसएच प्रबंधन प्रणाली में सुधार के विषय में निर्णयों का आधार।

12.3 क्रियाशील निरीक्षण में उपक्रियाशील प्रणाली के लिए आवश्यक तत्वों का समावेश होना चाहिए और शामिल होना चाहिए :

(अ) विशिष्ट योजनाओं, स्थापित प्रदर्शन आधार पर उद्देश्यों की उपलब्धि का निरीक्षण ;

(ब) कार्य प्रणालियों, कार्यस्थलों व उपकरणों की विधिवत जांच;

(स) कार्यगत परिवेश की निगरानी (देखें अनुलग्न I), जिसके अंतर्गत कार्य संगठन भी आये;

(द) श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी (देखें अनुलग्न II) जहां उपयुक्त हो, उपयुक्त चिकित्सकीय निरीक्षण अथवा स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के चिन्ह और लक्षणों के पूर्व निरोध के लिए श्रमिकों की जांच, जिससे बचाव व सुरक्षा उपायों की प्रभाविता को निर्धारित किया जा सके, तथा

(क) लागू किये गये राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों, सामूहिक समझौतों व ओएसएच पर अन्य प्रतिबद्धताओं जिन्हें संस्थापन ने स्वीकृत किया हो के साथ अनुकूलन।

12.4 प्रतिक्रियाशील निरीक्षण में निम्नलिखित की पहचान, रिपोर्टिंग व जांच शामिल होनी चाहिए :

(अ) कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य (जिसमें कुल बीमारी उपस्थिति सूचना का निरीक्षण शामिल हो) रोग व हादसे;

(ब) अन्य नुकसान, जैसे संपत्ति का नुकसान

(स) अपूर्ण सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रदर्शन, तथा ओएसएच प्रबंधन प्रणाली की विफलता, तथा

(द) श्रमिकों का पुनर्वास तथा स्वास्थ्य बहाली कार्यक्रम

13 कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य, रोग व हादसों की जांच तथा सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रदर्शन पर उनका प्रभाव

13.1 पोतभंजन सुविधाओं को सभी कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य, रोगों व हादसों की जांच तथा उनके स्त्रोतों व अंतर्निहित कारणों को दर्ज करना चाहिए, जिससे ओएसएच प्रबंधन प्रणाली की विफलता की पहचान की जा सके।

13.2 ऐसी जांच को किसी परिचित सक्षम व्यक्तियों (आंतरिक अथवा बाह्य) द्वारा श्रमिकों व उनके प्रतिनिधियों की उपयुक्त भागीदारी से करवाया जाना चाहिए। सभी जांचों को इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

में निष्कर्षित किया जाना चाहिए।

13.3 इन जांचों के परिणामों को संलग्न श्रमिकों तथा सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति, जहां वे उपस्थित हों, तक प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त सिफारिश की जा सके।

13.4 जांच के परिणामों को सुरक्षा व स्वास्थ्य समिति की किसी सिफारिश के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए :

(अ) दोषनिवारक कार्रवाई के लिए उपयुक्त व्यक्ति तक जिसमें प्रबंधन समीक्षा शामिल हो तथा निरंतर सुधार गतिविधियों के लिए विचार किया जाए, तथा

(ब) सक्षम प्राधिकारी तक, अगर राष्ट्रीय कानून व विनियम द्वारा ऐसा आवश्यक हो।

13.5 जांच द्वारा प्राप्त दोषनिवारक कार्रवाई को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, और कार्यजनित चोटों, खराब स्वास्थ्य, रोगों व हादसों जो जांच को बढ़ावा दें की आवृत्ति रोकने के लिए तदन्तर पड़ताल की जानी चाहिए।

13.6 बाह्य जांच एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट्स, जैसे निरीक्षणालय तथा सामाजिक बीमा संस्थानों द्वारा दी गयी रिपोर्टस पर उसी प्रकार आचरण किया जाना चाहिए जैसे आतंरिक जांच पर और उसमें गोपनीयता भी वैसी ही बरती जानी चाहिए।

14 लेखा

14.1 यह देखने के लिए कि ओएसएच प्रबंधन प्रणाली व अन्य तत्व अपने स्थान पर हैं, पर्याप्त हैं व श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में हादसों से बचाव में प्रभावी हैं, आवर्ती लेखे कराये जाने के प्रबंध किये जाने चाहिए।

14.2 लेखा परीक्षण में सुविधा की ओएसएच प्रबंधन प्रणाली अथवा उसी तरह की संरचना के सभी तत्वों को जैसा उपयुक्त हो, मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इनके निष्कर्षो में यह निर्धारित होना चाहिए कि क्य क्रियान्वित ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के तत्व अथवा वैसी ही संरचना :

(अ) ओएसएच नीति तथा सुविधा के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी हैं ;

(ब) श्रमिकों की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करने में प्रभावी हैं ;

(स) ओएसएच प्रदर्शन मूल्यांकन व पूर्व लेखा परीक्षणों के परिणामों में प्रभावी हैं;

(द) सुविधा को प्रासंगिक राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों के अनुकूल उपलब्धियां हासिल करने में मदद देंगे;

(क) निरंतर सुधार व सर्वोत्तम ओएसएच प्रदर्शन के लक्ष्य को पूरा करेंगे।

14.3 लेखा परीक्षक के चयन तथा कार्यस्थलीय लेखा परीक्षण के सभी चरणों पर परामर्श, जिसमें निष्कर्षो का विश्लेषण शामिल हैं, जैसा उपयुक्त हो, श्रमिकों की भागीदारी के अधीन होगा।

15 प्रबंधन समीक्षा

15.1 प्रबंधन समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होने चाहिए :

(अ) यह निर्धारित करने के लिए ओएसएच प्रबंधन प्रणाली नियोजित प्रदर्शन उद्देश्यों को पूरा कर पाती हैं या नहीं, इसकी समूची रणनीति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ब) संस्थापन व उसके शेयर घटकों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओएसएच प्रबंधन प्रणाली की

क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिनमें श्रमिक व व्यवस्थापक समिति भी शामिल हों

(स) इस बात की पहचान की जानी चाहिए कि एक निश्चित समयावधि में कमियों को पूरा करने, जिसमें प्रबंधन ढांचे के अन्य पहलुओं के अनुकूलन तथा संस्थापन के प्रबंधन मापन शामिल हैं, के लिए क्या कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए;

15.2 प्रबंधन समीक्षा के निष्कर्षो का रिकार्ड रखना चाहिए और औपचारिक रूप से निम्न तक पहुंचाना चाहिए :

(अ) ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था के प्रासंगिक तत्वों के लिए जिम्मेदार लोगों को ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें; और

(ब) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति, श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को।

16 रोकथामकारी और सटीक कार्रवाई

16.1 ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था प्रदर्शन के निरीक्षण और उपायों तथा ओएसएच प्रंबधन व्यवस्था के लेखा परीक्षणों एवं प्रबंधन समीक्षाओं के परिणाम स्वरूप की जाने वाली रोकथामकारी और सटीक कार्रवाई के लिए व्यवस्थाओं की स्थापना और रखरखाव किया जाना चाहिए।

16.2 जब ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था या अन्य स्त्रोतों का मूल्यांकन यह प्रदर्शित करे कि जोखिमों और खतरों के लिए किये गए रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपाय अपर्याप्त हैं या अपर्याप्त होने की संभावना रखते हैं तब उपायों को रोकथामकारी और सुरक्षात्मक उपायों के मान्यता प्राप्त उच्च क्रम के अनुसार संबोधित, संपूर्ण और प्रलेखित किया जाना चाहिए, जैसा उपयुक्त हो और एक समयबद्ध प्रकार से।

17 निरंतर सुधार

17.1 ओएसएच प्रबंधन व्यवस्था के प्रासंगिक तत्वों तथा समग्र रूप व्यवस्था में निरंतर सुधार के लिए व्यवस्था की स्थापना और रखरखाव किया जाना चाहिए। सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रक्रियाओं और सुविधा के प्रदर्शन की तुलना सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदर्शन सुधारने के लिए क्रम में अन्य व्यवस्थाओं से करनी चाहिए।

अनुलग्नक IV: (एमईपीसी49/डब्लूपी.15)

पोतों में मौजूद गंभीर रूप से खतरनपाक सामग्रियों की आईएमओ सूची

यह आदर्श सूची पोत के ग्रीन पासपोर्ट का एक हिस्सा है एवं पोत के निमार्ण, इसके उपकरणों और तंत्रों में उपयोग कीगयी ज्ञात रूप से गंभीर खतरनाक सामग्रियों के संदर्भ में सूचना प्रदान करती है। इस दस्तावेज में सूचीबद्ध गंभीर खतरनाक सामग्रियों की कुछ निश्चित श्रेणियों के संदर्भ में, जहां उपयुक्त हो, यह तकनीकी सूचना से अनुपूरित हो सकती है, खासतौर से उनके उचित विलगन और लाने ले जाने के संदर्भ में।

भाग 1 – पोतों की संरचना एवं उपकरणों में गंभीर खतरनाक सामग्रियां

1A. एजबेस्टस

(ध्यान रखें: सभी एजबेस्ट धारण करने वाली सामग्रियों (एसीएम) या अनुमानित एजबेस्टस धारण करने वाली सामग्रियों (पीएसीएम)को प्रमुखता से इस प्रकार अंकित होना चाहिए)।

एजबेस्टस सामग्रियों के प्रकार (तख्ते,नलिकायुक्त पैररक्षक, अंतर्विस्ट)	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
	वाष्प आपूर्ति नलिकाएं एवं हैंगर (सामान्य)	
	वाष्पनिष्कासन नलिकाएं एवं हैंगर (सामान्य)	
	शमन एवं सुरक्षा वाल्व (सामान्य)	
	अन्य बाह्य आवरण युक्त नलिकाएं एवं हैंगर (सामान्य)	
	जल नलिकाएं एवं हैंगर (सामान्य)	
	एचपी टरबाइन ऊष्मारोधन (सामान्य)	
	वाष्पित्र ड्रम एवं आवरण (सामान्य)	
	हीटर, टैंक इत्यादि (सामान्य)	
	अन्य (सामान्य)	
	पंप कक्ष, वाष्पित्र कक्ष	
	आवास	
	साफसफाई एवं अधिकारियों के स्थान (सामान्य)	
	आंतरिक डेक-निचली चद्दर सहित (सामान्य)	
	वाष्प एवं निष्कासन नलिकाएं (सामान्य)	
	प्रशीतन नलिकाएं (सामान्य)	
	एयर कंडीशन वाहिकाएं (सामान्य)	
	तारों के पारगमन (सामान्य)	
	बाह्य भित्तियां (सामान्य)	
	बाह्य डेक सिरे (सामान्य)	
	आंतरिक डेक सिरे (सामान्य)	
	डेक से जुड़ी मशीनों के स्थान (सामान्य)	
	अन्य (सामान्य)	
	विशिष्ट आवास स्थान	
	डेक	
	वाष्प आपूर्ति नलिकाएं (सामान्य)	
	निष्कासन नलिकाएं (सामान्य)	
	टैंक साफ करने वाली नलिकाएं (सामान्य)	
	निरावृत करने वाले पंप (सामान्य)	
	अन्य (सामान्य)	

	डेक के विशिष्ट स्थान	
	मशीनें	
	ब्रेक रेखाएं	

सावधानी!! एजबेस्टस धारण करने वाली सामग्रियां (एसीएम) ऐसी सामग्रियों के नीचे भी पायी जा सकती हैं जो एजबेस्टस धारण नहीं करतीं।

1ब. रंग (जलयान की संरचना पर) – संयोजी

संयोजी (शीशा, रांगा अरगजी, जैव रांगा, (टीबीटी), संखिया, जस्ता, क्रोमियम स्ट्रोंनशियम, अन्य)	स्थान

1स. प्लास्टिक सामग्रियां

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन

1द. 50मिग्रा/किग्रा या अधिक से स्तर पर पीसीबी, पीसीटी, पीबीबी धारण करने वाली सामग्रियां

सामग्री	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन

1क. पोतों के उपकरणों या मशीनों में बंद गैसे

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
प्रशीतक (आर12/आर22)		
हालोन		
कार्बनडाई आक्साइड		
एसिटिलीन		
प्रोपेन		
ब्यूटेन		
आक्सीजन		
अन्य (उल्लेख करें)		

1ख. पोतों के उपकरणों या मशीनों में प्रयुक्त रसायन

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
कब्जा रोधी यौगिक		
इंजन संयोजी		
जमाव रोधी द्रव्य		
केरोसीन		
सफेद स्पिरिट		
वाष्पित्र/जल उपचार		
डी आयोनाइजर पुन: उत्सर्जी		
वाष्पक मात्रक एवं		

डीस्केलिंग अम्ल		
रंग/जंग स्थायित्र		
विलयन/विरलक		
रासायनिक प्रशीतक		
बैटरी इलेक्ट्रोटाइप		
होटल सेवा स्वच्छक		
अन्य (उल्लेख करें)		

1ग. पोत की मशीनों, उपकणों या जुड़ने वाली सामग्रियों के उपयुक्त अन्य पदार्थ

प्रकार	**स्थान**	**अनुमानित मात्रा/आयतन**
स्नेहक तेल		
जलीय तेल		
शीशा अम्ल बैटरियां		
अल्कोहल		
मिथाइलीकृत स्पिरिट		
इपाक्सी रालें		
पारा		
विकिरण सामग्रियां		
अन्य (उल्लेख करें)		

भाग एक. द्वारा संपूर्ण किया गया		**तिथि**	

भाग दो – परिचालनीय उत्सर्जित अपशिष्ट

2अ. शुष्क हौज अवशिष्ट

अवशिष्ट का ब्योरा	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन

2ब. परिमाण (अतैलीय) अवशिष्ट

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
पूरक भार जल		
कच्चा जलमल		
उपचारित जलमल		
कूड़ा (प्लास्टिक सहित)		
मलबा		
रसोईघर का पानी		
अन्य (उल्लेख करें)		

2स. तैलीय अपशिष्ट/तैलीय अवशिष्ट

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
नौभार अवशिष्ट		
हौज की पपड़ी		
तलघर : ईंधन तेल		
डीजल तेल		
गैस तेल		
स्नेहक तेल		
ग्रीस		
जलीय तेल		
अवशिष्ट तेल (अवमल)		
तैलीय जल		
तैलीय/संदूषित अवमल		
तैलीय/संदूषित चीथड़े		
अन्य (उल्लेख करें)		

भाग दो. संपूर्ण किया		तिथि	

भाग 3 – भंडार

3अ. भंडार में मौजूद गैसें

प्रकार	सिलिंडरों की संख्या और आकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
प्रशीतलक (आर12/आर22)			
हालोन			
कार्बनडाई आक्साइड			
एसिटिलीन			
प्रोपेन			
ब्यूटेन			
आक्सीजन			
अन्य (उल्लेख करें)			

3ब. भंडार में मौजूद रसायन

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
कब्जा रोधी यौगिक		
इंजन संयोजी		
जमावरोधी द्रव्य		
केरोसीन		
सफेद स्पिरिट		
वाष्पित्र/जलउपचार		
डी आयोनाइजर पुन: उत्सर्जी		
वाष्पक भाजक एवं		
डीस्केलिंग अम्ल		
रंग/जंग स्थायित्र		
विलयन/विरलक		
प्रशीतक		
बैटरी इलेक्ट्रोटाइप		
होटल सेवा स्वच्छक		
अन्य (उल्लेख करें)		

3स. भंडार और अन्य डिस्बाबदं वस्तुएं

प्रकार	स्थान	अनुमानित मात्रा/आयतन
स्नेहक तेल		
जलीय तेल		
शीशा अम्ल बैटरियां		
दवाएं		
छिड़कने वाले कीटनाशक		
अल्कोहल		
मिथाइलीकृत स्पिरिट		
इपाक्सी रालें		
रंग		
अग्निशामक वस्त्र/उपकरण (उदाहरणार्थ: कंबल)		
अन्य (उल्लेख करें)		

भाग 3. संपूर्ण किया		तिथि	

अनुलग्नक V: एक आदर्श जोखिम मूल्यांकन उपाय का उदाहरण

जोखिमों के मूल्याकंन के अनेक उपाय मौजूद हैं और इस प्रकार का कोई स्थायी नियम नहीं हैं कि किस प्रकार एक जोखिम का मूल्याकंन और अंकन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उपाय केवल एक विधि प्रस्तुत करता है जो कि साधारण है और उपयोग में आसान है।

चरण 1– खतरों की प्रारंभिक पहचान को शामिल करता है। इसे पोत के सभी स्थानों और पोतभंजन सुविधा के भीतर सभी स्थानों पर किया जाना चाहिए। पहचाने गए खतरों को कार्यगत वातावरण या इसमें प्रयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और प्रत्येक मूल्याकंन का ब्योरा रखना चाहिए।

चरण 2– खतरों की एक सूची का वितरण उन सभी को करना चाहिए जो स्थान/कार्यगत प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

चरण 3– उन खतरों के लिए श्रेणियां निर्धारित करने को संलग्न करता है (संलग्न आदर्श फार्म में उपयुक्त सूत्रों और पैमानों का उपयोग करते हुए)। सुविधाओं वैश्विक उपयोग के लिए एक समान व्यवस्था स्वीकृत की जा सकती है।

चरण 4– जोखिम की रोकथाम करने या उसे घटाने की विधियों/कार्रवाई एवं प्रस्तावित कार्रवाई के कार्यान्वयन पर निर्णय लेना। इसे भी अंकित किया जाना चाहिए।

चरण 5– जैसा कि आवश्यक है या यह देखने के लिए कि किसी प्रक्रिया, तकनीक/उपयोग किये गए उपकरण, संगठन या अन्य तत्व में हुआ कोई परिर्वतन जोकि मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता हैं, खतरे का पुनर्मूल्यांकन करके समीक्षा करना।

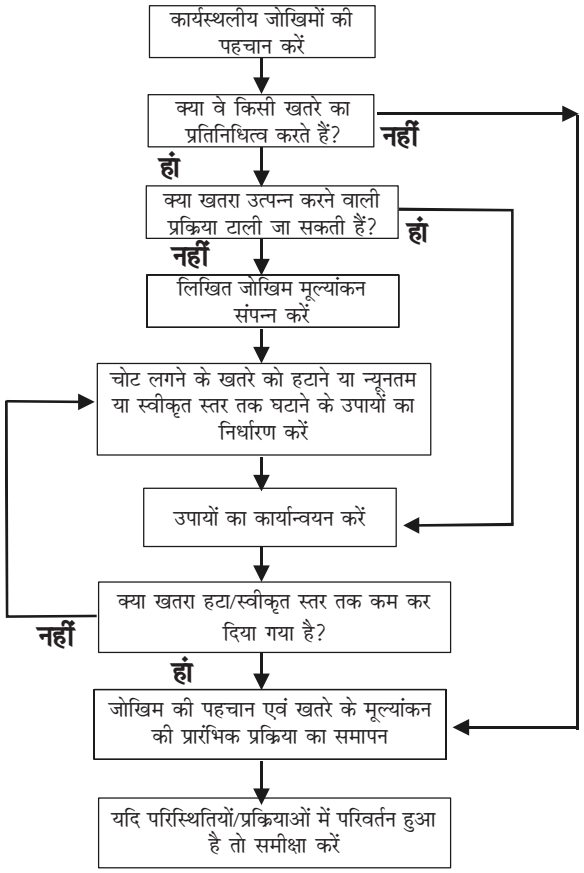

एक आदर्श जोखिम मूल्यांकन फार्म का उदाहरण

स्थानः एम.वी. आयरन ब्रेकर **संदर्भ संख्या** 001

मूल्यांकन तिथि : 31 दिसम्बर 2002 **मूल्यांकनकर्ता का नामः** एस.ए.लिंक्स

प्रक्रिया/मूल्यांकित गतिविधि

जलाना/काटना/पीसना

चिन्हित खतरा/जोखिम (चोट या क्षति पहुंचाने के लिए गंभीर)

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शामिल-कटना, खरोंचें आना/त्वचा भेदन/घाव/जलना, बिजली का झटका, धूल, भभका, विस्फोट, इत्यादि

खतरे का स्तर *

~~निम्न~~ **मध्यम** **उच्च X**

क्या रोकथामकारी उपाय लागू किये जा रहे हैं?

हां **नहीं X**

सावधानियों/रोकथामकारी कार्रवाइयों की सूची

पूर्वनिर्धारित उपकरण रखरखाव, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अंकित प्रक्रियाविधियां,पीपीई, जोखिम मूल्यांकन, श्रमिक प्रतिबंधन, किये जा रहे कार्य पर नियमित शारीरिक जांच। राष्ट्रीय मानक भी देखें डब्लूई 12345 2001

यदि कोई सावधानियां/रोकथामकारी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, एवज में उपचार की क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

तिथि जिससे सावधानियां/रोकथामकारी कार्रवाइयां कार्यान्वित होती हैं : लागू नहीं

मूल्यांकन कर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर सुरक्षा अधिकारी सरकारी प्रतिनिधि **तिथि 31 दिसम्बर 2002**

मूल्यांकनकर्ता (ओं) की टिप्पणियां तीन मासिक समीक्षा करने का सुझाव दें

निम्नश्रेणियों का उपयोग करते हुए गणना करें :

जोखिम (दुष्परिणाम)	संभाव्यता
1. उपेक्षा योग्य	1. असंभावित
2. हल्का	2. संभावित
3. मध्यम (circled)	3. नितांत (circled) संभव
4. गंभीर	4. संभव
5. बेहद गंभीर	5. बेहद संभव

खतरे की स्थापना के लिए **जोखिम** का **संभाव्यता** से **गुणन करें**

1-7 **निम्न** 8-14 **मध्यम *** 15-25 **उच्च**

खतरे के मूल्यांकन के लिए आदर्श प्रक्रिया का उदहारण

अभियान/मूल्यांकित गतिविधि	काटना और पोत के खंडों को मानक स्थान समुद्र तट/तोड़ने वाले क्षेत्र तक पहुंचाना
चिन्हित जोखिम/खतरा-घटनाओं/अभियानों के क्रम में	**कार्यगत मंचों की स्थापना करना :** उठाना/खड़ा करना पाड़ लगाना/सीढ़ियां। (3×2=6) **काटना :** गैस मुक्त करना, काटने के उपकरणों/औजारों, गैस सिलिंडर का उपयोग, कर्मचारियों को हटाना, ढांचा ढहना। (2×2=4) **गीयर को उठाना/खींचना :** उठाने/खींचने वाले तारों और पकड़ को जोड़ना, वैल्डिंग, खींचने वाली तारों के तोड़ ठीक करना। (2×2=4) **खींचना :** तारों का टूटना, खींचने वाली मशीन का विफल होना। (2×2=4) **उठाने/खींचने वाली तारों को अलग करना :** तारों और पकड़ को हटाना, ढांचे को समुद्र तट पर स्थिर करना। (2×2=4)
खतरा मूल्यांकन अंक (व्यक्तिगत अंकों का सार)	6+4+4+4+4 = 22 - उच्च खतरे वाली गतिविधि।
संभावित सुरक्षा और रोकथामकारी उपाय	**कार्यगत मंचों की स्थापना :** केवल मजबूत सीढ़ियों और मंचों/पाड़ का ही उपयोग करें, सीढ़ियों को उपयोग से पहले सुरक्षित सुनिश्चित करें, हेलमेंट और सुरक्षा जूते/अन्य पीपीई और कपड़ों को धारण करें। **काटना :** जांच करें कि गैस मुक्त प्रमाण यंत्र वैध है, जांच करें कि काटने वाला उपकरण दोष रहित है, जांच करें कि गैस सिलिंडरों पर सेफ्टी वाल्व लगे हैं, ढांचे को कर्मचारियों से रहित करें, सुनिश्चित करें कि अंतिम काट से पहले कटा हुआ ढांचा स्थिर है, पीपीई और कपड़ों को धारण करें। **गीयर को उठाना/खीचना :** सुनिश्चित करें कि पकड़ की वैल्डिंग के लिए पहुंच सुरक्षित हैं, जांच करें कि वैल्डिंग उपकरण दोष रहित है। **खींचना :** जब खींचने के समय तारों को जब तनाव दिया जाए उस समय तारों के दायरे और ढ़ांचे के ईद गिर्द के स्थान को खाली रखें, विन्च आपरेटर के साथ स्पष्ट संपर्क बनाएं। **उठाकर हटाने/खींचने वाले तारों को अलग करना :** तारों को तनाव मुक्त करें, सुरक्षित पहुंच के लिए मंचों/सीढ़ियों को उठाएं, जलाने वाले गीयर की जांच करें, पकड़ और गीयर को नीचे करने पर नियंत्रण रखें
तिथि जिससे रोकथामकारी उपाय लागू होने हैं	प्रक्रिया पूरी होने से पहले उच्च जोखिम की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों की प्रक्रिया मौजूद है
मूल्यांकनकर्ता (नाम)	ए.एन. अन्य - सुरक्षा अधिकारी ए.जे. सामान्य- सरकारी प्रतिनिधि

गणन की श्रेणी :

गंभीर चोट	संभाव्यता
1. उपेक्षा योग्य	1. असंभावित
2. हल्का	2. संभावित
3. मध्यम	3. नितांत संभव
4. महत्वपूर्ण	4. संभव
5. बेहद महत्वपूर्ण	5. बेहद संभव

खतरा = गंभीरता × संभाव्यता

1-7 निम्न	8-14 माध्यम	15+उच्च